ISSN 970-9312

प्राथमिक शिक्षक

शैक्षिक संवाद की पत्रिका

वर्ष 39 व 40 अंक 4 व 1 अक्तूबर 2015 – जनवरी 2016
(संयुक्तांक)

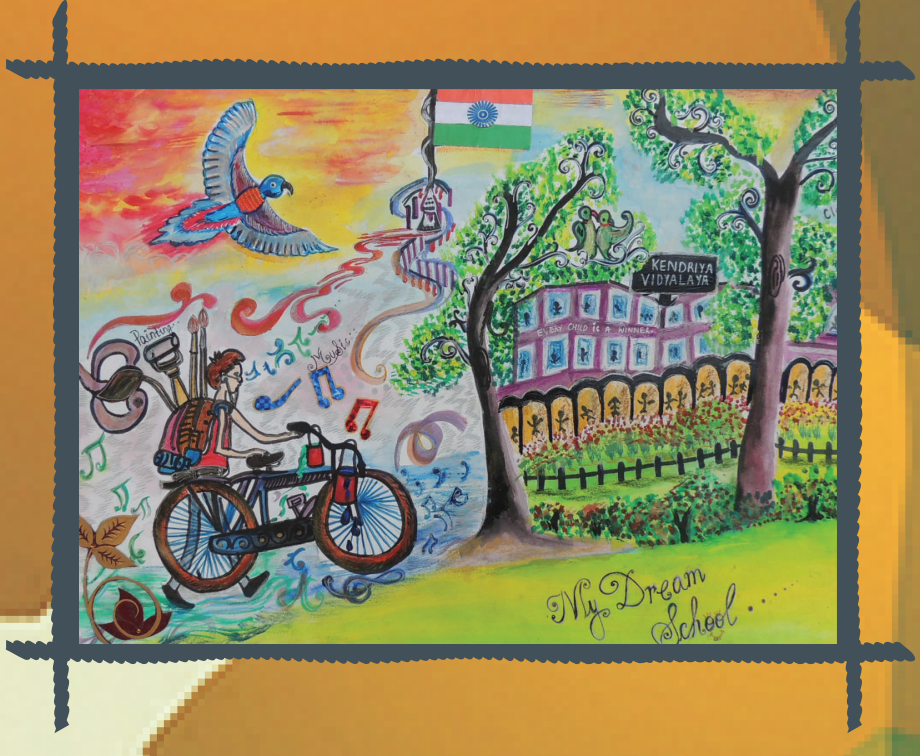

पत्रिका के बारे में

'प्राथमिक शिक्षक' राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की एक त्रैमासिक पत्रिका है। इस पत्रिका का मुख्य उद्देश्य है, शिक्षकों और संबद्ध प्रशासकों तक केंद्रीय सरकार की शिक्षा नीतियों से संबंधित जानकारियाँ पहुँचाना, उन्हें कक्षा में प्रयोग में लाई जा सकने वाली सार्थक और संबद्ध सामग्री प्रदान करना और देश भर के विभिन्न केंद्रों में चल रहे पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों आदि के बारे में समय पर अवगत कराते रहना। शिक्षा जगत में होने वाली गतिविधियों पर विचारों के आदान-प्रदान के लिए भी यह पत्रिका एक मंच प्रदान करती है।

पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के अपने होते हैं। अत: यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक चिंतन में परिषद् की नीतियों को ही प्रस्तुत किया गया हो। इसलिए परिषद् का कोई उत्तरदायित्व नहीं है।

© 2017. पत्रिका में प्रकाशित लेखों का रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा सर्वाधिकार सुरक्षित है, रा.शै.अ.प्र.प. की पूर्व अनुमति के बिना, लेखों का पुनर्मुद्रण किसी भी रूप में मान्य नहीं होगा।

सलाहकार समिति

निदेशक, एन.सी.ई.आर.टी. : हृषिकेश सेनापति
अध्यक्ष, डी.ई.ई. : अनूप कुमार राजपूत
अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग* : दिनेश कुमार

संपादकीय समिति

अकादमिक संपादक : पद्मा यादव
उषा शर्मा
वी.पी. सिंह
रमेश कुमार
मुख्य संपादक : श्वेता उप्पल

प्रकाशन मंडल

मुख्य प्रबंध अधिकारी : गौतम गांगुली
मुख्य उत्पादन अधिकारी (प्रभारी) : अरुण चितकारा
संपादक : रेखा अग्रवाल
उत्पादन अधिकारी : अब्दुल नईम

आवरण

अमित श्रीवास्तव

एन.सी.ई.आर.टी. के प्रकाशन प्रभाग के कार्यालय

एन.सी.ई.आर.टी. कैंपस
श्री अरविंद मार्ग
नयी दिल्ली 110 016 फ़ोन : 011-26562708

108, 100 फीट रोड
होस्केरे हल्ली एक्सटेंशन
बनाशंकरी III स्टेज
बेंगलुरु 560 085 फ़ोन : 080-26725740

नवजीवन ट्रस्ट भवन
डाकघर नवजीवन
अहमदाबाद 380 014 फ़ोन : 079-27541446

सी. डब्ल्यू. सी. कैंपस
धनकल बस स्टॉप के सामने
पनिहटी
कोलकाता 700 114 फ़ोन : 033-25530454

सी. डब्ल्यू. सी. कॉम्प्लैक्स
मालीगाँव
गुवाहाटी 781 021 फ़ोन : 0361-2674869

मूल्य एक प्रति ₹ 65.00 **वार्षिक ₹ 260.00**

* यह अंक मई 2017 में छापा गया है।

प्रकाशन प्रभाग में सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110 016 द्वारा प्रकाशित तथा चन्द्रप्रभू ऑफ़सेट प्रिंटिंग वर्क्स प्रा. लि., सी-40, सैक्टर 8, नोएडा 201 301 द्वारा मुद्रित।

ISSN 970-9312

प्राथमिक शिक्षक

वर्ष 39 व 40 अंक 4 व 1 अक्तूबर 2015 – जनवरी 2016
(संयुक्तांक)

इस अंक में

संवाद 3

लेख

1. सतत एवं व्यापक मूल्यांकन — सची सिन्हा — 5
   एक सटीक कदम
2. प्राथमिक शिक्षक शिक्षा — पतंजलि मिश्र — 9
   नेशनल करिकुलम फ़ॉर टीचर एजुकेशन (एन. सी. एफ़. टी. ई.) — भूपेन्द्र सिंह
   के विशेष संदर्भ में
3. कला और संस्कृति के प्रति जागरूकता — आशुतोष — 18
   सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र, संस्कृति मंत्रालय (भारत सरकार)
4. दृश्य कला चित्रों की मनोविश्लेषणात्मक समीक्षा — प्रतिभा — 21
5. दैनिक जीवन में गणित — भानु प्रताप सिंह — 26
6. प्रारंभिक स्तर पर शिक्षण की विधा के रूप में — मेहराज अली — 34
   नुक्कड़ नाटक
7. बच्चे स्कूल से बाहर क्यों? — छवि कटारिया — 40

विद्यया ऽ मृतमश्नुते

एन सी ई आर टी NCERT

विद्या से अमरत्व प्राप्त होता है।

परस्पर आवेष्टित हंस राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.) के कार्य के तीनों पक्षों के एकीकरण के प्रतीक हैं– (i) अनुसंधान और विकास, (ii) प्रशिक्षण, तथा (iii) विस्तार। यह डिज़ाइन कर्नाटक राज्य के रायचूर ज़िले में मस्के के निकट हुई खुदाइयों से प्राप्त तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के अशोकयुगीन भग्नावशेष के आधार पर बनाया गया है। उपर्युक्त आदर्श वाक्य *ईशावास्य उपनिषद्* से लिया गया है जिसका अर्थ है– विद्या से अमरत्व प्राप्त होता है।

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 1 5/26/2017 9:26:50 AM

8. रूही आखिर क्या लिखती है? अक्षय कुमार दीक्षित 45

9. बाल साहित्य-स्वरूप और शुरुआती दौर का शिक्षण मीनाक्षी खार 65

10. उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा की कटु सच्चाइयाँ शशि कला वर्मा 69

शोध आलेख

11. निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम – 2009 — गुणात्मक विश्लेषण कुसुम यदुलाल 71

12. प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर विकेंद्रीकृत प्रबंधन प्रणाली में ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, अध्यापकों तथा शिक्षा अधिकारियों में सामंजस्य की स्थिति का अध्ययन अजय प्रकाश तिवारी 79

13. छात्रों की शैक्षणिक चिंताओं पर ध्यान एवं योगासनों का प्रभाव रमेश कुमार 93

संस्मरण एवं अनुभव

14. स्वच्छता से सरोकार रमेश कुमार 100

15. संवाद से खुली शिक्षा की राह प्रमोद दीक्षित 'मलय' 103

16. मंचन 'छह पूँछ का चूहा' कहानी का धर्मप्रकाश 110

बालमन कुछ कहता है

17. मेरे सपनों का विद्यालय हर्षीता सिदार 112

कविता

18. 'माँ जब मैं बड़ी हो जाऊँगी' जितेन्द्र कुमार पाटीदार 113

19. बच्चे और स्कूल सुनील कुमार गौड़ 115

20. बित्तो नीलिमा

संवाद

शिक्षा का सरोकार एक सार्थक व उत्पादक जीवन की तैयारी से होता है। बच्चों के सर्वांगीण विकास में शिक्षकों और अभिभावकों, दोनों की अहम भूमिका होती है। भारत सरकार भी शिक्षा स्तर को बेहतर बनाने के लिए समय-समय पर शिक्षा नीतियों का निर्माण करती है। शिक्षा नीतियों को ज़मीनी स्तर पर सफ़ल बनाने के लिए पठन-पाठन सामग्री का निर्माण किया जाता है, शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है, विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार पठन-पाठन की व्यवस्था की जाती है, विद्यार्थियों की अधिगम क्षमता को विकसित करने के लिए नित नए प्रयास किए जाते हैं, साथ ही यह कोशिश भी की जाती है कि अभिभावकों और शिक्षकों के बीच संबंध मज़बूत हों। किंतु फिर भी कई ऐसे कारण हैं जिनसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देश के सभी बच्चों तक नहीं पहुँच पाती।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए *प्राथमिक शिक्षक पत्रिका* 'अक्तूबर 2015–जनवरी 2016' का यह अंक एक संयुक्तांक रूप में प्रस्तुत है। इस संस्करण में कुल 16 लेख हैं जो शोध, संस्मरण एवं अनुभव आदि पर आधारित हैं। इसके अतिरिक्त अंक में तीन कविताएँ एवं बालमन के अनुभव भी शामिल हैं।

देश में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 के लागू होने से अब बच्चों को मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल गया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा निर्मित नेशनल करिकुलम फ़ॉर टीचर एजुकेशन–2009 में अध्यापकों के प्रशिक्षण की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है जिसमें सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में नए आयाम जुड़े हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन उनमें से एक है। यह बच्चों के सीखने की गति में वृद्धि करता है। साथ ही अध्यापकों को छात्रों की क्षमता और कमज़ोरियों को बार-बार बताता है ताकि वे अपनी शिक्षण संबंधी कार्यनीतियों में सुधार कर सकें।

प्रत्येक बच्चे का अपना रचना संसार होता है, जीवन और वस्तुओं को देखने व परखने का अपना ही नज़रिया एवं सीखने की गति होती है। अतः हमें ऐसा वातावरण तैयार करने की आवश्यकता है जिसमें बच्चों को पढ़ने-लिखने और आगे बढ़ने के तमाम अवसर प्राप्त हों। यह पत्रिका इस ओर एक छोटा-सा प्रयास है। आशा है कि यह संयुक्तांक आपको पसंद आएगा।

अकादमिक संपादक

मन का विकास करो और उसका संयम करो, उसके बाद जहाँ इच्छा हो, वहाँ इसका प्रयोग करो—उससे अति शीघ्र फल प्राप्ति होगी। यह है यथार्थ आत्मोन्नति का उपाय। एकाग्रता सीखो, और जिस ओर इच्छा हो, उसका प्रयोग करो। ऐसा करने पर तुम्हें कुछ खोना नहीं पड़ेगा। जो समस्त को प्राप्त करता है, वह अंश को भी प्राप्त कर सकता है।

— स्वामी विवेकानंद

1

सतत एवं व्यापक मूल्यांकन एक सटीक कदम

*सची सिन्हा**

यह लेख सतत एवं व्यापक मूल्यांकन (CCE) की अवधारणा और इसके कार्यान्वयन से संबंधित है। इस लेख में ऐसे उपकरणों और तकनीकों पर बात की गई है जिससे विषय-वस्तु के आकलन में सुविधा हो। साथ ही रचनात्मक आकलन को सही तरीके से कक्षा में इस्तेमाल करने के सुझाव भी प्रस्तुत किए गए हैं।

जीवन के हर क्षेत्र में किसी न किसी रूप में मूल्यांकन का इस्तेमाल होता है। शिक्षा में भी मूल्यांकन का महत्वपूर्ण स्थान है। कक्षा में प्रत्येक छात्र कितना सीख पाया है, यह जानने के लिए हमें मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। मूल्यांकन द्वारा सावधानी से यह निर्णय लिया जा सकता है कि अधिगम का स्तर क्या है? साथ ही एक विषय-वस्तु के लिए यह कितना उपयोगी है, इसका निर्णय मूल्यांकन द्वारा ही किया जा सकता है। मूल्यांकन सदैव उद्देश्यों के अनुसार किया जाता है।

कई सालों से भारत में मूल्यांकन का तरीका तीन घंटे की परीक्षा के परिणाम से किया जाता रहा है। जिसके कारण विद्यार्थी परीक्षा से डरते हैं और परीक्षा फल के डर से संगीन कदम भी उठा लेते हैं। यह मूल्यांकन बच्चों को तोता रटंत विद्या में माहिर करता है।

विभिन्न आयोगों और समितियों ने, जैसे— हंटर आयोग (1882), कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग अथवा सेडलर आयोग (1917-1919), हारटोग समिति रिपोर्ट (1929), सार्जेंट योजना (1944), मुदालियर आयोग (1952-53), इन सभी ने बाह्य परीक्षाओं को घटाने पर ज़ोर दिया है तथा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा आंतरिक मूल्यांकन का सुझाव भी दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986), कोठारी आयोग (1966), एन.सी.एफ़. (2005) आदि भी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के पक्ष में हैं।

इन्हीं आयोगों द्वारा सुझाए गए उपायों को लेकर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की परिकल्पना की गई। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की परिकल्पना का लक्ष्य परीक्षाओं को सुधारना है। हर बच्चे का मूल्यांकन शिक्षा-पाठ्यक्रम के समाप्त होने पर कागज़-कलम की तीन घंटे की एक बाह्य परीक्षा तक सीमित न रहकर शिक्षा प्राप्ति की समूची अवधि में किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी के व्यक्तित्व के हर क्षेत्र को शामिल करना चाहिए

**शोध छात्रा,* शिक्षाशास्त्र विभाग, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नयी दिल्ली 110025

और उन पर विचार किया जाना चाहिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष तथा गत्यात्मक पक्ष को समान रूप से आँकता है। साथ ही साथ निम्नलिखित बिंदुओं को भी आँकता है—

- शिक्षा से प्राप्त स्तरों को;
- जीवन कौशलों को;
- अभिवृत्तियों और रुचियों को;
- बहिरंग सह-पाठ्यक्रमों को; एवं
- खेलकूद को।

जब उपरोक्त पक्षों पर ध्यान दिया जाएगा, तब विद्यार्थियों के शैक्षिक एवं सह-शैक्षिक क्षेत्रों का विकास होगा और वे बेहतर व्यक्ति बनेंगे जिससे वे समाज और राष्ट्र की अपेक्षाओं में सार्थक रूप में योगदान दे पाएँगे।

'सतत' शब्द का उद्देश्य इस बात पर बल देना है कि विद्यार्थियों की 'संवृद्धि और विकास' के अभिज्ञात पहलुओं का मूल्यांकन एक घटना होने के बजाय एक सतत प्रक्रिया है जो अध्ययन शिक्षा प्राप्ति की संपूर्ण प्रक्रिया के अंदर निर्मित है और शैक्षिक सत्र की समूची अवधि में फ़ैली होती है। इसका अर्थ है निर्धारण की नियमितता, यूनिट परीक्षण की आवृत्ति, शिक्षा प्राप्ति की कमियों का निदान, सुधारात्मक उपायों का उपयोग, पुन:परीक्षण और अध्यापकों तथा छात्रों के स्व-मूल्यांकन के लिए उन्हें घटनाओं के प्रमाण के लिए फ़ीडबैक (सी.बी.एस.ई. सतत एवं व्यापक मूल्यांकन शिक्षक संदर्शिका कक्षा नौ तथा दस)।

'व्यापक का अर्थ है कि यह योजना विद्यार्थियों की संवृद्धि और विकास के शैक्षिक और सह-शैक्षिक, दोनों क्षेत्रों को समाहित करने का प्रयास करती है। चूंकि योग्यताएँ, अभिवृतियाँ और अभिरुचियाँ अपने आपको लिखित शब्दों से भिन्न अन्य रूपों में प्रकट करती हैं' (सी.बी.एस.ई सतत एवं व्यापक मूल्यांकन शिक्षक संदर्शिका कक्षा नौ तथा दस)।

विद्यालय-आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन तीन भागों में है—

- विद्यार्थी के शैक्षिक कार्य-निष्पादन को ग्रेड के रूप में दिखाया जाता है। इसमें दो अवधियाँ (टर्म्स) होती हैं। पहली अवधि अप्रैल से सितंबर तक तथा दूसरी अवधि अक्तूबर से मार्च तक होती है। हर अवधि में दो रचनात्मक मूल्यांकन और एक सारांशात्मक मूल्यांकन होता है।
- भाग दो में सह-शैक्षिक क्षेत्र आंका जाता है। इसमें जीवन कौशल, अभिवृत्तियाँ तथा मूल्यों का मूल्यांकन होता है।
- भाग तीन में सह-शैक्षिक क्रियाकलाप हैं। इसमें साहित्यिक, वैज्ञानिक, सौंदर्यात्मक और क्लब क्रियाकलाप हैं। इसके साथ स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा भी शामिल हैं।

इससे यह विदित है कि विद्यार्थियों का संपूर्ण रूप से मूल्यांकन होता है जिस कारण विद्यार्थी परीक्षा से भयभीत नहीं होंगे।

'सतत एवं व्यापक मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के निदान, उपचार और उसकी वृद्धि की ओर ले जाएगा' (सी.बी.एस.ई. सतत एवं व्यापक मूल्यांकन शिक्षक संदर्शिका कक्षा नौ तथा दस)।

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 6 5/26/2017 9:26:51 AM

रचनात्मक मूल्यांकन— इसकी विशेषताएँ यह हैं कि यह नैदानिक और उपचारात्मक है, साथ ही इसकी पृष्ठपोषण की प्रक्रिया काफ़ी प्रभावकारी है। बच्चे अपनी शिक्षा प्राप्ति में सक्रियतापूर्वक भागीदारी ले सकते हैं और अध्यापक अपने अध्यापन को समायोजित कर सकते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के साथ-साथ चलने वाली क्रिया है, जबकि सारांशात्मक मूल्यांकन पाठ्यक्रम समाप्त होने पर किया जाता है। जहाँ रचनात्मक मूल्यांकन सीखने के लिए होता है, वहीं सारांशात्मक निर्धारण सीखने के बाद होता है।

रचनात्मक मूल्यांकन विद्यार्थियों के अधिगम की प्रगति और उनमें आने वाले परिवर्तन का पता लगाता है। यह विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और उनकी विशेषताओं का पता लगाता है। शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाता है और बच्चों को स्वयं की विशेषताओं को पहचानने में मदद करता है। विद्यार्थियों में आकलन के प्रति भय को दूर करता है। रचनात्मक निर्धारण दिन-प्रतिदिन के आधार पर होना चाहिए तथा सतत रूप से उनका कक्षा में अंदर और बाहर आकलन होना चाहिए। रचनात्मक आकलन (रचनात्मक निर्धारण एक सतत प्रक्रिया है) के कई तरीके हैं, जैसे— व्यक्तिगत आकलन, सामूहिक आकलन, स्व-आकलन और सहपाठियों द्वारा आकलन।

व्यक्तिगत आकलन में केंद्र बिंदु विद्यार्थी होते हैं और वे कार्य करके उसे पूर्ण करते हैं। आकलन उनके कार्य करने के ढंग को तथा उसे पूरा करने का होता है। सामूहिक आकलन में बच्चे समूह में काम करते हैं तो उनके सामूहिक कौशलों, सहयोग, व्यावहारिक मूल्यों का आकलन होता है।

स्व-आकलन में बच्चे स्वयं के अधिगम की प्रगति का आकलन करते हैं। सहपाठियों द्वारा आकलन में बच्चे आपस में एक-दूसरे के अधिगम की प्रगति का आकलन करते हैं। इसे जोड़ी बनाकर या समूह में करवाया जाता है।

आकलन का अभिन्न अंग है— सूचनाओं की रिकार्डिंग करना। विद्यार्थियों के आकलन में जो उपकरण और तरीके उपयोग में लाए गए हैं, जैसे— मौखिक परीक्षण, अवलोकन, साक्षात्कार, चेकलिस्ट, लिखित परीक्षण, पोर्टफ़ोलियो आदि इसके अतिरिक्त उनसे मिली सूचनाओं की भी रिकॉर्डिंग ज़रूरी है। विद्यार्थियों के अवलोकन के बाद तुरंत ही अवलोकन दर्ज करना चाहिए, नहीं तो भूल हो सकती है। कला और शिल्पकारी के क्षेत्र में विद्यार्थियों के कार्य के नमूनों का संग्रह करना चाहिए ताकि पोर्टफ़ोलियो तैयार हो। अच्छे गुणों वाली टिप्पणियों को लिखना चाहिए।

रचनात्मक निर्धारण के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित कुछ सुझाव हैं—

1. पाठ योजना बनाने के समय शिक्षक को यह ध्यान में रखना चाहिए कि उन्होंने विभिन्न स्तर के बच्चों के लिए अलग-अलग प्रश्न पूछे हों ताकि प्रत्येक स्तर के एवं प्रत्येक क्षेत्र के विद्यार्थी कक्षा में भाग ले सकें। पाठ योजना में अधिगम की क्रियाविधि का उपयोग हो सके। शिक्षक कार्यपत्रिका और पुनरावृत्ति की सामग्री तैयार करके कक्षा में उपयोग करें।

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 7 5/26/2017 9:26:51 AM

2. कक्षा में अधिगम बढ़ाने के प्रयास में शिक्षक विद्यार्थियों को परिचर्चा करने के लिए और प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों के नए विचारों का स्वागत करें और उस पर परिचर्चा करें। विद्यार्थियों की बातों को धैर्यपूर्वक सुनें और उनकी कोशिशों की सराहना करें।
3. शिक्षक और बच्चों का संबंध मैत्रीपूर्ण हो जिससे बच्चों के अधिगम में प्रगति हो। जब शिक्षक धैर्यपूर्वक बच्चों को उनकी समझ और विचार को प्रकट करने का समय देंगे तो उनके सीखने में वृद्धि होगी। बच्चों को मैत्रीपूर्ण वातावरण मिलने से उनका डर दूर होगा और वे सहज भाव से सीखेंगे।
4. बच्चों को अधिगम के उद्देश्य और विषय-वस्तु तथा पाठ को पढ़ने के बाद अधिगम का परिणाम क्या होगा, यह सब बताना चाहिए। अच्छे गुणवत्ता वाले कार्य के उदाहरण बच्चों को दिखाए जाने चाहिए। गलत और अशुद्ध कार्य के भी उदाहरण दिखाए जाने से सही तरीके से प्रोजेक्ट बना पाएँगे।
5. स्व-आकलन रचनात्मक निर्धारण का महत्वपूर्ण अंग है। शिक्षक बच्चों को खुद के कार्य पर विचार के लिए प्रोत्साहन दें। अपनी उत्तर-पुस्तिका को लेकर शिक्षक से परिचर्चा करने के लिए प्रेरित करें। उन्हें अपने अधिगम की प्रगति का निर्णय लेने का अधिकार दें।
6. सहपाठियों द्वारा आकलन करने में बच्चे एक दूसरे के अधिगम की प्रगति की चर्चा करें और सीखने के कार्य को बढ़ाएँ। शिक्षक बच्चों द्वारा किए गए आकलन को उनका मूल्यांकन करते समय उपयोग करें ताकि साधारण/सामान्य गलतियाँ जो उभर कर आती हैं, उन्हें हटाया जा सके और अधिगम में प्रगति हो।
7. बच्चों के सीखने का आकलन करने के लिए कई उपकरण और तकनीक हैं, जैसे— अवलोकन प्रदत्तकार्य, परियोजनाएँ, पोर्टफ़ोलियो, चेकलिस्ट, रेटिंग तथा वर्णन और संचयी रिकॉर्ड आदि।
8. पृष्ठपोषण रचनात्मक निर्धारण का अभिन्न अंग है। शिक्षक बच्चों को अधिगम के तरीके में सुधार लाने के लिए सुझाव दें। बच्चों के गुणात्मक और ऋणात्मक कार्यों का विश्लेषण करें तथा यह पृष्ठपोषण समय पर दें।
9. इनके अलावा उपचारात्मक तथा सुधारात्मक उपाय में शिक्षक बच्चों को अलग समय दें, अतिरिक्त कक्षा का प्रबंध करें। पाठ्यक्रम में कठिन भागों का व्याख्यान अच्छी तरह से करें।

इन सब बातों का ध्यान रखने से सतत आकलन अच्छी तरह से हो सकता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का परिपालन अगर सही ढंग से हो तो बच्चों के अधिगम में प्रगति निश्चित है।

संदर्भ

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड. 2010. *सतत एवं व्यापक मूल्यांकन शिक्षक संदर्शिका.* कक्षा नौ और दस.

एन.सी.ई.आर.टी. 2012. *आकलन स्रोत पुस्तिका.*

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 8 5/26/2017 9:26:51 AM

2

प्राथमिक शिक्षक शिक्षा नेशनल करिकुलम फ़ॉर टीचर एजुकेशन (एन.सी.एफ़.टी.ई.) के विशेष संदर्भ में

*पतंजलि मिश्र**
*भूपेन्द्र सिंह***

'प्रशिक्षण' किसी व्यक्ति के ज्ञान, कुशलताओं, क्षमताओं एवं अभिरुचि में वृद्धि को कहते हैं। प्राथमिक शिक्षक विद्यार्थी को गणित विषय से लेकर भाषा एवं बहुत-सी जीवन कलाओं को सीखने में मदद करता है। माता-पिता के बाद बालक सीधे प्राथमिक शिक्षक के सानिध्य में ज्ञान एवं कौशल ग्रहण करता है। घर से निकलने के बाद बालक बाहरी वातावरण के संपर्क में आकर अच्छी एवं बुरी सभी बातें सीखता है, लेकिन प्रारंभ से नियंत्रित वातावरण द्वारा दायित्वपूर्ण मार्गदर्शन देकर एक शिक्षक उसे बुरी बातों अथवा व्यवहारों से दूर रखता है। प्राथमिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि वही है जो उसे अपने ज्ञान रूपी अस्थिमज्जा से रक्त रूपी शिक्षा प्रदान करता है, जो जीवन भर उसकी और राष्ट्र की रगों में दौड़ता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986 में कहा गया है कि कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, लेकिन स्तर में वह शिक्षक से बड़ा नहीं हो सकता। सर्वविदित है कि एक बालक को माता-पिता के अतिरिक्त शिक्षित करने का कार्य शिक्षक करता है, लेकिन एक शिक्षक के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था पर अभी तक एक गहरा प्रश्न चिह्न बना हुआ है।

प्राथमिक शिक्षक–शिक्षा का इतिहास

पुरातन परिदृश्य

2500 ईसा पूर्व वैदिक काल में जब वेदों का प्रशिक्षण दिया जाता था और शिक्षक के रूप में ब्राह्मण वर्ग शिक्षा के प्रति समर्पित था, उस समय कभी-कभी गुरु अपने सबसे योग्य शिष्य अथवा अपने पुत्र को शिक्षण का कार्य सौंप दिया करते थे। संभवत: यहीं से शिक्षक शिक्षा का प्रारंभ हुआ माना जा सकता है। बौद्ध काल में पबज्जा/प्रवज्या संस्कार से चैत्य और विहार में प्रवेश के साथ शिक्षा आरंभ होती थी। जहाँ निगमन विधि (Deductive Method) द्वारा बुद्धि (Intellect) को प्रखर बनाने पर ज़ोर था, जो जितना बौद्धिक नियंत्रण बनाने में सफ़ल रहता, वही शिक्षक

* *सहायक प्रोफ़ेसर*, शिक्षा विद्यापीठ, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा, राजस्थान 324010
***शोध छात्र*, शिक्षा विद्यापीठ, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा, राजस्थान 324010

के रूप में स्थापित होता था। मुस्लिम काल में मकतबों (Schools) में मौलवियों द्वारा क़ुरान और उसमें दी गई विषय-वस्तु का अध्ययन करने पर ज़ोर दिया जाता था। योग्य और अनुभवी मुरीद/शिष्य (*Pupil*) को शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता था।

समकालीन परिदृश्य

आधुनिक युग में प्राथमिक शिक्षक शिक्षा की उत्पत्ति सन् 1802 में ब्रिटिश काल से मानी जाती है, जब विलियम केरे (William Carey) ने सेराम्पोर में प्राथमिक शिक्षकों के लिए एक नॉर्मल स्कूल (Normal School) स्थापित किया। यह नॉर्मल स्कूल प्राचीन मोनिटोरिअल पद्धति का ही प्रतिरूप था जो कि पारस्परिक निर्देशों पर आधारित था। सन् 1819 में कलकत्ता स्कूल सोसायटी (Calcutta School Society) की स्थापना हुई, जिसका पहला कदम इंग्लैंड की *बेल लंकेस्टेरियन पद्धति* (Bell Lanchesterian System) से शिक्षकों को प्रशिक्षण देना था। सन् 1829 में बॉम्बे की *"द नेटिव एजुकेशन सोसायटी* (The Native Education Society)" और इसी समय *"द एलफ़िन्स्टन इंस्टीट्यूशन* (The Elphinstone Institution)" ने प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कक्षाएँ प्रारंभ कीं। ये संगठन और संस्थान प्रारंभिक रूप में प्राथमिक शिक्षकों के लिए ही बने थे। इसी समय सन् 1854 में लंदन से ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जारी 'वुड' के घोषणा पत्र (Wood's Despatch) जिसे भारत में अंग्रेज़ी शिक्षा का मैग्नाकार्टा कहा जाता है, में सरकार द्वारा स्थापित नए स्कूलों और नए पाठ्यक्रमों हेतु शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए ज़ोर दिया गया। सन् 1856 में "पब्लिक इंस्ट्रक्शन (Public Instruction)" के निदेशक मि. होवार्ड (Mr. Howard) ने मुंबई में अंग्रेज़ी विद्यालयों के सहायक शिक्षकों के औपचारिक प्रशिक्षण हेतु नियमित प्रशिक्षण महाविद्यालयों का सुझाव दिया। परिणामस्वरूप सन् 1856 में मद्रास के सैदापेट में स्थापित "द गवर्मेंट नॉर्मल स्कूल (The Government Normal School)" को नियमित प्रशिक्षण महाविद्यालय में क्रमोन्नत किया गया। सन् 1881 में लाहौर ट्रेनिंग कॉलेज खोला गया। सन् 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग (हंटर आयोग), सन् 1904 में गवर्मेंट ऑफ़ इंडिया रेज़ोल्यूशन (Government of India Resolution), सन् 1917-19 में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग (सेडलर आयोग), सन् 1948-49 में विश्वविद्यालय आयोग (राधाकृष्णन आयोग), राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986 और विभिन्न प्रकार की नीतियों ने प्राथमिक शिक्षक शिक्षा हेतु पृथक-पृथक सुझाव दिए। वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (National Council for Teacher Education) के द्वारा समय-समय पर विभिन्न नीतियाँ बनाई गई हैं। इन्हीं नीतियों के संदर्भ में एन.सी.एफ़.टी.ई. (NCFTE) का निर्माण किया गया है जो कि प्राथमिक शिक्षक शिक्षा के लिए भी आवश्यक दिशा-निर्देशों का दस्तावेज़ है।

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 10 5/26/2017 9:26:52 AM

प्राथमिक शिक्षक शिक्षा की ओर दो कदम और डाइट की स्थापना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986 में उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान को प्रारंभिक शिक्षा की ज़िम्मेदारी दी गई। केवल ये ही वे संस्थान थे जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा के लिए बैचलर ऑफ़ एलीमेंट्री एजुकेशन (Bachelor of Elementry Education) पाठ्यक्रम प्रारंभ किया। इसी क्रम में ज़िला स्तर पर डाइट की स्थापना की गई। ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण देना था। इसके लिए स्थानीय और ज़मीनी स्तर पर विभिन्न रणनीतियाँ बनाना और पाठ्यक्रम में स्थानीय भूगोल, परंपराएँ, लोकगीत, किंवदंतियाँ, दंतकथाएँ, स्थानीय जंगल, मेले, स्थानीय जनसंख्या, सांस्कृतिक प्रदर्शनी, त्योहार, खेती, उद्योग, उद्यम, हस्तशिल्प, समुदाय, जनजातियाँ इत्यादि आस-पास के वातावरण एवं परिस्थितियों के ज्ञान से संबंधित विषय-वस्तु शामिल कर पाठ्यवस्तु बनानी थी। नियमित और संपूरक (Cumulative) मूल्यांकन हेतु दिशा-निर्देश और तकनीकी का विकास करना था और साथ-ही-साथ अवलोकन, निदान, प्रतिभा-पहचान हेतु परीक्षण, प्रश्न-पत्र निर्माण, कार्यशालाओं का आयोजन भी अपेक्षित था। यशपाल समिति (1993) ने अपनी रिपोर्ट (Learning Without Burden, 1993) में संकेत किया कि शिक्षकों को तैयार करने के लिए अपर्याप्त कार्यक्रमों की वजह से विद्यालयों में सीखने की गुणवत्ता कम हो रही है जो अपने आप में शिक्षक-प्रशिक्षक की बेहद खराब स्थिति की तरफ़ संकेत करता है।

दूरस्थ शिक्षा में प्राथमिक शिक्षक हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में पहले से ही कार्यरत प्राथमिक शिक्षकों के लिए दृश्य-श्रव्य कार्यक्रम, रेडियो प्रसारण कार्यक्रम, टेली-कॉन्फ्रेंसिंग आदि द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। यह ऐसी व्यवस्था है जिसमें शिक्षक स्वयं सीख कर अन्य को भी प्रशिक्षित कर सकता है।

एन. सी. एफ. टी. ई. एवं प्राथमिक शिक्षा

एक लंबा समय बीत जाने के बाद भी प्राथमिक शिक्षा का स्तर बुनियादी मुकाम भी हासिल नहीं कर पाया है। प्राथमिक शिक्षा में शिक्षक का विशेष महत्व है। शिक्षा और शिक्षक हमेशा से चर्चा का विषय रहा है, इसमें भी प्राथमिक शिक्षक तो सर्वदा केंद्र में रहता है। अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों में तो पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक ही नहीं रहते। प्राथमिक शिक्षा की दुर्दशा के लिए किसे दोष दें और किसे नहीं, परंतु विभिन्न प्रकार की नीतियों ने भी कुछ नया परिवर्तन लाने का कार्य नहीं किया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (Right to Education Regulation)1 अप्रैल 2010 को लागू होने से लेकर आज तक प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन की स्थिति कुछ खास वृद्धि करती नहीं दिखाई देती है।

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 11 5/26/2017 9:26:52 AM

इसी क्रम में शिक्षक-शिक्षा की दशा को सुधारने एवं बेहतर बनाने के लिए सन् 2009-10 में एन.सी.एफ़. टी.ई. (National Curriculum Framework for Teacher Education) का निर्माण मोहम्मद अख़्तर सिद्दीक़ी की अध्यक्षता में किया गया।

प्राथमिक शिक्षक शिक्षा की आवश्यकता

सन् 1976 से पहले शिक्षा राज्य सूची का विषय था लेकिन 44वें संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया, जिसके दूरगामी परिणामों के हम साक्षी हैं। भारतीय संविधान में सन् 2002 में 86वाँ संशोधन कर सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के द्वारा निश्चित समय में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु 6-14 वर्ष तक के बालकों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। बाद में शिक्षा के अधिकार (Right to Education) को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। सामान्य रूप से एक प्राथमिक शिक्षक को प्राथमिक शिक्षा में स्नातक उपाधि की आवश्यकता होती है। प्राथमिक शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए निरंतर किए गए प्रयासों में सर्व शिक्षा अभियान (SSA), शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक एवं अनूठी शिक्षा, मध्याह्न भोजन योजना (Mid-day Meal), निगरानी पद्धति, ज़िला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (DPEP), महिला समाख्या योजना, अध्यापक शिक्षा योजना, राष्ट्रीय बाल भवन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE), शिक्षा का अधिकार (RTE) कानून, प्राथमिक शिक्षा कोष, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (NLM), प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय आदि प्रमुख हैं।

ASER, 2014 (Annual Status of Education Report, 2014) द्वारा जनवरी, 2015 में 15206 सरकारी विद्यालयों के प्राथमिक खंडों के सर्वेक्षण पर पाया गया कि 2010 में छात्र-शिक्षक अनुपात 2014 से कम था, जबकि कक्षा-कक्ष और शिक्षक अनुपात 2010 में 2014 के बजाय अधिक था अर्थात् 2010 से

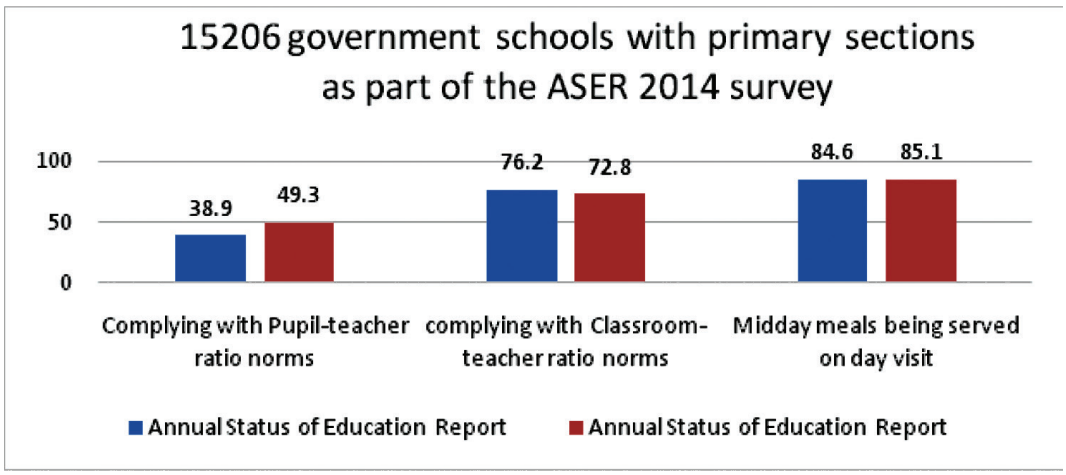

स्रोत— asercentre.org/pratham.orgnnual Status

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 12 5/26/2017 9:26:52 AM

लेकर 2014 तक छात्रों का नामांकन बढ़ने के बाद इन चार वर्षों में शिक्षकों की संख्या में जितनी आनुपातिक वृद्धि होनी चाहिए थी, उतनी नहीं हुई और न ही विद्यालयों में ढांचागत परिवर्तन किए गए। इसके विपरीत 2010 तक जो ढांचागत सुविधाएँ विद्यालयों को दी गईं वो विद्यार्थियों के नामांकन कम होने के कारण उपयोग में नहीं आईं।

प्राथमिक प्रशिक्षक के लिए अत्यावश्यक प्रशिक्षण

1. **स्व-अनुशासन का प्रशिक्षण** — एक प्रशिक्षक, प्रशिक्षण के द्वारा नित्य-प्रतिदिन की कार्यप्रणाली में प्रत्येक कार्य समय एवं अवसर को ध्यान में रखकर करता है। यह नियमित व्यवस्था उसकी जैविक घड़ी को जागृत कर स्व-अनुशासन में सहायता करती है, जो प्रशिक्षकों एवं विद्यार्थियों को स्व-प्रेरणा हेतु अभिप्रेरित करती है।
2. **हस्त कौशलों के विकास के लिए प्रशिक्षण**— प्राथमिक प्रशिक्षक अपने प्रशिक्षण के दौरान स्वयं करके सीखने का प्रशिक्षण लेता है। शिक्षण के लिए पाठ्य सहायक सामग्री वह स्वयं निर्मित करता है और यही अनुभव उसके हस्त कौशलों का विकास करता है। इस प्रकार से प्रशिक्षित शिक्षक 'करके सीखने' की पद्धति को बढ़ावा देता है एवं अन्य शिक्षकों को प्रशिक्षित करता है।
3. **बाल-केंद्रित शिक्षा के लिए प्रशिक्षण**— वर्तमान में शिक्षा बाल-केंद्रित है, लेकिन एक प्राथमिक शिक्षक को यह समझना ज़रूरी है कि वास्तव में बाल-केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है? बालकों के स्वरों, अनुभवों और सक्रिय सहभागिता को सम्मिलित करते हुए शिक्षा प्रदान करना 'बाल-केंद्रित शिक्षा' कहलाता है। अत: शिक्षा को बाल-केंद्रित कैसे किया जाए, इस बात पर बल देना आवश्यक है।
4. **स्वभाव नियंत्रण हेतु प्रशिक्षण**— प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु बाल मनोविज्ञान विषय का अध्ययन कर बालक के वृद्धि-विकास, सीखने की गति, सीखने के अवरोध, व्यक्तिगत विभिन्नताओं (Individual difference) आदि के बारे में जानकारी लेता है और यह जान पाता है कि एक बालक को सिखाने के लिए अपने आवेगों पर नियंत्रण कितना आवश्यक है।
5. **आवश्यकताओं के ज्ञान का प्रशिक्षण**— प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न विषयों का अध्ययन कर एवं शिक्षण अभ्यास के द्वारा प्रशिक्षु स्वयं के अनुभवों से बालक, शिक्षा और समाज की आवश्यकताओं की अनुभूति करता है। वह एक बुनकर के रूप में बालक का सुई की तरह उपयोग कर समाज के हाशिए पर शिक्षा के धागे से संस्कृति का ताना-बाना बुनता है।
6. **समायोजन का प्रशिक्षण**— एक प्रशिक्षु अपने प्रशिक्षण में व्यक्ति, वस्तुओं और परिस्थितियों के साथ सामंजस्य करना सीखता है और यही सामंजस्य उसके आंतरिक संतुलन में सहायता करता है। एक संतुलित शिक्षक शांत चित्त

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 13 5/26/2017 9:26:52 AM

से विचारों का आदान-प्रदान कर ज्ञान और आविष्कारों का सृजन करने में बालक की सहायता करता है।

7. **शांति के लिए शिक्षा का प्रशिक्षण**— कहावत है कि नींव की ईंट जितनी मज़बूत होगी, कंगूरे उतने ही स्थायी होंगे। यदि एक शिक्षक व्यक्तित्व निर्माण की आधारशिला को मज़बूती से रखता है, तभी वह संस्कृति को पोषण प्रदान करता है। इसके लिए प्राथमिक शिक्षक को शिक्षा जानने के लिए, शिक्षित करने के लिए एवं शिक्षा के साथ-साथ जीने के लिए, के संप्रत्यय को समझना होगा। एक आदर्श रूप में शिक्षक बालक के मन में विद्यमान रहता है। इसलिए शिक्षक वह बागवान है जो अज्ञानता की खरपतवार को नष्ट कर ज्ञान और संस्कृति का बीज बोता है।

8. **पाठ्य-सहगामी क्रियाओं का प्रशिक्षण**— एक शिक्षक के प्रशिक्षण में अध्यापन के गुणों के प्रशिक्षण के साथ-साथ खेल-कूद, गायन, वादन, अभिनय का प्रशिक्षण भी होना चाहिए ताकि वह बालक के सभी आयामों का विकास करने में मदद कर सके। खेल के मैदान और अभिनय के रंगमंच का उतना ही महत्व है, जितना कि कक्षा-कक्ष का।

9. **अनुभवों के अनुप्रयोगों का प्रशिक्षण**— एक शिक्षक भी अपने शैशवावस्था से लेकर मृत्युपर्यंत समय और परिस्थितियों से अनुभव ग्रहण करता है। कभी-कभी अनुभव, नियम को असत्य साबित कर देते हैं। यदि शिक्षक को अपने अनुभवों का सही प्रयोग करने का प्रशिक्षण दिया जाए तो वह समाज और राष्ट्र के लिए पथ-प्रदर्शक का कार्य करेगा।

10. **बहुसंचार माध्यमों का प्रशिक्षण** — आज के आधुनिक युग में इन्फ़ोर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी (Information Communication Technology) शिक्षण और प्रशिक्षण का व्यापक और सर्वसुलभ साधन है। नवाचारों की यह तकनीकी एक शिक्षक के लिए अध्ययन, अध्यापन एवं मूल्यांकन करने में उपयोगी है। एक शिक्षक को मोबाइल और कंप्यूटर जैसे तकनीकी उपकरणों को तो समझना ही होगा। संचार के आधुनिक माध्यमों को समझे बिना अध्यापक प्रशिक्षण का कार्य अधूरा ही रहेगा।

प्राथमिक शिक्षक शिक्षा हेतु एन.सी.एफ़.टी.ई. की सिफ़ारिशें

शिक्षक शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार प्राथमिक शिक्षक शिक्षा में चिंतनशील शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए की गई सिफ़ारिशें निम्न हैं –

1. **प्राथमिक शिक्षक शिक्षा को सुधारने की आवश्यकता**— प्राथमिक शिक्षक शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षक का व्यावसायिक रूप से विकास करने की आवश्यकता है, इसके लिए अभ्यास और कौशलों में गुणात्मक और परिमाणात्मक वृद्धि करनी होगी। उदाहरण के लिए, मास्टर ऑफ़ एजुकेशन (एम.एड.) कार्यक्रम सेकेंडरी शिक्षक शिक्षा की आवश्यकता

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 14 5/26/2017 9:26:52 AM

को देखते हुए बनाया गया है। प्राथमिक शिक्षक शिक्षा के लिए इसमें कोई स्थान नहीं है।

2. **प्रवेश योग्यता एवं प्रशिक्षण अवधि को बढ़ाना**— एक प्रवीण प्राथमिक शिक्षक के लिए प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु योग्यता एकात्मक (Unitary) करनी होगी ताकि गुणवत्ता से समझौता न हो और प्रशिक्षण अवधि को भी बढ़ाया जाना चाहिए ताकि विभिन्न कौशलों में दक्षता हासिल हो सके। चार वर्षीय समन्वित उपाधि कार्यक्रम श्रेष्ठ उदाहरण है। जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय का प्राथमिक शिक्षा में स्नातक (Bachelor of Elementary Education) कार्यक्रम।

3. **बालक की मनो-सामाजिक आवश्यकताओं को समझने एवं उसके अधिगम को आसान बनाने के लिए शिक्षाशास्त्र का आवश्यक ज्ञान**— एक प्राथमिक शिक्षक को बालक के वृद्धि-विकास, प्रकृति, क्षमताएँ, रुचि, मनोवृत्ति आदि को जानने और अधिगम कराने के लिए शिक्षाशास्त्र और मनोविज्ञान का ज्ञान होना अत्यावश्यक है।

4. **सहयोगी पाठ्यचर्या योजना में पाठ्यचर्या प्रतिरूप निर्माण संगठन और सभी हितधारी वर्ग को शामिल करना** — प्राथमिक शिक्षक शिक्षा को क्रमोन्नत करने के लिए पाठ्यचर्या में बदलते परिप्रेक्ष्य के अनुसार परिवर्तन किए जाने चाहिए। इसके लिए हितधारी वर्ग को सम्मिलित करते हुए उन सभी संगठनों के प्रस्ताव भी आमंत्रित किए जाएँ जो कि शिक्षक-शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष योगदान दे रहे हैं और दे सकते हैं।

5. **प्राथमिक शिक्षा में विशेष रूप से योग्य शिक्षक-प्रशिक्षकों की आवश्यकता को समझना**— सामान्य शिक्षा में समावेशित शिक्षा के समावेश के लिए प्रथम आवश्यकता है कि सामान्य विद्यालयों में विशेष शिक्षकों की ज़रूरत महसूस करना और दूसरा पूर्व में नियुक्त सामान्य शिक्षकों के लिए आवश्यक आधारभूत प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

सारांश

प्राचीन मिथक "शिक्षक जन्म लेते हैं बनाए नहीं जाते" को त्यागकर आज नया अध्याय "शिक्षक तैयार किए जाते हैं, जन्म नहीं लेते" को अपनाने की आवश्यकता है। एक अध्यापक को केवल ज्ञान होना ही नहीं, अपितु ज्ञान के विस्तार के लिए विभिन्न कौशलों में भी पारंगत होना होगा। एन.सी.एफ़.टी.ई. का मूल भाव है कि ज्ञान देने के लिए है, न कि ज्ञान लेने के लिए अर्थात् प्राथमिक शिक्षक को विद्यार्थी के समीप जाने की प्रवृत्ति अपनानी होगी। प्राथमिक शिक्षक को अधिक भाषा प्रवीणता (Proficiency) लाने के प्रयास करने होंगे चाहे वह भाषा का शिक्षक है या नहीं।

"इस समय शिक्षा की औपचारिक पद्धति और देश की समृद्धि तथा विविध सांस्कृतिक परंपराओं के बीच एक खाई है, जिसे पाटना आवश्यक है। आधुनिक टेक्नालॉजी की धुन में यह नहीं होना चाहिए कि नई पीढ़ी भारतीय इतिहास और संस्कृति के मूल से ही कट जाए।" (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986)

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 15 5/26/2017 9:26:52 AM

एक अबोध बालक की तरह प्राथमिक शिक्षक को पक्षपात रहित एवं कोमल हृदय होने की आवश्यकता है। एक प्राथमिक शिक्षक को चुंबक (आकर्षण बल से अपनी तरफ़ खींचता है) के बजाय इत्र (सुगंध से स्वयं आकर्षित होकर खींचे चले जाते हैं) की तरह होने का प्रयास करना चाहिए। समाज और राष्ट्र की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए शिक्षक-प्रशिक्षकों को इस योग्य बनाया जाए कि वे शिक्षार्थियों के बीच रहकर उनकी देखभाल भी कर सकें। व्यक्तिगत अनुभवों से सीखने व सिखाने को प्रेरित करें। उनमें चिंतनशील होने की प्रवृत्ति को जाग्रत करें। ज्ञान को केवल पुस्तक की सीमाओं में रहकर ही न देखें। कार्य चाहे सामाजिक हो, प्रशासनिक अथवा व्यावसायिक, उसे व्यावहारिकता के साथ करने का गुण विकसित करने हेतु प्रेरित करें।

संदर्भ

एपल, माइकल डब्ल्यू और बीन, जेम्स ए. 2011. 'कक्षा से सीखें सबक.' *लोकतांत्रिक विद्यालय*. एकलव्य, भोपाल, मध्यप्रदेश, भारत.

एन.सी.ई.आर.टी. 1988. *नेशनल करिकुलम फ़ॉर एलिमेन्ट्री एंड सेकंडरी एजुकेशन*. एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली, इंडिया.

एन.सी.टी.ई. 2009. *नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फ़ॉर टीचर एजुकेशन: टुवार्ड्स प्रिपेरिंग प्रोफ़ेशनल एंड ह्यूमेन टीचर*. नेशनल काउंसिल फ़ॉर टीचर एजुकेशन. नयी दिल्ली.

एस.जे., एस. जे. 2013. 'एन एनालिटिकल एंड कंपेरिटिव स्टडी ऑफ़ आई.सी.एस.ई., सी.बी.एस.ई. एंड झारखंड.' *जर्नल ऑफ़ एजुकेशन रिसर्च एक्सपेरिमेंटेशन एंड इन्नोवेशन*. 3(5), पृ. 1-16.

एल., सी. 1992. *हैंडबुक ऑफ़ रिसर्च ऑन करिकुलम*. (वॉल्यूम. पी.जैक्सन). मैकमिलन. न्यूयॉर्क.

कौर, एस. 2013. दिसंबर. 'प्रेज़ेंट सीनेरियो ऑफ़ टीचर एजुकेशन इन इंडिया.' *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ सांइस रिसर्च (आई. जे.एस.आर.)*. 2(12), 262-264.

गोयल, डी. सी. गोयल और आर. माधवी. 2010. *एब्स्ट्रेक्ट ऑफ़ रिसर्च स्टडीज़ कंडक्टेड बाय टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया*. द एम.एस. यूनिवर्सिटी ऑफ़ बड़ौदा, वड़ोदरा.

ग्रीनबर्ग, ड. 2013. *अब हम आज़ाद हैं— सडबरी वैली स्कूल,* प्रथम मुद्रण. प. य. कुशवाहा, (अनुवादक). एकलव्य. भोपाल, मध्यप्रदेश, भारत.

चंद्रशेखर, के. 2001. *'प्राइमरी स्कूल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम—एन इवैल्यूएटिंग स्टडी ऑफ़ डी.आई.ई.टी.'* डिस्कवरी पब्लिशिंग हाउस, नयी दिल्ली.

डैश, एम. 2000. *एजुकेशन इन इंडिया—प्रोब्लम्स एंड पर्सपेक्टिव्स*. एथलैंटिक पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रिब्यूटर्स, नयी दिल्ली.

परमेश्वरम, ओ.पी. 2010. 'डेवलपमेंट ऑफ़ आर्ट एजुकेशन करिकुलम एट द सेकंडरी स्कूल लेवल.' इन डी. गोयल, एंड आर. माधवी. *अबस्ट्रेक्ट ऑफ रिसर्च स्टडीज़ कडंक्टेड बाय टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया*. द एम. एस यूनिवर्सिटी ऑफ़ बडौदा, वडोदरा. वॉल्यूम III, पृष्ठ 316-318.

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 16 5/26/2017 9:26:53 AM

बालसरा, एम. 2002. *एडमिनिस्ट्रेशन एंड रीऑर्गेनाज़ेशन ऑफ़ टीचर एजुकेशन.* कनिश्का पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स. नयी दिल्ली.

भट्टाचारजी, जे. 2015, जुलाई. 'प्रोग्रेस ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया— ए डिस्कशन फ्रॉम पास्ट टू प्रेज़ेन्ट.' *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ ह्यूमनिटीज़ एंड सोशल साइंस स्टडीज़.* II(I). 213-222.

यशपाल कमीटी रिपोर्ट. 1993. एम.एच.आर.डी. गवर्मेंट ऑफ़ इंडिया. नयी दिल्ली.

होल्ट, जे. 1993. *बच्चे असफ़ल कैसे होते हैं,* दूसरा पुनर्मुद्रण. प. य. कुशवाहा, (अनुवादक). एकलव्य, भोपाल, मध्यप्रदेश, भारत.

___. 2010. *असफ़ल स्कूल,* पहला पुनर्मुद्रण. अ. गुप्ता, (अनुवादक). एकलव्य, भोपाल, मध्यप्रदेश, भारत.

___. 2011. *शिक्षा की बजाय — चीज़ों को बेहतर ढंग से करने के तरीके,* दूसरा पुनर्मुद्रण. स. जोशी. (अनुवादक). एकलव्य, भोपाल, मध्यप्रदेश, भारत.

___. 2014. *बचपन से पलायन — बच्चों की आवश्यकताएँ व अधिकार,* दूसरा पुनर्मुद्रण. प. य. कुशवाहा, (अनुवादक). एकलव्य, भोपाल, मध्यप्रदेश, भारत.

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 17 5/26/2017 9:26:53 AM

3

कला और संस्कृति के प्रति जागरूकता सांस्कृतिक स्त्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र, संस्कृति मंत्रालय (भारत सरकार)

*आशुतोष**

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने 'नई तालीम' अर्थात् बुनियादी शिक्षा योजना में शिक्षा की नयी अवधारणा को प्रस्तुत किया था। इस शिक्षा योजना में गाँधी जी की परिकल्पना थी कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों के शरीर, हृदय, मन और आत्मा का सामंजस्यपूर्ण विकास कर सके अर्थात् बच्चों में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक गुणों का विकास किया जा सके।

गाँधी जी के अनुसार शिक्षा ऐसी हो जो आर्थिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर सके जिससे सभी बालक आत्मिनिर्भर बन सकें। उन्होंने शारीरिक श्रम को महत्व देते हुए हस्त शिल्पकला के माध्यम से जीविकोपार्जन करने की सीख दी तथा यह सुझाव दिया गया कि शिल्प की शिक्षा ऐसी दी जाए जिससे सभी बच्चे उसके सामाजिक एवं वैज्ञानिक महत्व को समझ सकें।

गाँधी जी ने संस्कृति को शिक्षा का आधार माना जो मानव के व्यवहार में परिलक्षित हो सकें। उपरोक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखकर शिक्षा को संस्कृति के साथ जोड़ने के उद्देश्य को लेकर संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की एक प्रमुख संस्था सांस्कृतिक स्त्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र (सी.सी.आर.टी.), नयी दिल्ली, अध्यापकों व छात्रों के लिए विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित करती है। सांस्कृतिक स्त्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र देश की एक अग्रणी संस्था है जो शिक्षा को संस्कृति के साथ समन्वय का कार्य कर रही है। इसकी स्थापना 1979 में श्रीमती कमलादेवी चट्टोपाध्याय एवं डॉ. कपिला वात्स्यायन जैसे भारतीय संस्कृति, कला तथा शिक्षा के क्षेत्र के असाधारण व्यक्तित्व द्वारा की गई।

* *क्षेत्रीय अधिकारी*, सांस्कृतिक स्त्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, 15 ए, सेक्टर-7, द्वारका, नयी दिल्ली 110075

सांस्कृतिक स्त्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र, संस्कृति आधारित सार्थक शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग देते रहे हैं। इसका मुख्यालय नयी दिल्ली में है। इसके तीन क्षेत्रीय केंद्र हैं – हैदराबाद, उदयपुर एवं गुवाहाटी जो भारतीय कला और संस्कृति के व्यापक प्रचार-प्रसार में अपना योगदान दे रहे हैं।

सांस्कृतिक स्त्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र का मुख्य लक्ष्य देशभर के सेवारत शिक्षकों-प्रशिक्षकों, शैक्षिक-प्रशासकों, छात्रों हेतु विविध प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करना है। इन शैक्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत सांस्कृतिक पुस्तक-पुस्तिकाएँ, दृश्य-श्रव्य सामग्री देशभर की कला एवं शिल्पपरक सामग्री, स्लाइड, फ़ोटोग्राफ़, फ़िल्मों आदि द्वारा पाठ्यक्रम शिक्षण में सांस्कृतिक तत्वों को सम्मिलित करने पर विशेष बल दिया जाता है।

इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लाभ देशभर के सरकारी विद्यालयों में सेवारत शिक्षकों एवं छात्रों को मिल रहा है। इस केंद्र के माध्यम से मार्च, 2015 कुल 156349 सरकारी विद्यालयों में सेवारत शिक्षक/शिक्षिकाएँ एवं 673508 छात्र /छात्राओं को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षित किया जा चुका है। देशभर के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों हेतु केंद्र द्वारा मुख्यत: अनुस्थापन पाठ्यक्रम, विभिन्न कार्यशालाओं के अंतर्गत शिक्षा में पुतलीकला की भूमिका, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण में विद्यालयों की भूमिका समाजोपयोगी उत्पादक कार्य, हमारी सांस्कृतिक विविधता, शिक्षा में नाट्य कलाएँ, केंद्र द्वारा प्रशिक्षित शिक्षकों हेतु पुनश्चर्या पाठ्यक्रम एवं सेमिनार जैसे महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

केंद्र देशभर से पांडुलिपियों को एकत्रित करने एवं उसे प्रलेखित करने का कार्य भी कर रही है। केंद्र, सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना, युवा कलाकारों हेतु विभिन्न कला क्षेत्रों में छात्रवृत्ति की योजना एवं संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में गहन अनुसंधान हेतु फ़ैलोशिप जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को क्रियान्वित भी करती है।

स्कूली पाठ्यक्रम पर आयोजित विस्तृत चर्चाओं में सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों, जैसे— नृत्य, नाटक, संगीत, दृश्य-कलाएँ, साहित्य इत्यादि पर प्राय: कम ध्यान दिया जाता है। इस अध्येय को ध्यान में रखते हुए केंद्र द्वारा देशभर के सरकारी विद्यालयों में सांस्कृतिक क्लब की स्थापना का कार्य भी किया जाता है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों में भारत की समृद्ध प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानने हेतु प्रेरित करना है। इस सांस्कृतिक क्लब की स्थापना इन विद्यालयों में ही की जाती है, जहाँ केंद्र द्वारा प्रशिक्षित शिक्षक कार्य कर रहे हैं। इन सांस्कृतिक क्लबों के माध्यम से विद्यार्थियों के बीच भारतीय सांस्कृतिक इतिहास का अध्ययन, व्याख्यान / वार्ता का आयोजन, स्थानीय धरोहरों का अध्ययन, स्थानीय ऐतिहासिक स्मारकों का अध्ययन एवं शैक्षिक भ्रमण, क्षेत्रीय पारंपरिक कलाकारों / शिल्पकारों से बातचीत जैसी मुख्य गतिविधियों का आयोजन किया जाता है।

'सी.सी.आर.टी.' की अन्य एक महत्वपूर्ण योजना विस्तार सेवा एवं समुदाय पुनर्निवेश कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत सरकारी विद्यालयों एवं

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 19 5/26/2017 9:26:53 AM

गैर-सरकारी संगठनों में अध्ययनरत छात्रों के लिए प्रकृति एवं कला में निहित सौंदर्य के प्रति संवेदनशील बनाने तथा उन्हें रचनात्मक गतिविधियों में सम्मिलित करने हेतु कई प्रकार की शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन करती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से सी.सी. आर.टी. शिल्पकलाओं, शास्त्रीय नृत्य एवं लोकनृत्य, भारतीय कला तथा संस्कृति के विविध पहलुओं पर स्लाइड-व्याख्यान तथा ऐतिहासिक स्मारकों, संग्रहालयों एवं कला विधि पर शैक्षिक भ्रमण का आयोजन करती है। इन विभिन्न माध्यमों से केंद्र प्रत्येक वर्ष लगभग एक लाख बच्चों को देशभर में प्रशिक्षित करती है। इस योजना के माध्यम से छात्रों को भारत की समृद्ध प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक धरोहरों के प्रति जागरूक किया जाता है एवं उन्हें उसके संरक्षण में भाग लेने का सुअवसर मिलता है। शिक्षा को संस्कृति के साथ जोड़ने के उद्देश्य लेकर ही सी.सी.आर.टी. द्वारा 'कला तथा संस्कृति के प्रति जागरूकता' विषय पर प्रतिवर्ष दिनांक 18-28 मई तक केंद्र के परिसर में एक विशेष ग्रीष्मकालीन कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। इस दस-दिवसीय ग्रीष्मकालीन कार्यशाला में 09-13 आयु वर्ग के लगभग 300 बच्चे भाग लेते हैं।

इस कार्यशाला के दौरान कला तथा शिल्प से संबंधित विभिन्न शैक्षिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। हाल ही में दिनांक 18-28 मई 2016 तक सी.सी.आर.टी. के सुंदर प्रांगण में प्रकृति के बीच ग्रीष्मकालीन कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में रंगमंच शिक्षा, लोकनृत्य, भारतीय भाषाओं के गीत सीखना, जीवन कौशल का विकास, सुलेखन तथा कहानी कहने की कला जैसे कलात्मक विषयों में बच्चों को प्रशिक्षण दिया गया। कला गतिविधियों के अतिरिक्त हस्तशिल्प विधाओं में चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाना, कागज़ के खिलौने बनाना, मधुबनी चित्रकला, रंगोली, मुखौटे बनाना, मिट्टी के खिलौने बनाना, जिल्दसाज़ी, मैकरेम, बांधनी भित्तिचित्रण, पतंग बनाना, पेपर मेशी, मोतियों की माला बनाना, बैंत का कार्य, पट्चित्रण इत्यादि पर देश के विभिन्न भागों से आए शिल्पकारों/कलाकारों ने स्थानीय स्तर पर 284 बच्चों को प्रशिक्षित किया।

इस कार्यशाला में बच्चों ने बहुत उत्साह से कला गतिविधियों के साथ-साथ हस्त शिल्पकला से संबंधित विभिन्न गतिविधियों में प्रतिभागिता की एवं अपने हाथों से बनाई शिल्पकला का प्रदर्शन किया। राजस्थान, बिहार, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से आए शिल्पकलाकारों ने बच्चों के साथ मिलकर दस दिन तक इस कार्यशाला में कार्य किया। जिसमें ज़्यादातर शिल्पकारों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त है।

भारत जैसे सांस्कृतिक विविधता वाले देश में पुरानी विधाओं को प्राचीनकाल से ही बहुत महत्त्व प्राप्त है। आधुनिक काल में मशीनीकरण के बावजूद भारतीय हस्तशिल्प बेहद चर्चित और आकर्षण का केंद्र रहा है। ऐसे में नयी पीढ़ी को भी इन हस्तशिल्प क्षेत्रों के महत्त्व से अवगत कराने एवं पारंपरिक हस्तशिल्प में बच्चों के कौशल विकास के उद्देश्य से भी यह कार्यशाला बेहद सफ़ल रही।

केंद्र के प्रशिक्षण कार्यक्रमों, छात्रवृत्ति, फ़ैलोशिप एवं अन्य आयोजित की जाने वाली शैक्षिक गतिविधियों की पूरी जानकारी केंद्र की वेबसाइट www.ccrtindia.gov.in पर भी उपलब्ध है।

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 20 5/26/2017 9:26:53 AM

4

दृश्य कला चित्रों की मनोविश्लेषणात्मक समीक्षा

*प्रतिभा**

कला मानवीय भावनाओं के विरेचन का एक अच्छा माध्यम है, इसके द्वारा कलाकार को एक आनंदानुभूति होती है जो कि भौतिक ऊर्जा प्रक्रिया का फल है। कला के इस नूतन महत्व को फ्रायड ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसके व्यक्तिगत मानसिक भावों से जोड़कर प्रस्तुत किया तथा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के आधार पर अनेक कलाकारों के कला चित्रों का विश्लेषण किया है।

प्रस्तुत लेख के अंतर्गत मनोविश्लेषणात्मक विचारधारा के आधार पर कलाक्षेत्र में प्रसिद्ध कलाकारों यथा लियोनार्डो द विंसी, वानगो आदि के कला चित्रों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। कला के मूल में दमित भावनाएँ होती हैं। इसी को उदाहरणों द्वारा सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि मनुष्य के चेतन और अचेतन मन के द्वंद्वों तथा दमित प्रवृत्तियों में शक्ति के उदात्तीकरण तथा नाना सृजन करने की क्षमता होती है और यही अचेतन द्वंद्व तथा दमित प्रवृत्तियाँ कलाकारों के चित्रों में झलकती हैं। प्रस्तुत विश्लेषणात्मक अध्ययन न केवल अचेतन द्वंद्वों एवं दमित प्रवृत्तियों के अस्तित्व को प्रस्तुत करता है, बल्कि प्रसिद्ध कलाकारों के विचार, द्वंद्व, दमित भावनाओं को उनकी कला के माध्यम से समझने का अवसर भी प्रदान करता है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005) में कला शिक्षा के महत्व को उजागर करते हुए स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है कि 'कला के महत्व की अधिक समय तक उपेक्षा नहीं कर सकते और हमें बच्चों में कला संबंधी जागरूकता व रुचि के प्रसार-प्रोत्साहन के लिए सारे संभावित संसाधन और सारी ऊर्जा लगा देनी चाहिए। भारत कला, धर्मनिरपेक्षता और सांस्कृतिक विविधता का जीता-जागता उदाहरण है। उसमें देश के हर भाग के लोक और शास्त्रीय गायन, नृत्य, संगीत, पुतले बनाना, मिट्टी का काम आदि शामिल हैं। इनमें से किसी भी कला का अध्ययन हमारे युवा विद्यार्थियों के ज्ञान को न केवल समृद्ध करेगा, बल्कि वह स्कूल के बाहर भी जीवन भर उनके काम आएगा।

दृश्य और प्रदर्शन, दोनों ही कलाओं को पाठ्यचर्या में शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाए जाने की ज़रूरत है। बच्चे इन क्षेत्रों में केवल मनोरंजन के लिए ही कौशल हासिल न करें, बल्कि और भी दक्षताएँ विकसित करें। कला पाठ्यचर्या के द्वारा विद्यार्थियों को देश की विविध कलात्मक परंपराओं से परिचय करवाना चाहिए। कला शिक्षा आवश्यक रूप से एक उपकरण और विषय के रूप में शिक्षा का हिस्सा (कक्षा 10 तक) हो और हर स्कूल में इससे

*302, वृन्दावन, ग्रीन अपार्टमेंट, जी.टी. रोड, साहिबाबाद, गाज़ियाबाद 201005

संबंधित सुविधाएँ हों। कला के अंतर्गत – संगीत, नृत्य, कला और नाटक – चारों को शामिल किया जाना चाहिए। कला के महत्व के संबंध में अभिभावकों, स्कूल अधिकारियों और प्रशासकों को अवगत कराए जाने की ज़रूरत है। कला शिक्षण में ज़ोर सीखने पर हो, न कि सिखाने पर और यह दृश्य सहभागिता पर आधारित हो।

वस्तुत: सौंदर्य व कला के विभिन्न रूपों को समझना, उसका आनंद उठाना, मानव जीवन का अभिन्न अंग है। कला, साहित्य और ज्ञान के अन्य क्षेत्रों में सृजनात्मकता का एक-दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। बच्चे की रचनात्मक अभिव्यक्ति और सौंदर्यात्मक आस्वादन की क्षमता के विस्तार के लिए साधन और अवसर मुहैया कराना शिक्षा का अनिवार्य कर्तव्य है। आज जबकि बाज़ार की शक्तियों में मतों व अभिरुचियों को प्रभावित करने की गुंजाइश ज़्यादा है, सौंदर्य की समझ व रचनात्मकता के लिए शिक्षा की महत्ता और भी बढ़ गई है। विद्यार्थी को सौंदर्य के विभिन्न रूपों को समझने व उनका विवेचन करने में समर्थ बनाने का प्रयास होना चाहिए।

समीक्षात्मक रूप में देखा जाए तो सौंदर्यशास्त्र की मनोविश्लेषणात्मक परंपरा कला समीक्षा के क्षेत्र में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सौंदर्यशास्त्रियों ने कला समीक्षा के लिए अनेक दृष्टिकोण दिए। कभी उन्होंने चित्रों की समीक्षा उनके भौतिक स्वरूप या दैनिक सौंदर्य के आधार पर की, कभी उससे उत्पन्न होने वाली मानसिक प्रक्रियाओं के आधार पर इसको समझा। किंतु मनोविश्लेषणात्मक विचारधारा में कलाकार की मानसिक अवस्था को ही अध्ययन का आधार बनाया गया। विद्वानों ने यह माना कि मनोवैज्ञानिक युग में चित्र देखना, समझना, अनुभव करना या आनंद प्राप्त करना, इन सभी की प्रक्रिया एक समान ही होती है अर्थात् कलाकार अपने चित्र रचना में जिस मानसिक प्रक्रिया से गुज़रता है, दर्शक भी उसी प्रक्रिया से गुज़रता है और इनका मानना है कि यदि दर्शक कलाकार के समान उस मानसिक प्रक्रिया से गुज़रेगा, तभी वह उस चित्र का यथार्थ आनंद ले पाएगा।

मनोविश्लेषणात्मक अवधारणा

सरल शब्दों में मनोविश्लेषण का अर्थ है 'मन का विश्लेषण' अर्थात् मन के विषय में जानना। मनोविश्लेषणात्मक विचारधारा मनोविज्ञान की ऐसी शाखा है, जिसमें विशेषत: अंतर-दर्शन के द्वारा मानसिक प्रक्रियाओं को जानकर मन का विश्लेषण किया जाता है। मनोविज्ञान की दुनिया में मनोविश्लेषणवाद का उद्भव 19वीं शताब्दी में वियना के प्रसिद्ध मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉ. सिग्मंड फ्रायड के द्वारा किया गया।

फ्रायड की मनोविश्लेषणात्मक विचारधारा का जन्म शरीर चिकित्साशास्त्र से हुआ और इसमें इन्होंने माना कि मानसिक वृत्तियों का प्रभाव मनुष्य के शरीर पर पड़ता है। उनका मानना था कि कलाकार की कृतियों द्वारा उसके अंतर्मन को समझा जा सकता है।

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 22 5/26/2017 9:26:54 AM

दृश्य कला चित्रों की मनोविश्लेषणात्मक समीक्षा

फ्रायड के अनुसार कलाकार की कृतियों द्वारा कलाकार के अंतर्मन के रहस्यों को प्रस्तुत किया जा सकता है और कलाकार का अध्ययन करने पर उसकी मानसिक प्रक्रियाओं द्वारा उसकी कृति में निहित मनोवैज्ञानिक गहराइयों को भी समझा जा सकता है। लेकिन इसका संबंध नैतिक या सौंदर्यबोधात्मक मूल्यों से नहीं होगा। फ्रायड की विचारधारा कला के विश्लेषण में प्रस्तुत तरीकों, बिंबों, कल्पनाओं और अभिव्यंजनाओं के पीछे निहित अवचेतन, स्वप्न व प्रजातिगत स्मृतियों के ताने-बाने को सुलझाती है। इसी प्रकार कलाकार के व्यक्तित्व, अवचेतन और अंतर्जगत का उद्घाटन करके कला में उनके विभिन्न परिवर्तित स्वरूपों को स्पष्ट करना ही इसका लक्ष्य है। इस प्रकार मनोविश्लेषण का केंद्रीय उद्देश्य कलाकार अथवा पात्र के अंतर्मन में प्रवेश करना है। इसके लिए साहचर्य अथवा स्वप्न विश्लेषण आदि के द्वारा अवचेतन द्वंद्वों और ग्रंथियों को प्रकट करना आदि साधन है।

कला के क्षेत्र में फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को अधिक महत्वपूर्ण माना है और इसके आधार पर विशेष रूप से माइकल एंजेलो, लियोनार्डो, रैफ़ेल तथा बाद में डाली, वानगो व अन्य कलाकारों के चित्रों का विश्लेषण किया। फ्रायड ने कला के मूल में दमित काम प्रवृत्ति को माना है और उदाहरणों के द्वारा उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास भी किया है।

फ्रायड का मानना था कि कलाकार के जीवन में उसके अचेतन का बहुत योगदान होता है और अनेक बार कलाकार ऐसे आकारों या घटनाओं को चित्रित करता है जो उसके अचेतन में होती हैं और इसी तथ्य का विश्लेषण उन्होंने लियोनार्डो के चित्रों को देखने के बाद एवं विशेष रूप से उसके बारे में उसके समकालीन मनोवैज्ञानिकों के विचार पढ़ने के बाद तथा साथ-ही-साथ लियोनार्डो के विषय में उसकी खुद की टिप्पणियाँ पढ़ने के बाद किया। फ्रायड ने लियोनार्डो के चित्रों की नए रूप में व्याख्या की। फ्रायड ने लियोनार्डो के जीवन को आधार बनाते हुए उसके बचपन के जीवन को और उसकी बाल्यकाल की घटनाओं को अधिक महत्व दिया।

लियोनार्डो के विषय में कहा जाता है कि वह एक अवैध संतान था और उसके जन्म के बाद उसकी माँ केटरीना के पास वह पाँच वर्ष की आयु तक रहा। उस समय उसके पिता से उसका कोई संपर्क नहीं था। किंतु बाद में उसे उसके पिता ले गए और लियोनार्डो अपनी सौतेली माँ डोना अलबेरिया के साथ रहने लगा। डोना की माँ भी साथ रहती थी और इस प्रकार लियोनार्डो को बाल्यकाल में तीन महिलाओं का निकट संपर्क प्राप्त हुआ। इसके बारे में फ्रायड का मानना है कि लियोनार्डो को अपनी माँ से बहुत ज़्यादा लगाव रहा और बाद में सौतेली माँ के साथ रहने पर उसने बनावटी प्रेम का अनुभव किया। फ्रायड का मानना है कि अपने बचपन की स्मृतियों में लियोनार्डो ने अपनी दोनों माँ की मुस्कुराहट को हमेशा दिमाग में रखा। अत: इनके

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 23 5/26/2017 9:26:54 AM

अनुसार लियोनार्डो के चित्रों में चित्रित स्त्रियों की मुस्कुराहट में कुछ रहस्यों का भाव प्रस्तुत हुआ। कहीं उसकी स्त्री आकृतियाँ आत्मीयता से या सहज निश्छल रूप से मुस्कुराती महसूस होती हैं, कभी अनायास ही उनमें उदासी का अनुभव भी महसूस किया जा सकता है तथा कुछ आकृतियों में प्रयास करके मुस्कुराने का भाव भी दिखाई देता है।

लियोनार्डो के चित्रों से फ्रायड ने यह विश्लेषित करने की चेष्टा की, कि कलाकार अपने जीवन की कुछ प्रवृत्तियों को त्याग नहीं पाता है और कभी-कभी अपनी महत्वकांक्षाओं, इच्छाओं और काल्पनिक दुनिया, जिससे कि वह जुड़ा होता है, वह उसे नए तथ्य के रूप में बदलकर अपने चित्रों के द्वारा प्रस्तुत कर देता है। दूसरे शब्दों में कहें कि यदि वह अपनी इच्छाओं को दैनिक बाधाओं से दबा देता है और इसे अपने अचेतन में डाल देता है, तो कभी-कभी उसकी वे प्रवृत्तियाँ उसके अर्द्धचेतन मन से उसकी रचनात्मकता के द्वारा बाहर आती हैं और जब दर्शक इन चित्रों को देखता है तो उसके अंदर दबी हुई इच्छाएँ या स्मृतियाँ उसे दिखाई देती हैं। इस प्रकार दर्शक के मन की भावनाएँ या अर्द्धचेतन स्मृतियाँ अनायास ही उन चित्रों को देखकर प्रकट हो जाती हैं और इस अनुभव से दर्शक को आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है।

फ्रायड के विचारों को स्पष्ट करने के लिए हम वानगो द्वारा निर्मित कृति द *पोटैटो ईटर्स (The Potato Eaters)* का भी उदाहरण ले सकते है। वानगो ने अपने जीवन काल में बहुत संघर्ष किया तथा गरीबों और मानवीय दुखों के प्रति वे अत्यधिक संवेदनशील थे। वानगो ने किसानों, मज़दूरों की दयनीय स्थिति के साथ-साथ उनकी आशा तथा कठोर कर्मसाधना को केनवास पर अभिव्यक्त किया, क्योंकि कहीं न कहीं वे अपने जीवन संघर्ष को उनके जीवन संर्घष से जोड़ते थे और उनके जीवन को माध्यम बनाकर अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करते थे, अपने चित्रों में अपने अर्द्धचेतन जगत को प्रस्तुत करते थे।

द *पोटैटो ईटर्स* कृति में पूरा दिन कठोर परिश्रम करने के बाद भी मज़दूर परिवार में एक आशा की किरण है, इस आशा की किरण को वानगो ने गहराई तक समझा और अभिव्यत किया है। अत: फ्रायड के इस मत की पुष्टि होती है कि कलाकार और उसके चित्रण में सामान्य जीवन को परिष्कृत करने की क्षमता होती है।

निष्कर्ष

उपरोक्त विश्लेषणात्मक अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि फ्रायड ने कला के एक नए महत्व को प्रत्येक व्यक्ति के लिए उस स्तर पर प्रस्तुत किया, जिसे पहले नहीं किया गया। कला केवल दृश्य गुण की सौंदर्यात्मक प्रक्रिया ही नहीं वरन् व्यक्तिगत मानसिक भावों से भी जुड़ी होती है। अत: फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के द्वारा कला क्षेत्र को एक नयी परिभाषा प्रदान की है। इस सिद्धांत के द्वारा कला जगत के नए तथ्य हमारे सामने आए तथा कलाकार और कृतियों को गहराई से समझा जा सका। इस लेख में प्रस्तुत की गई समीक्षा अपने आप में एक प्रमाण है। फिर भी अनेक विद्वान फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 24 5/26/2017 9:26:54 AM

सहमत नहीं हैं क्योंकि उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का अवलोकन या विश्लेषण अलग-अलग होता है। परंतु इन सब विवादों के बावजूद भी फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत अपना विशेष महत्व रखता है, जो कि विभिन्न चित्रों के विश्लेषण करने से स्वत: ही दृष्टिगत हो जाता है।

उपरोक्त अध्ययन के आधार पर यदि विद्यालयों में दृश्य कला शिक्षण की उपयोगिता का आकलन किया जाए तो यह स्पष्टत: कहा जा सकता है कि कला शिक्षण का विद्यार्थियों के जीवन में अत्यंत महत्व है। उनके द्वारा बनाए गए दृश्य कला चित्रों के माध्यम से न केवल दमित भावनाओं, अवचेतन और अचेतन मन के द्वंदों तथा दमित प्रवृत्तियों को जाना जा सकता है, बल्कि उनके संपूर्ण व्यक्तित्व को समझा जा सकता है। जिसके फलस्वरूप शैक्षिक क्रियाकलापों को नव आयाम प्रदान कर विद्यार्थियों में सकारात्मक दृष्टिकोण का बीजारोपण किया जा सकता है। निष्कर्षत: यह कहना उचित ही होगा कि दृश्य कला चित्रों की मनोविश्लेषणात्मक समीक्षा विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकती है, जिसकी वर्तमान में महती आवश्यकता है।

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 25 5/26/2017 9:26:54 AM

5

दैनिक जीवन में गणित

*भानु प्रताप सिंह**

कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसका दैनिक जीवन में गणित से सामना न हुआ हो। गणित एक ऐसा विषय है जिससे सभी का सामना होता है। एक शिक्षक एवं शिक्षार्थी को ही गणित सीखने की आवश्यकता नहीं होती, अपितु एक किसान को भी अपने खेत की माप हेतु गणित की आवश्यकता होती है। सभी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गणित का भरपूर प्रयोग करते हैं परंतु यदि गणित सीखने की बात कही जाए तो उसके नाम से ही कुछ व्यक्तियों को कंपन होने लगता है। ऐसा क्यों? बचपन में छात्र गणित से बहुत भागते हैं।

वह गणित विषय ही नहीं, अपितु गणित के शिक्षक से भी घबराते हैं। इनमें से किसी एक का भी नाम आने पर पसीना आने लगता है। गणित सीखने के दौरान कुछ लोगों को यह पसंद आया और कुछ को गणित के कड़वे अनुभव चखने पड़े, ऐसा क्यों? मूल प्रश्न यह है कि गणित में ऐसी क्या ''खासियत'' है कि लोगों की इसमें अलग-अलग भावनाएँ पैदा होती हैं। उत्तर स्पष्ट है— गणित को प्रस्तुत करना अर्थात् सिखाने के तरीकों का दोषपूर्ण होना। गणित सीखने वाले छात्रों एवं सिखाने वाले शिक्षकों को यह बात स्पष्ट रूप से जानना आवश्यक है।

गणित हमारे चारों ओर है, यह शक्तिशाली एवं सबसे सुंदर होने के साथ-साथ हर क्षेत्र में उपयोगी भी है।

गणितीय कथन/परिभाषाएँ सुनिश्चित, स्पष्ट एवं तार्किक रूप से सिद्ध करने योग्य हैं।

बहुत से लोगों के लिए गणित केवल एक विषय है जो विद्यालयों में पढ़ाया जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि गणित एक ऐसा शस्त्र है, जिसकी सहायता से जीवन की बहुत-सी समस्याओं पर जीत हासिल की जा सकती है। उदाहरणस्वरूप—बढ़ई को फ़र्नीचर (कुर्सी, मेज़ आदि) बनाने में, दर्ज़ी को कपड़े (कमीज़, पेंट आदि) बनाने में, व्यापारी को हिसाब-किताब (आय, व्यय, लाभ, हानि आदि) रखने में तथा सामान्य व्यक्ति को दैनिक कार्यों हेतु भी गणित एवं उसके सिद्धांतों की आवश्यकता होती है।

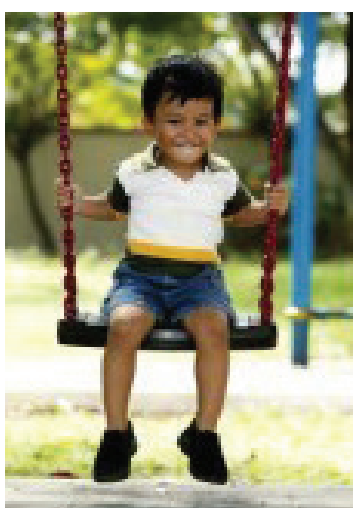

* *सहायक क्षेत्रीय निदेशक,* 3/310, मैरिस रोड, इग्नू क्षेत्रीय केंद्र, अलीगढ़ (उ.प्र.) 202001

फलत: गणित हमारे चारों ओर पाई जाने वाली लगभग हर चीज़ में है। रंगोली की रचना, कपड़ों के डिज़ाइन और छापे, नृत्य, संगीत, रेल टिकट या रसोई में काम आदि में भी गणित का प्रयोग होता है। गणित मनुष्य जीवन का महत्वपूर्ण अंग है और जीवन के सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। कथन को ठोस बनाने के लिए एक स्थिति पर विचार कीजिए—

एक छोटा बच्चा निर्मल अपने घर के आँगन में नीम के पेड़ पर झूला डालकर उस पर झूलना चाहता है, इसके लिए क्या उसे गणित की ज़रूरत है? झूला डालने के लिए उसे एक रस्सी एवं पेड़ की मज़बूत डाल (शाखा) की आवश्यकता है और उसके ज़ेहन में कई प्रश्न हैं यथा—

1. डाल कितनी ऊँची होनी चाहिए?
2. रस्सी कितनी लंबी होनी चाहिए?
3. क्या रस्सी की लंबाई का डाल की ऊँचाई से कोई संबंध है?

इन सामान्य प्रश्नों के उत्तरों को प्राप्त करने हेतु गणित का ज्ञान होना आवश्यक है।

यदि हम दूसरा उदाहरण देखें, रमन को शंक्वाकार तंबू बनाना है। उसके लिए कितना कपड़ा चाहिए इसकी गणना गणित की सहायता से आसानी से की जा सकती है, जैसे— 4 मीटर ऊँचाई एवं 6 मीटर व्यास का तंबू बनाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए?

हल— तंबू की ऊँचाई (h) = 4 मीटर

तंबू के आधार (वृत्त) की त्रिज्या (r)

= व्यास/2= 6/2 मीटर = 3 मीटर

तंबू की तिर्यक ऊँचाई = l

$= (4)^2+(3)^2$

$= 16+9$

$= 25 = 5$ मीटर

तंबू का वक्रपृष्ठ (प्रयुक्त कपड़े का क्षेत्र) = πx3x5=15π वर्ग मीटर = 47.1 वर्ग मीटर। गणित, एक ऐसा वैज्ञानिक विषय है, जिसके सिद्धांत एवं नियम प्रायोगिक रूप से सिद्ध किए जा सकते हैं। शिक्षक गणित की पाठ्य सामग्री की गतिविधियों के माध्यम से अपने विद्यार्थियों तक सुगमता एवं आनंदमय तरीके से पहुँचा सकते हैं।

गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों को केवल गणित का ज्ञान देना ही नहीं, बल्कि बच्चे की गणितीय क्षमताओं का विकास करना भी है ताकि वह गणितीय ढंग से सोच सके, तर्क कर सके और परिणाम निकाल सके।

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 27 5/26/2017 9:26:54 AM

गणित शिक्षा की समस्याएँ

1. बच्चे गणित को कठिन समझकर डरते हैं और इस विषय में असफ़लता से भयभीत रहते हैं और गणित की पढ़ाई से विमुख हो जाते हैं।
2. पुरातन पाठयक्रम होने के नाते यह विद्यार्थियों के लिए चुनौतीपूर्ण व निराशाजनक साबित होता है, क्योंकि इसमें रटने का स्थान ज़्यादा है बजाय तर्क, चिंतन व अभ्यास के।
3. गणित की समस्याएँ, अभ्यास व मूल्यांकन पद्धति यांत्रिक हैं और दुहरावग्रस्त हैं। इसमें संभावना पर अत्यधिक ज़ोर दिया जाता है।
4. अध्यापकों में नवाचार की कमी के साथ-साथ उनके आत्मविश्वास, तैयारी व समुचित सहायक सामग्री की कमी है।

चूँकि गणित एक अनिवार्य आवश्यकता है, अत: स्तरीय गणित शिक्षा का अधिकार प्रत्येक बच्चे को है। यह शिक्षा सुखकर व सहज होनी चाहिए।

आदर्श गणित शिक्षा एवं उसका प्रारूप

- बच्चे गणित से भयभीत होने के बजाए उसका आनंद उठा सकें।
- बच्चे गणित शिक्षा को दैनिक जीवन से जोड़कर आत्मसात् कर सकें।
- विद्यार्थी गणित पर बात कर सकें व साथ-साथ काम कर सकें।
- विद्यार्थी को सार्थक प्रश्न पूछने, चर्चा करने के लिए प्रेरित किया जा सके।
- बच्चे अमूर्त का प्रयोग संबंधों को समझने, कथनों की सत्यता-असत्यता को लेकर तर्क करने आदि के लिए कर सकें।
- गणित की मूल संरचना को समझ सकें।

बच्चों को गणित के मूलभूत नियमों के परिचय की भी आवश्यकता होती है, जैसे– $3 \times 4 = 4 \times 3$ क्यों?

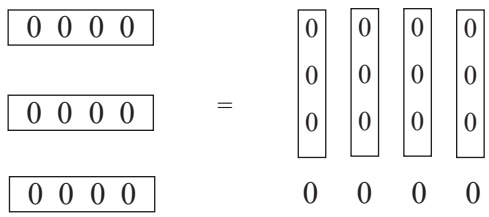

चार के तीन समूह — तीन के चार समूह

$3 \times 4 = 12$ — $4 \times 3 = 12$

दोनों पक्षों के उत्तर समान हैं। अत: $3 \times 4 = 4 \times 3$

प्रत्यक्षीकरण और निरूपेण जैसी शिक्षा विकसित करने में गणित सहायक सिद्ध हो सकता है। परिमाण, आकार व रूपों का प्रयोग करके स्थितियों का प्रतिरूपण करने में गणित का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग हो सकता है।

जैसे गणितीय सूत्र $(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$ को हम क्षेत्रफल के सिद्धांत का प्रयोग करके सरलता से समझ सकते हैं।

दोनों वर्ग बराबर हैं। अत: दोनों के क्षेत्रफल समान हैं।

पहले वर्ग का क्षेत्रफल = दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल

भुजा × भुजा = चारों भागों के क्षेत्रफलों का योग

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 28 5/26/2017 9:26:55 AM

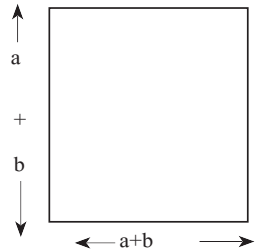

=

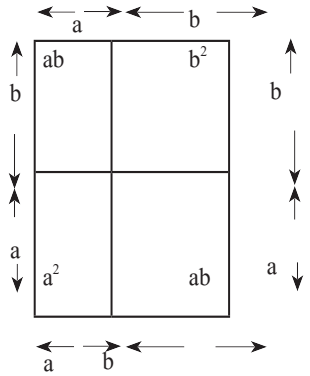

$(a+b) \times (a+b) = a^2 + b^2 + ab + ab$

$(a+b) = a^2 + b^2 + ab + ab$

$(a+b) = a^2 + b^2 + 2ab$

इसी प्रकार हम वृत्त के क्षेत्रफल आदि को सत्यापित कर सकते हैं।

वृत का क्षेत्रफल =आयत का क्षेत्रफल

(क्योंकि आयत का निर्माण वृत्त के टुकड़ों को छोटे-छोटे भागों में बाँट कर किया गया है।)

अत: वृत का क्षेत्रफल πr^2 सिद्ध हुआ

उपरोक्त गणितीय अवधारणाओं को भली-भाँति समझने तथा गणितीय तथ्यों को सरलतापूर्वक ग्रहण करने में गणित प्रयोगशालाएँ अभूतपूर्व भूमिका निभा रही हैं। गणित प्रयोगशाला में छात्र स्वयं करके गणितीय तथ्यों का सत्यापन करता है। गणित प्रयोगशाला के महत्व को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय महाविद्यालय शिक्षा बोर्ड ने सभी विद्यालयों के लिए गणित प्रयोगशाला या गणित कॉर्नर रखने का प्रावधान रखा है।

मैथ गार्डेन— प्रकृति का सानिध्य सम्मोहन पैदा करता है। प्रकृति का प्रत्येक घटक अपने आप में कुछ न कुछ गणितीय तथ्य समाहित रखता है। पेड़-पौधों के माध्यम से भी विभिन्न गणितीय तथ्यों को आत्मसात् किया जा सकता है। पत्तियों की आकृति, फूलों का

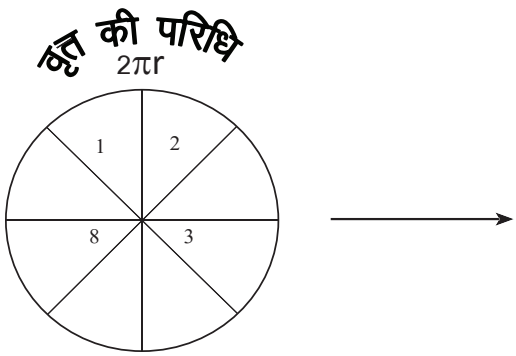

चित्रानुसार वृत्त को छोटे-छोटे भागों में बाँट कर एक आयत के रूप में इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि आधी परिधि दायीं और आधी परिधि बायीं ओर रहे।

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 29 5/26/2017 9:26:55 AM

आकार, सजावटी पौधों की बाड़, पेड़ों के तने, पौधों के उपयोग से बनाई गई विभिन्न ज्यामितीय आकृतियाँ, और भी न जाने क्या-क्या। जितना सोचते हैं, उतने ही नए रोचक ख्याल आते हैं मन में। विद्यालय का एक छोटा भाग मैथ गार्डेन के रूप में विकसित किया जा सकता है। विभिन्न आकार-प्रकार वाले पौधे, ज़मीन पर पत्थर, रेत और मिट्टी आदि द्वारा बनाई गई सुंदर ज्यामितीय आकृतियाँ, द्विविमीय तथा त्रिविमीय मॉडल सारी परिस्थिति को ही गणित के रंग में रंग देंगे और जो ज्ञान मिलेगा, वह भी अद्वितीय होगा। शत्भुजाकार या किसी अन्य ज्यामितीय आकृति में बनाया गया मैथ गार्डेन सच में किसी भी विद्यालय का गौरव हो सकता है।

मैथ वॉल — विद्यालय का एक भाग, जहाँ कुछ चीज़ें तो रेडीमेड पेंट करा दी जाएँ, जैसे— महत्वपूर्ण तथ्य, पायथागोरस प्रमेय, विभिन्न सूत्र, गणित-विद्वानों की फ़ोटो और उनकी जीवनियाँ आदि और कुछ भाग कार्य करेगा नोटिस बोर्ड की तरह, जहाँ रोज़ चाक या मार्कर के माध्यम से नए-नए तथ्य तथा जानकारी लिखी जाए। अगर संभव हो तो विद्यालय की कक्षाओं को एक टाइम टेबल दे दिया जाए जिसके अनुसार वे बारी-बारी से मैथ वॉल पर अपनी जानकारी लिखें। लिखने वाले और देखने वाले दोनों का ही ज्ञानवर्धन करेगी— मैथ वॉल। हम देखेंगे कि अनायास ही हमने रिसर्च को एक क्रियात्मक रूप दे दिया है। विद्यालय का यह हिस्सा बच्चों का सामान्य ज्ञान अद्भुत आकाश तक पहुँचा देगा।

गणित पत्रिका— विद्यालय पत्रिका प्लान का एक अनिवार्य घटक है। इसी प्रकार बच्चों की भागीदारी से हस्तलिखित गणित पत्रिका एक या दो महीनों में संकलित की जा सकती है। बच्चों से ए4 साइज़ पेपर में योगदान लेकर तथा संपूर्ण संकलन फ़ाइल में संजोकर वाचनालय में प्रदर्शित किया जा सकता है। सर्वश्रेष्ठ लेखों को पुरस्कार देकर गणित पत्रिका में योगदान को और भी लोकप्रिय बनाया जा सकता है। विद्यालय के बच्चों द्वारा बनाई गई यह पत्रिका, बच्चों की क्रियात्मकता का एक अद्वितीय उदाहरण होगी।

मैथ प्रदर्शनी— महीने में एक दिन बच्चों की गणित विषय से संबंधित सामग्रियों को प्रदर्शित किया जाए। बड़े बच्चों का योगदान छोटों को अभिप्रेरित करेगा तो छोटे बच्चों की भागीदारी प्रदर्शनी का दायरा बढ़ा कर इसे एक आकर्षक रूप प्रदान करेगी। प्रदर्शनी को विषयवार भी आयोजित किया जा सकता है। एक बार का विषय हो त्रिभुज, तो एक बार हम लें संख्याएँ। चार्ट पेपर हो, मॉडल हो, कलाकृति हो, जो भी हो, पर हो गणित से संबंधित, हम देखेंगे कि हमारी प्रदर्शनी एक छोटी-मोटी एंसाइक्लोपीडिया बन गई है। इस प्रदर्शनी का एक फ़ायदा ये भी होगा कि इससे प्रति वर्ष होने वाली विज्ञान प्रदर्शनी के लिए बढ़िया विकल्प मिल जाएँगे।

मैथ क्लब— बच्चों का योगदान बढ़ाने के लिए विभिन्न कक्षाओं के बच्चों का एक समूह बनाया जाए। ये समूह विभिन्न गतिविधियों का निर्धारण करे। चाहे वह गणितीय पत्रिका का संपादन करना हो, सी.सी.ए. में क्विज़ का आयोजन हो, गणित विषय में

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 30 5/26/2017 9:26:55 AM

रोज़गार 'व्यवसाय परामर्श' (career counselling) संबंधी संगोष्ठी का आयोजन हो।

बच्चों की भागीदारी जितनी ज़्यादा होगी गणितीय चेतना उतनी ही समृद्ध होगी। क्लब के बच्चे मैथ गार्डेन, मैथ वॉल, मैथ लैब की स्वयं ही देखभाल कर लेंगे। आखिर विद्यालय का एक प्रमुख उद्देश्य है, बच्चों में अंतर्निहित नेतृत्व क्षमता विकसित करना, मैथ क्लब इस उद्देश्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

गणित प्रयोशाला या गणित कॉर्नर

कहावत है,'प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या', गणित प्रयोग-शाला वह जादुई कक्ष है जो गणित के सिद्धांतों को ठोस धरातल प्रदान कर सकती है। विभिन्न आकारों यथा— शंकु, बेलन, घन, घनाभ, त्रिभुज आदि विभिन्न तथ्य, जैसे— आयतन और क्षेत्रफल में अंतर, संख्या सिद्धांत, विभिन्न ज्यामितीय तथ्य, जैसे— समरूपता, सर्वांगसमता, पायथागोरस प्रमेय आदि का प्रदर्शन गणित प्रयोगशाला को विद्यालय का सर्वाधिक मोहक कक्ष बना सकता है। सोने पर सुहागा तब होगा, जब विद्यार्थी अपने स्वनिर्मित प्रतिकृति (मॉडल्स) द्वारा इन सिद्धांतों को प्रदर्शित करें। विभिन्न गणितीय क्रियाकलापों के चार्टों से सुसज्जित गणित प्रयोगशाला की दीवारें किसी जादूगर के इंद्रजाल का हिस्सा प्रतीत होंगे। कितना बढ़िया हो कि गणित प्रयोगशाला का द्वार विद्यालय के संपूर्ण समय में खुला रहे, बच्चे जब-तब आएँ और विभिन्न गणितीय तथ्यों को आत्मसात् करें।

गणित प्रयोगशाला या गणित कॉर्नर का महत्व

1. विद्यार्थी विभिन्न क्रियाकलापों से गणित के कठिन प्रत्ययों को आसानी से समझ जाते हैं।
2. विद्यार्थी सरल से कठिन, स्थूल से सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त करते हैं।
3. विद्यार्थी आपस में चर्चा, विचार द्वारा नए प्रतिमानों को ग्रहण करते हैं।
4. विद्यार्थी चार्ट, मॉडल की सहायता से गणित को सरल रूप में सीखते हैं।

गणित शिक्षा को सरल व सुगम बनाने हेतु सुझाव

1. गणित शिक्षा दैनिक जीवन की समस्याओं को जोड़कर देनी चाहिए ताकि छात्र गणित की उपयोगिता समझकर रुचिपूर्वक गणित को समझने का प्रयास कर सकें।
2. प्रत्येक विद्यालय में गणित की प्रयोगशालाएँ होनी चाहिए, जहाँ पर विद्यार्थी गणित का प्रयोग करके गणित की कठिन अवधारणाओं को सरल रूप से समझ सकें।
3. गणित विज्ञान के सिद्धांत 'करके सीखें' पर आधारित होने चाहिए।
4. गणित के अध्यापकों को गणित में होने वाले नवाचारों को समझने हेतु, समस्याओं को नए ढंग से सुलझाने हेतु, छात्रों का कठिनाई स्तर समझने हेतु, प्रतिवर्ष सेवारत प्रशिक्षण आदि होना चाहिए।

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 31 5/26/2017 9:26:56 AM

5. विद्यालय में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करने हेतु समय-समय पर गणितीय प्रतियोगिताओं का आयोजन विद्यालय स्तर, जनपद स्तर तथा मंडल या राज्य स्तर पर होना चाहिए।
6. गणित शिक्षकों की कार्यशाला अथवा सेमिनार का आयोजन करना चाहिए ताकि नवाचारों पर चिंतन एवं विचारों का आदान-प्रदान हो सके।
7. पाठ्यक्रम प्रणाली, परीक्षा प्रणाली तथा मूल्यांकन विधि पूरे देश में एकसमान होनी चाहिए।
8. गणित शिक्षा खेल-खेल में शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए।

शेक्सपीयर ने कहा था की सारी दुनिया रंगमंच है, यही कुछ गणित की कक्षा के संदर्भ में भी सत्य है— समस्त प्रकृति ही एक कक्षा है। भय मुक्त कक्षा शंका को धरातल नहीं देती। यह सब निर्भर करता है कि शिक्षक का दृष्टिकोण कैसा है। यह आवश्यक है कि शिक्षक बच्चों की जिज्ञासाओं का समुचित निवारण करें। समस्याओं के हल हेतु दैनिक उदाहरणों के प्रयोग से अध्ययन विषय की उलझन को सुलझन में बदल देता है। यदि चिकित्सक मुस्कान लिए हुए हो तो रोगी का आधा रोग तो स्वयं ही समाप्त हो जाता है, इसी प्रकार, यदि गणित शिक्षक सहृदय हो और कक्षा में सदैव मुस्कराता रहता हो और यदि उसका वाणी कोश—'शाबाश', बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, ये हुई ना बात, आदि मनमोहक शब्दों से भरा पड़ा हो तो कक्षा का वातावरण किसी युद्ध स्थल की तरह न होकर एक बगीचे की तरह प्रतीत होगा। जीवंत और जीवित आदर्श कक्षा वह है, जिसमें विद्यार्थी निर्भयता से अपनी शंकाएँ पूछें और शिक्षक संपूर्ण धैर्य के साथ विद्यार्थियों के प्रश्नों को सुनें और फिर उन प्रश्नों को सर्वथा अनूठे पक्ष के साथ उत्तरित करें। ध्यान रहे कि— 'शिक्षक वही अच्छा है, जिसमें जीवित एक बच्चा है।'

एक बालक अपने जीवन का प्रथम तर्क अपनी गणित की कक्षा में ही करता है— यदि चार सेब बीस रुपये के हैं तो एक सेब कितने का होगा? या फिर, दो और दो का योग चार ही क्यों होता है, तीन या पाँच क्यों नहीं? यही तार्किकता भविष्य की क्रांतिकारी खोज को आधार प्रदान करती है। गणित जिसके मूल सिद्धांत दैनिक जीवन से सीधे संबंध रखते हैं, फिर भी विद्यार्थियों में गणित का नाम सुनकर एक अजीब-सा भय उत्पन्न हो जाता है। गणित के मूल तथ्यों को भली-भाँति समझ न पाने के कारण विद्यार्थियों के लिए गणित एक बड़ा सिरदर्द बना रहता है। गणित के प्रति अरुचि विद्यार्थियों को मानसिक रूप से विकृत कर देती है, जो उसके समस्त शारीरिक व मानसिक विकास को ताक पर रख देती है। गणित जहाँ शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है, वहीं करियर की दृष्टि से भी अनोखा आयाम है। कौन-सा ऐसा जॉब है जो प्राथमिक गणितीय योग्यता नहीं माँगता? अत: आज आवश्यकता है कि गणित शिक्षण की विधियों पर समीक्षात्मक दृष्टि डाली जाए और गणित शिक्षण को और भी मनोरंजक तथा सार्थक बनाया जाए।

महात्मा गाँधी ने ऐसी शिक्षण व्यवस्था की कल्पना की थी, जो सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त हिंसा, अन्याय एवं असमानता को समाप्त कर राष्ट्र

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 32 5/26/2017 9:26:56 AM

को आत्मनिर्भर नागरिक प्रदान कर सके। उन्होंने ऐसे भारत का सपना देखा था, जिसमें बालक अपनी योग्यता व रोज़गारपरक संभावनाओं की तलाश कर सके तथा दूसरों के साथ विश्व के पुनर्निर्माण में सहायक सिद्ध हों। परंतु यह अत्यंत खेद का विषय है कि अत्यंत महत्वपूर्ण होने के बावजूद गणितीय शिक्षा सुगम के बजाय क्लिष्ट होती जा रही है। जो पाठयक्रम एवं विषय रूपरेखा विद्यार्थी आज से दशकों पूर्व पढ़ रहे थे, वही आज भी देखने को मिल रहा है। शिक्षक एवं अभिभावक बच्चों को गणित रटने पर ज़ोर देते हैं। बजाय अमूर्त चिंतन के शिक्षक ऐसे अवसर प्रदान करें जिससे छात्र प्रश्न पूछें, चर्चा करें, चिंतन करें तत्पश्चात् गणितीय अवधारणाओं को आत्मसात् करें। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि किसी भी नीरस विषय को खेलों के माध्यम से रोचक, पठनीय एवं सरस बनाया जा सकता है।

संदर्भ

एन.सी.ई.आर.टी. 2003. *प्राथमिक शिक्षक पत्रिका.* जुलाई 2003. नयी दिल्ली.

चंद्रा, सतीश. 2007. *भारत में शिक्षा का विकास.* लॉयल बुक डिपो, मेरठ.

पाण्डेय, रामशकल. *शिक्षा की समसामयिक समस्याएँ.* विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा.

सी.टी.पी.एम. अध्ययन सामग्री. इग्नू मैदान गढ़ी, नयी दिल्ली.

श्रीवास्तव, अवनि प्रकाश. *गणित का रुचिकर शिक्षण किस प्रकार हो.* स्नातकोत्तर शिक्षक गणित केंद्रीय विद्यालय मिसा जिला, नोगाँव, असम.

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 33 5/26/2017 9:26:56 AM

6

प्रारंभिक स्तर पर शिक्षण की विधा के रूप में नुक्कड़ नाटक

*मेहराज अली**

साहित्य को समाज का प्रतिबिंब माना जाता है। एक ऐसा प्रतिबिंब जो मानव जीवन के सभी पहलुओं को चित्रित करता है। नाटक साहित्य की एक ऐसी विधा है, जो मानव जीवन की जीवंत अभिव्यक्ति प्रस्तुत करती है। देश के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, और सांस्कृतिक क्षेत्रों में व्याप्त मानवीय जीवन की समस्याओं, विषमताओं, विसंगतियों और संघर्षों के विरुद्ध जिस कला माध्यम ने जन आंदोलनों को आधार बनाकर शोषित एवं पीड़ित जनता को एकजुट किया, वह है नुक्कड़ नाटक। 'नुक्कड़ नाटक' नाटक का एक लचीला फ़ॉर्म व शिल्प-विधान है। रंगमंचीय सजगता और सुलभता उच्च उपकरणों का प्रयोग,जनसाधारण के बीच से उभरते जीवंत पात्र, कुछ सीमित समय के अंतराल में किसी गंभीर समस्या का जनभाषा में उद्घाटन कर इसकी व्यावहारिकता, विश्वसनीयता, रोचकता और स्वाभाविकता का प्रमाण देते हैं। जनवादी कला का स्वरूप होने के कारण नुक्कड़ नाटक ने मुझे सदैव आकर्षित किया। अध्ययन के दौरान मुझे नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने के कई अवसर प्राप्त हुए। इसे मैंने जनता को जनता से जोड़ने की कला के रूप में समझा है।

वर्तमान जीवन शैली की गतिशीलता ने मानव को आत्मकेंद्रित बना दिया है, जिसके फलस्वरूप वह अपने तक ही सीमित रह गया है। प्रायः देखा जाता है कि नुक्कड़ या चौक-चौराहा अपने भौगोलिक, सामाजिक एवं स्थानिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उसकी अपनी सांस्कृतिक परंपरा होती है। सूचना, उपदेश, चेतना, अनशन, हड़ताल आदि उस स्थान विशेष (नुक्कड़) को ऐतिहासिक, सामाजिक, एवं सांस्कृतिक अर्थ प्रदान करते हैं। नुक्कड़ या चौक वैसे तो किसी मोहल्ले या बस्ती की गली के कोने को कह दिया जाता है, पर नुक्कड़ सिर्फ़ एक भौगोलिक स्थान मात्र नहीं है। "चौक-चौराहा एक ऐसा स्थान है, जहाँ समाज का हर वर्ग उपस्थित होता है। यह वह जगह है जहाँ पर आम आदमी, जैसे मज़दूर, किसान, शिक्षक, दफ़्तर का बाबू, दुकानदार, बेरोज़गार नवयुवक, मेहनतकश औरतें, रिक्शे-ठेले वाले जैसे श्रमशील लोग एक दूसरे से मिलते हैं, अपना दुःख-सुख साझा करते हुए समय और समाज के प्रतिकूल परिस्थितियों से अपनी अनुकूल जिजीविषा के साथ संघर्ष करते हैं।"[1] इन्हीं के बीच उत्पन्न होता है नुक्कड़ नाटक। एक ऐसा नाटक जिसके लिए किसी

*E-262/H-208, शादीपुर, नयी दिल्ली 110008

[1]प्रज्ञा-नुक्कड़ नाटक—रचना और प्रस्तुति, पृ. 10

विशेष प्रकार के दर्शक की आवश्यकता नहीं होती। वह सबका है। इसलिए नाटक का यह रूप जब देश की आम जनता के साथ जुड़ा तो नाटक वह नहीं रहा, जो वह था।

नुक्कड़ नाटकों का महत्व

नुक्कड़ नाटक आज समाज का सबसे सशक्त हथियार बन गया है। क्योंकि यह वर्तमान को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर पाने में सक्षम है। नुक्कड़ नाटकों ने उस समय जन्म लिया, जब देश में अशांति का माहौल था। समाज में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आदि विषमताएँ व्याप्त थीं। भारतीय जन इनसे रूबरू था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह इनका वैयक्तिक रूप से सामना कर सके। नुक्कड़ नाटकों ने उन्हें एकजुट किया, उन्हें स्थिति से अवगत कराया, हल प्रस्तुत किया, उन्हें प्रोत्साहित किया और यथा स्थिति से लड़ने के लिए तैयार किया।

नाटक का यह नया रूप अपने पारंपरिक ढंग से काफ़ी नया है। यह एक ऐसी विधा है जो नाटक होते हुए भी उसकी सीमाओं को तोड़ती है। इस नाटक का

मंच चार दीवार में बंद कुछ गिने-चुने दर्शकों के समक्ष उपस्थित, रूप-सज्जा, कथ्य और अभिनय से सम्पन्न मंच नहीं है। इस नाटक ने देश के हर स्थल – गली, मोहल्ले, चौक, सड़क के किनारे, पार्क, विद्यालय, महाविद्यालय के प्रांगण, दफ़्तर के अहाते से लेकर कारखाने के दरवाज़े तक सभी को अपना नाट्य मंच बना लिया है। "इसमें देश के राजनीतिक भ्रष्टाचार के प्रति गुस्सा था। रूढ़ सामाजिक परंपराओं और कुरीतियों पर प्रहार था। सांप्रदायिकता का ज़हर फैलाने वाले पंडे-पुरोहितों, मुल्ला-मौलवियों का उपहास था। रोटी, कपड़ा, मकान और पानी, बिजली की किल्लत जैसी समस्याओं के विरोध में उठा आक्रोश था। इसलिए यह नाटक वहाँ-वहाँ गया जहाँ नुक्कड़ था।"

भारत में नुक्कड़ नाटकों का आविर्भाव उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष में जनजागरण को खींच लाने के इप्टा के अभियान के माध्यम के रूप में हुआ। स्वतंत्रता के बाद का दिन-ब-दिन उग्रतर होता हुआ भारतीय परिवेश और मूल्य संक्रमण, वर्ग संघर्ष, शोषण के बीच उभरा तनाव आदि समान रूप से नुक्कड़ नाटक के मूल में निहित रहे हैं। जब साहित्य-रूपी दर्पण में समाज का चेहरा प्रतिबिंबित होने लगता है तो उसे जन-जन तक पहुँचाने के लिए सांस्कृतिक औज़ार की आवश्यकता होती है। नुक्कड़ नाटक उसी औज़ार के रूप में प्रकट हुआ। नुक्कड़ नाटकों ने लोक नाट्य परंपरा से जुड़ते हुए भी परंपरा को समयानुसार नया आयाम और नया संदर्भ प्रदान किया है। आज का नुक्कड़ नाटक प्राचीन लोक नाट्य परंपरा से स्वतंत्र, नवीन अस्तित्व के साथ सामने आया है।

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 35 5/26/2017 9:26:56 AM

नुक्कड़ नाटक की विशेषताएँ

नुक्कड़ नाटक मूल रूप से जीवन की विषमताओं, विडंबनाओं, विसंगतियों और विद्रूपताओं को चित्रित करता है। अपने रोज़मर्रा के जीवन में जिन समस्याओं से आम आदमी का सामना होता है, उन पर चिंतन की क्षमता पैदा करना नुक्कड़ नाटक की मूल विशेषता है। तात्कालिकता इस विधा की पहली शर्त है। कोई भी घटना या समस्या, जो वर्तमान को कुरेद रही हो, जैसे— देश विभाजन, भूख, शोषण, घूसखोरी, आदि इसे काम्य हैं। इसके अतिरिक्त उसके विषय का चुनाव करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि सदैव ही वह उदासीनता या गतानुगिकता से बचा रहे। इसलिए कथ्य एवं शिल्प, दोनों स्तरों पर उसमें एक खानगी होती है, फ़ैलाव नहीं होता, एक समसामयिक धारा प्रवाह क्षिप्रता के साथ विषय, फ़ॉर्म, पात्र, और दर्शक उद्देश्य की ओर बह चलते हैं।

आज समय बदल रहा है। व्यक्ति आज आत्मकेंद्रित होकर अपने समाज से कट गया है। भूमंडलीकरण और बाज़ारवाद के बढ़ते प्रभाव से जहाँ तकनीक के अधिक प्रयोग ने अभिव्यक्ति के माध्यमों को बदल दिया है, वहीं मनुष्य जीवन को भी यंत्रीकृत कर दिया है। व्यावसायिकता के दौर में नुक्कड़ नाटक जैसी जनपक्षीय कला का वर्चस्व भी जनता के बीच कम होता जा रहा है। समाज में नुक्कड़ नाटक के प्रति बढ़ती उदासीनता और व्यावसायिक दृष्टि ने नाटककारों और रंगकर्मियों में भी इसके प्रति अरुचि पैदा कर दी है।

शिक्षा में नुक्कड़ नाटकों की उपयोगिता

नुक्कड़ नाटक का जन्म राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हुआ किंतु आज यह प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रासंगिक हो गया है। शिक्षा के क्षेत्र में नुक्कड़ नाटक की अहम भूमिका रही है। आज देश ग्लोबल हो रहा है, ऐसे में देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो गाँवों में बसता है, वह इस ग्लोबल विश्व से अपरिचित है और यह परिचय केवल शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। साहित्य की अन्य विधाओं, जैसे— उपन्यास तथा कहानी में किसी काल्पनिक या यथार्थ कथा का चित्रण व्यक्ति को विचलित कर सकते हैं, उनमें देश व समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना की ज्योति जला सकते हैं, किन्तु यदि वही कथा उन्हें प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत कर दी जाए तो इसका प्रभाव अधिक व शीघ्र होता है। नाटकों ने सदैव ही समाज को उसकी वास्तविक स्थिति से अवगत भी कराया है और समस्या का समाधान भी प्रस्तुत किया है।

विद्यालयों में आयोजित नुक्कड़ नाटक – कुछ उदाहरण

आज देश के अधिकतर विद्यालयों में नुक्कड़ नाटक का प्रयोग भिन्न-भिन्न विषयों से संबंधित सामाजिक विद्रूपताओं और समस्याओं को उजागर करने और

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 36 5/26/2017 9:26:57 AM

विद्यार्थियों के माध्यम से इनके सुझाव प्रस्तुत करने के प्रयास के रूप में किए जा रहे हैं। इससे संबंधित कुछ विद्यालयों के उदाहरण प्रस्तुत हैं, जिन्होंने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने, किसी क्षेत्र विशेष की समस्या को उजागर करने तथा विद्यालयों में बच्चों का नामांकन बढ़ाने और उन्हें शिक्षा का महत्व बताने का कार्य किया है—

- सोनुवा गोलमुंडा पंचायत के अंतर्गत उत्कृष्ट प्राथमिक विद्यालय टोपोटोला नियमित रूप से शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के तहत कला जत्था द्वारा नुक्कड़ नाटक का मंचन करता रहा है। इसमें कलाकारों के माध्यम से बच्चों को शिक्षित करने के लिए विद्यालय भेजने, जो माता-पिता अपने बच्चों को विद्यालय जाने से रोकते हैं, उन पर सरकार द्वारा की जाने वाली कार्रवाई एवं विद्यालय में बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा सहित नि:शुल्क भोजन, कपड़ा, किताब, पेंसिल, साइकिल समेत अन्य सामान दिए जाने के बारे में जानकारी के साथ-साथ शिक्षा द्वारा होने वाले लाभ से भी अवगत कराया जाता है।
- जबलपुर (मध्यप्रदेश) के बिलाबांग हाई इंटरनेशनल स्कूल का उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है। इसी उद्देश्य के तहत विद्यालय के छात्रों ने साउथ एवेन्यू मॉल में भ्रष्टाचार समस्या पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कक्षा छह व सात के इस सम्मिलित प्रयास ने दर्शकों की वाह-वाही बटोरी। भ्रष्टाचार की जड़ किस प्रकार पूरे विश्व को धीरे-धीरे खोखला करती जा रही है, इसका समूल उन्मूलन अत्यंत आवश्यक है। प्रस्तुत विषय को छात्रों ने अत्यंत सरल व सहज ढंग से दर्शकों के समक्ष रखा। छात्र निश्चय ही अपने उद्देश्य में सफ़ल रहे और तालियों की गडग़ड़ाहट से पूरा मॉल गूँज उठा। विद्यालय ने यह संकल्प लिया कि भविष्य में भी इसी तरह की ज्वलंत समस्याओं के समाधान हेतु इसी प्रकार के नुक्कड़ नाटकों की प्रस्तुति का आयोजन किया जाएगा।
- मानव समाज सेवा सभा, हिलसा (नालंदा बिहार) द्वारा गुटखा छोड़ो आंदोलन चलाया जा रहा है। इसके तहत युवा कार्यकर्ताओं ने और लोक समिति के सहयोग से लॉर्ड कृष्णा उच्च विद्यालय, अमृतनगर उच्च विद्यालय एवं ओरिया के आदर्श राजकीय मध्य विद्यालय में गुटखा, शराब समेत अन्य बुरी आदतों के खिलाफ़ संकल्प लेने का अभियान चलाया। इस अभियान को सफ़ल बनाने हेतु भिन्न-भिन्न स्थलों पर नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया गया।
- ओरिया विद्यालय (राँची) में प्रधानाचार्य तथा अन्य शिक्षकों ने नशामुक्ति संकल्प रथ का स्वागत किया। विद्यालय के छात्रों ने नशा मुक्ति विषय से संबंधित नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर लोगों तक अपना संदेश पहुँचाया तथा छात्र-छात्राओं ने जनता से नशाखोरी के खिलाफ़ आवाज़ उठाने का आग्रह किया ताकि एक बेहतर समाज का निर्माण हो सके।
- हजारीबाग के नवाबगंज स्कूल में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया तथा साथ ही नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बरसात में मच्छरों

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 37 5/26/2017 9:26:57 AM

से उत्पन्न होने वाली बीमारियों से भी बच्चों को अवगत कराया गया और बचाव के तरीके बच्चों को बताए गए। डेंगू से बचने का उपाय भी बच्चों को बताया गया। बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

- श्री कंवरतारा विद्यालय में प्री-प्राइमरी के बच्चों ने ग्रीन डे मनाया। प्री-प्राइमरी सेक्शन में फल, सब्ज़ियों व वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई गई। मोगली उत्सव मनाया गया। कक्षा एक व दो के बच्चों ने विद्यालय परिसर में पौधारोपण किया। कक्षा तीन से पाँच के बच्चों ने श्रीनगर कॉलोनी में रैली निकालकर पौधारोपण कर 'क्लीन इंडिया-ग्रीन इंडिया' का संदेश दिया। विद्यालय के सीनियर विद्यार्थियों ने अंबेडकर चौराहे से शासन अस्पताल होते हुए घंटाघर व बस स्टैंड तक रैली निकाली। बाल श्रम के विरोध में विद्यार्थियों ने हिंदी व अंग्रेज़ी में नुक्कड़ नाटक का मंचन किया। नागरिकों से बाल श्रम रोकने का संकल्प दिलाया।
- करही के ग्लोबल कॉन्सेप्ट स्कूल में पौधारोपण किया गया। प्राइमरी ब्लॉक के बच्चों ने रैली निकालकर नुक्कड़ नाटक किया।
- ज़िला एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत राजकीय महिला महाविद्यालय के परिसर में विश्व एड्स दिवस के अवसर पर जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। नुक्कड़ नाटक में पाँच टीमों ने भाग लिया। टीमों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से छात्राओं को एड्स के प्रति जागरूक किया।

नुक्कड़ नाटक ने समाज में एक विशेष स्थान ग्रहण किया है। शिक्षा संस्थानों, विद्यालयों, महाविद्यालयों में नुक्कड़ नाटक कला के एक विशेष साधन के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। यथा—स्थिति से लड़ने और समाज में व्याप्त कुरीतियों से जनता को अवगत कराने में नुक्कड़ नाटक ने एक विशेष भूमिका निभाई है। विद्यार्थियों में इसके प्रति रुचि बढ़ाने हेतु शिक्षा संस्थानों में नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। विद्यार्थी इनमें भाग लेते हैं और भिन्न-भिन्न विषयों पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करते हैं।

निष्कर्ष

नुक्कड़ नाटक ने समाज की स्थिति को जिस प्रकार समाज के समक्ष प्रस्तुत किया वह एक आधुनिक एवं क्रांतिकारी प्रयास था। नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से समाज में जागरूकता का संदेश पहुँचा। लोगों ने अपने आस-पास घट रही सामाजिक घटनाओं को एवं उसके अमानवीय रूप को पहचानना प्रारंभ किया। विद्यालयों में इसके प्रयोग ने विद्यार्थियों में एक नयी ऊर्जा का संचार किया। स्कूल, कॉलेज, और अन्य शिक्षा संस्थानों ने अपने-अपने स्तर पर इसका प्रयोग किया और इसके महत्व को पहचाना है। एक ओर इसके विषयगत प्रदर्शन ने समाज को वर्तमान स्थिति से रूबरू किया है, तो दूसरी ओर इसने विद्यार्थियों में आत्मशक्ति व आत्मविश्वास का संचार भी किया है। शिक्षा की एक पद्धति "खेल-खेल में सीखना" का यह एक अच्छा उदाहरण है। विद्यालयों में विद्यार्थी इसके माध्यम से समूह में

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 38 5/26/2017 9:26:57 AM

रह कर एक-दूसरे के साथ सहयोग की भावना से परिचित होते हैं। उनमें एकजुट होकर कार्य करने की भावना का विकास होता है।

आज इस विधा को हमें उसी नज़रिये से देखने की ज़रूरत है, जिस नज़र से सफ़दर हाशमी और उनके सहयोगियों ने देखा था। इसका महत्व व्यापक है और जब तक समाज में कुरीतियाँ पनपती रहेंगी, नुक्कड़ नाटक तब तक समाज को उसके छिपे चेहरे से रूबरू कराता रहेगा, ज़रूरत है तो बस इस विधा के प्रति ईमानदार रहने की।

संदर्भ

चंद्रेश. 2006. *नुक्कड़ नाटक*. राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली.

जन नाट्य मंच. *चौक-चौक पर गली-गली में*. भाग-1. दिल्ली.

___. *चौक-चौक पर गली-गली में*. भाग 2. दिल्ली.

जैन, नेमिचन्द्र. 1996. *रंग परंपरा*. द्वितीय संस्करण. वाणी प्रकाशन, दिल्ली.

तनेजा,जयदेव. 1980. *हिंदी रंगकर्म दशा और दिशा*. तक्षशिला प्रकाशन, दिल्ली.

प्रज्ञा (संपादक). 2008. *जनता के बीच जनता की बात (नुक्कड़ नाटक संग्रह)*. वाणी प्रकाशन, दिल्ली.

___. 2006. *नुक्कड़ नाटक— रचना और प्रस्तुति*. राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नयी दिल्ली.

माथुर, जगदीशचन्द्र. 2006. *परंपराशील नाट्य*. राजकमल प्रकाशन, दिल्ली.

ज्ञानमंडल काशी.1948. *हिन्दी साहित्यकोश*. उत्तर प्रदेश.

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 39 5/26/2017 9:26:57 AM

7

बच्चे स्कूल से बाहर क्यों?

*छवि कटारिया**

हम सभी अपने घरों के आस-पास, दफ़्तर जाते समय, सब्ज़ी खरीदते समय आदि जगहों पर छोटे-छोटे बच्चों को नौकरी करते देखते हैं। हम सभी के मन में यह विचार अवश्य ही आता है कि आखिरकार ये बच्चे विद्यालय क्यों नहीं जाते? क्या इसके पीछे कुछ मजबूरी है या फिर इनका विद्यालय जाने का मन ही नहीं करता। शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव होने के कारण मेरे मन में तो कई अतिरिक्त प्रश्न भी आते हैं कि हमारे देश में शिक्षा का अधिकार–2009 लागू होने के बावजूद बच्चे विद्यालयों से बाहर क्यों हैं? क्या इसके लिए स्कूल प्रशासन ज़िम्मेदार है या फिर राज्य व केंद्र सरकार? क्या शिक्षा का अधिकार (RTE) नियम की समीक्षा करने की आवश्यकता है? ये बच्चे कौन हैं जो विद्यालय जाने में असमर्थ हैं? क्या इस श्रेणी में सिर्फ़ वही बच्चे आते हैं, जिनके कंधों पर परिवार या गरीबी का बोझ है या फिर कोई और श्रेणी भी इसके अंतर्गत आती है? क्या भारत देश में, जहाँ विभिन्न भौगोलिक स्थितियाँ, विभिन्न भाषाएँ, तीज-त्योहार हैं, वहाँ पर बच्चों को विद्यालय न पहुँच पाने का एक ही कारण है या फिर इसके पीछे भी विभिन्न कारण हैं?

ये सभी प्रश्न व विचार मेरे मन में बार-बार आने के कारण मेरे लिए यह जानना ज़रूरी हो गया था कि इतने प्रयासों के बावजूद भी बच्चे स्कूल से बाहर क्यों हैं? इसलिए मैंने अलग-अलग बच्चों से व उनके माता-पिता से, शिक्षकों व अलग-अलग राज्यों में चल रहे शिक्षा अभियान से जुड़े प्रयासों को भी जानने की कोशिश की। इस लेख की शुरुआत मैं एक घटना से करना चाहूँगी जो मेरी इंटर्नशिप के दौरान की है और साथ ही अपने अनुभवों को भी साझा करना चाहूँगी जिससे हमें समझने में मदद मिले कि बच्चे स्कूल से बाहर क्यों हैं?

अपनी बी.एल.एड. की इंटर्नशिप के दौरान मुझे चार महीने तक कक्षा पहली के साथ कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। कार्य करने का अवसर मुझे दिल्ली के प्राथमिक विद्यालय में मिला। विद्यालय में मुझे तरह-तरह के बच्चे मिले, जिनमें सीखने की अपनी-अपनी क्षमता थी। उन सभी के बीच मेरी मुलाकात एक छह वर्ष की ज्योति नाम की लड़की से हुई जो कक्षा में अपने छोटे भाई दीपू को साथ लेकर आती थी। उनका व्यक्तित्व बहुत सादा था। वह जल्दी से किसी बच्चे के साथ मिलती-जुलती भी नहीं थी। हर दिन एक नयी गतिविधि कक्षा में परिचित कराने के बावजूद भी वह किसी गतिविधि में भाग न लेती थी। लगभग तीन हफ़्तों तक नयी-नयी गतिविधि कक्षा

*टीचर फ़ैलो, प्रारंभिक स्कूली गणित कार्यक्रम, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली

में कराने के कठिन प्रयास के बाद भी उत्तर हमेशा नकारात्मक ही मिला। उसका एक मुख्य कारण जो मुझे प्राप्त हुआ, वह था कि उसके तीन वर्ष के छोटे भाई की देखभाल जो ज्योति के नाज़ुक कंधों पर थी। किसी भी गतिविधि को करने के लिए वह इसलिए मना कर देती थी, क्योंकि उसे अपने छोटे भाई को हमेशा अपने साथ ही रखना होता था। यह बात मैंने विद्यालय की प्रधानाचार्या के साथ साझा की। तो उन्होंने ज्योति के माता-पिता से उसके छोटे भाई की परवरिश घर पर ही करने का अनुरोध किया। लेकिन यह क्या? अगले दिन से तो ज्योति ने विद्यालय आना ही बंद कर दिया। काफ़ी प्रयत्नों के बाद उसके माता-पिता से बात करना संभव हुआ तो मैंने ज्योति के विद्यालय न आने का कारण पूछ ही लिया। उन्होंने कहा कि ''लड़की पढ़े या ना पढ़े कोई ज़रूरी नहीं लेकिन बेटे की परवरिश के लिए इसका घर रहना आवश्यक है''। क्योंकि पति-पत्नी दोनों ही जीवन-यापन के लिए घर-घर जाकर नौकरी करते थे, तो बेटी को ही अपने भाई की देखभाल करनी होती थी।

यह कारण मेरे लिए इतना आश्चर्यजनक था कि मुझे अब यह समझ ही नहीं आ रहा था कि ज्योति को वापस विद्यालय कैसे लेकर आया जाए? इसी घटना ने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ज्योति की तरह ही कितने बच्चे अलग-अलग कारणवश विद्यालय छोड़ने व विद्यालयों तक न पहुँच पाने का शिकार होते होंगे। अब मुझे उन कारणों को खोजने की एक अलग-सी लालसा हो रही थी, जिनकी वजह से बच्चे अभी तक विद्यालयों से बाहर हैं और विद्यालयों तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं।

''शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के अनुसार नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा सभी बच्चों का अधिकार है।'' अगर शिक्षा सभी बच्चों का अधिकार है तो मेरे मन में यह प्रश्न आ रहा है कि आखिर हमारे देश में इतने बच्चे विद्यालयों से बाहर क्यों हैं? यह बच्चे कौन हैं जो विद्यालय पहुँचने में असमर्थ हैं? इन बच्चों को परिभाषित कैसे किया जाए? इन बच्चों के लिए राज्य व केंद्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? क्या अलग-अलग राज्यों में यह बच्चे अलग-अलग श्रेणी में आते हैं? क्या यह बच्चे अपनी मर्ज़ी से विद्यालय नहीं आना चाहते या इसके पीछे कुछ और कारण हैं? क्या शिक्षा का अधिकार–2009 नियम में इन बच्चों के लिए कुछ प्रावधान हैं? अगर हैं तो फिर बच्चे स्कूल से बाहर क्यों हैं?

इसी विषय को समझने के लिए मैंने अलग-अलग बच्चे जो अलग-अलग पेशों से जुड़े थे, जैसे– बालश्रम में लगे बच्चे, गलियों में सामान बेचते बच्चे, अपने माता-पिता के कार्यों में हाथ बँटाते हुए बच्चे आदि, उनके माता-पिता व शिक्षा से जुड़े कुछ प्रतिनिधियों से बातचीत की और अपने प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश की। उन सभी के विचारों से मुझे समझ आया कि ''जो बच्चा छह से चौदह वर्ष की आयु में किसी भी कारणवश विद्यालय जाने में असमर्थ है'' उसे विद्यालय न जाने वाले बच्चों की श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है। इसमें दोनों ही प्रकार के बच्चे आ सकते हैं, जैसे— पहले वे जिनका कभी भी विद्यालय में पंजीकरण नहीं हुआ और दूसरे वे बच्चे जो किसी कारणवश विद्यालय छोड़ चुके हैं।

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 41 5/26/2017 9:26:57 AM

इतनी अधिक मात्रा में बच्चों का विद्यालय में प्रवेश न लेना इस बात की तरफ़ इशारा करता है कि सिर्फ़ किसी एक या दो कारणों की वजह से बच्चे स्कूल से बाहर नहीं हैं, बल्कि इसके पीछे विभिन्न प्रकार के कारण शामिल हैं। लोगों से बातचीत के दौरान कुछ निम्नलिखित कारण मज़बूती के साथ सामने आए जिनकी वजह से आज भारत के अधिकतर बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं।

वे बच्चे जो अपने अभिभावकों के साथ उनके कार्यों में हाथ बँटाते हैं— सब्ज़ी बेचने वाले बच्चे, निर्माण कार्यों में लगे बच्चे, सड़कों पर सामान बेचते बच्चे आदि।

विशेषकर लड़कियाँ— इसका प्रमुख कारण जो मज़बूती के साथ निकलकर सामान आया वह है कि लड़कियों के अभिभावक तरुण अवस्था आरंभ होने के पश्चात् बच्चियों को विद्यालय भेजने में सुरक्षित महसूस नहीं करते। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से कारण इस श्रेणी में आते हैं, जैसे— छोटे-भाई बहनों की देखभाल, घर के कार्यों की ज़िम्मेदारी आदि।

वे बच्चे जो जीवन-यापन के लिए भीख माँगते हैं— ये वो बच्चे हैं जो किसी भी कारणवश अपने माता-पिता से अलग हो गए हैं। इसके अतिरिक्त इसमें से कुछ बच्चे अगवा कर लाए गए होते हैं, जिनसे जबरन भीख मंगवाई जाती है।

आर्थिक पक्ष का मज़बूत न होना— ऐसे परिवार जो अपना जीविकोपार्जन कठिनाई से कर पा रहे हैं।

सामाजिक रूढ़ मान्यताएँ— बाल-विवाह, लड़कियों को विद्यालय न भेजना आदि।

शारीरिक अथवा मानसिक रूप से विकलांगता— वे बच्चे जो किसी भी शारीरिक अथवा मानसिक बीमारियों से जूझ रहे हैं।

प्रवासी बच्चे— वे बच्चे जो जीवन-यापन के लिए अपने माता-पिता के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते-जाते रहते हैं।

शिक्षक व विद्यालयी कर्मचारियों का व्यवहार— शिक्षक व विद्यालयी कर्मचारियों का ठीक से बात न करना व कड़े शब्दों का प्रयोग करना। जिससे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचती हो।

स्कूली वातावरण— मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था न होना, जैसे— छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय, बिजली, पानी इत्यादि की व्यवस्था न होना।

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 42 5/26/2017 9:26:58 AM

इन सभी कारणों को पढ़ने के बाद इस बात की तो संतुष्टि मिलती है कि हमारे देश के बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ कारणों की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं। जैसे अनुसंधान के समय एक बारह वर्ष की आयु की लड़की स्नेहा ने मुझसे कहा कि ''वह विद्यालय तो जाना चाहती है लेकिन ऐसे विद्यालय में, जहाँ पर उसके कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो और वह अपना विद्यालय भी जारी रख सके''।

स्नेहा के उत्तर से मेरा मन यह जानने के लिए विचलित था कि आखिर इन बच्चों के लिए केंद्र व राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है? इसके लिए मैंने कुछ राज्यों के प्रतिनिधियों से जानने का प्रयास किया। इसमें अलग-अलग राज्य, जैसे – मध्य प्रदेश अपने राज्य में ''स्कूल चलें अभियान'' चला रहा है जो विशेषकर प्रवासी बच्चों के लिए कार्य करता है। दूसरा उत्तर प्रदेश में ''समाजवादी पेंशन योजना'' जिसके अंतर्गत निरंतर विद्यालय आने वाले बच्चों को पेंशन प्रदान की जाती है। तीसरा पंजाब में प्रत्येक दिसंबर माह में ''हाउस होल्ड सर्वे'' का आयोजन (जिसके अंतर्गत वह ऐसे बच्चों की गणना व खोज करते हैं, जो विद्यालय नहीं जाते हैं, उनके कारण खोजते हैं व फिर उन कारणों के अनुसार उनका प्रावधान भी करते हैं), जो विद्यालय न आने वाले बच्चों के लिए कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न अभियान बच्चों के लिए चलाए जा रहे हैं। क्योंकि सभी राज्यों में अलग-अलग कारणों से बच्चे विद्यालय में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, जैसे— हरियाणा में बच्चे बाल श्रम में लगे होने के कारण विद्यालय जाने में असमर्थ हैं। इसलिए आवश्यक है कि राज्य अपनी सामाजिक, आर्थिक व भौगोलिक परिस्थितियों को समझते हुए अपने यहाँ के बच्चों के लिए कार्य करें। इन पूरी परिस्थितियों को समझने पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि विभिन्न कारणों से बच्चे विद्यालय पहुँचने में असमर्थ हैं, अब प्रश्न "शिक्षा का अधिकार–2009" पर उठता है कि आखिर जिस नियम के अनुसार प्रत्येक बच्चे को विद्यालय में प्रस्तुत होना आवश्यक है, उसके होते हुए अधिक मात्रा में बच्चे स्कूल से बाहर क्यों हैं?

शिक्षा का अधिकार–2009 के अनुसार बच्चे को उस कक्षा में दाखिला दिया जाएगा जिसके लिए उसकी आयु उपयुक्त है, बच्चों को विशेष प्रशिक्षण देकर बाकी बच्चों के बराबर पहुँचा कर आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

इन कठिन परिस्थितियों में इन बच्चों का विकास व इन्हें विद्यालय तक लेकर आने की चुनौती निरंतर सामने है—

- शिक्षकों व माता-पिता को शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 से अवगत कराया जाए। जिसमें साफ़-साफ़ लिखा है कि किसी भी कागज़ी कार्यवाही के चलते बच्चे के दाखिले में विलंब नहीं किया जाएगा क्योंकि अधिकतर यह पाया गया है कि कागज़ी कार्यवाही के भय से अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए सहमत ही नहीं होते।
- बच्चों के अभिभावकों को जागरूक किया जाए कि वह अपने बच्चों को विद्यालय भेजें। साथ ही उन्हें महसूस कराया जाए कि जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है तथा यह कितना आवश्यक है।

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 43 5/26/2017 9:26:58 AM

क्योंकि आवश्यकता अधिगम का आधार है। जब तक हमें किसी चीज़ की आवश्यकता महसूस नहीं होती, तब तक हम उसे सीखने के लिए इच्छुक भी नहीं होते। इसलिए आवश्यक है कि उनके जीवन-यापन के कार्य व शिक्षा के बीच एक संबंध बना कर उन्हें समझाया जाए।

- विभिन्न राज्य अपनी परिस्थितियों के अनुकूल कार्य करें। क्योंकि अलग-अलग राज्यों में बच्चों के स्कूल में प्रवेश न लेने के अलग-अलग कारण हो सकते हैं।
- केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्य के कार्यों में एकरूपता लाने की आवश्यकता है। विकेंद्रीकरण के साथ-साथ केंद्रीकरण की भी एक विशेष भूमिका है। इसलिए राज्य स्तर पर हो रहे विभिन्न कार्यों को एक माला में पिरोकर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।
- अध्यापक प्रशिक्षण देते समय यह सोचने की आवश्यकता है कि क्या अध्यापक स्वयं प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस करते हैं और क्या विभिन्न प्रशिक्षणों से मिलने वाले सुझावों को वह अमल में लाते हैं या नहीं, इस पर भी जाँच की आवश्यकता है।
- अध्ययन सामग्री मातृभाषा में होनी चाहिए जिससे बच्चे एक संबंध बना सकें।
- विद्यालयी स्तर पर स्वयंसेवक कार्य कर सकते हैं जो विद्यालय और समाज के बीच एक पुल बनाने का कार्य कर सकते हैं व साथ ही एक रिकॉर्ड रजिस्टर तैयार कर सकते हैं, जिसमें सभी रिकॉर्ड रखें और इसकी विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) में चर्चा कर सकते हैं।
- विद्यालयों को गैर सरकारी संस्थाओं (NGOs) व मदरसों के साथ एक संबंध कायम करना चाहिए। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अधिकतर बच्चे तालीम के लिए मदरसे जाते हैं।
- बच्चों के लिए कुछ ऐसे स्कूलों का निर्माण करने की आवश्यकता है, जिससे वह अपने कार्यों को जारी रखते हुए अपनी पढ़ाई भी आगे बढ़ा सकें।
- कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो निर्माण कार्य में काम करते हैं। इसलिए इन बच्चों के साथ उसी स्थान पर अध्ययन की व्यवस्था की जानी चाहिए, जहाँ पर निर्माण कार्य जारी है।

इस प्रकार मैंने कुछ कारण व सुझाव खोजने की कोशिश की है। यह सिर्फ़ समझने का एक प्रयास है कि आखिर हमारे देश में बच्चे विद्यालयों से बाहर क्यों हैं? हम सभी को इस पर मिलकर काम करने की आवश्यकता है जिससे देश के शत-प्रतिशत बच्चे विद्यालयों में जा सकें व विकास का एक बेहतर अवसर प्राप्त कर सकें।

संदर्भ

बच्चे और हमारी ज़िम्मेदारी. बच्चों का अधिकार वैकल्पिक प्रोटोकॉल सहित. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, भारत सरकार.

भारत का राजपत्र. *शिक्षा का अधिकार अधिनियम – 2009.*

स्पेशल ट्रेनिंग ऑफ़ आउट ऑफ़ स्कूल चिल्ड्रेन. एडमिटेड इन एज अप्रोप्रिएट क्लासेस अंडर आर.टी.ई. एक्ट, 2009. गाइडलाइन्स, एन.सी.ई.आर.टी.

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 44 5/26/2017 9:26:58 AM

8

रूही आखिर क्या लिखती है?

*अक्षय कुमार दीक्षित**

दृश्य 1

रूही ने कागज़ को एक हाथ से पकड़ रखा है। दूसरे हाथ की उँगलियों से पेंसिल को पकड़कर वह कुछ गोले और कुछ आड़ी-तिरछी लकीरें खींच रही है। साथ-साथ वह बड़ों की सी अदा से बोल रही है – ए, बी, सी, एक, दो, मम्मी, चाऊ जी...

इस दृश्य से आप रूही के बारे में कितना कुछ जान-समझ सके? आप मानें या ना मानें, आप इन दो-तीन पंक्तियों से ही रूही के बारे में कई बातें जान चुके हैं। यकीन नहीं हो रहा? चलिए, अभी यकीन हो जाएगा।

इन बातों को पढ़कर यह अंदाज़ा होता है कि शायद अभी रूही ने स्कूल जाना शुरू नहीं किया है। शायद अभी वह डेढ़-दो साल की है। कई शब्दों का उच्चारण करने के लिए उसने अपनी ही अनोखी शब्दावली विकसित कर ली है। उदाहरण के लिए, 'ताऊ जी' का उच्चारण करने के लिए वह 'चाऊ जी' बोलती है। वह इस आयु में भी कागज़, पेन, पेंसिल के उपयोग से अच्छी तरह परिचित हो चुकी है। उसे पता है कि पेंसिल और कागज़ को किस प्रकार पकड़ सकते हैं और किस प्रकार पेंसिल का उपयोग कुछ उकेरने के लिए कर सकते हैं। रूही जो काम कर रही है, वह अपनी इच्छा से कर रही है और बिना किसी निर्देश या दबाव के कर रही है। वह जानती है कि वह क्या 'लिख' रही है क्योंकि वह कागज़ पर जो कुछ बना रही है, उसका उच्चारण भी कर रही है। वह जानती है कि बोली गई बातों या शब्दों को लिखा जा सकता है। वह कुछ उकेरते हुए बड़ों की तरह बोल-बोलकर 'लिखने' का अभिनय कर रही है, लेकिन क्या रूही जो कुछ कर रही है उसे 'लिखना' कहा जा सकता है?

दृश्य 2

रूही कागज़ को थामे पेंसिल से कुछ लकीरें खींच रही है। कुछ गोले, कुछ लंबी लकीरें, कुछ टेढ़ी-मेढ़ी लकीरें। कुछ देर में किसी जानवर जैसा कुछ बन जाता है। अब रूही रंगीन पेंसिल उठा लेती है। उसने कागज़ पर तरह-तरह के रंग 'भर' दिए हैं। चित्र के नीचे रूही ने अलग से कुछ लकीरें खींची हैं। पूछने पर रूही ने बताया, "ये 'कुत्ता' लिखा है"। यह सुनकर रूही के माता-पिता खुश होकर बोले, "दिनभर बस इसी में लगी रहती है। घर की कोई दीवार नहीं बची जहाँ इसने अपनी कलाकारी न दिखाई हो।"

* सी- 633, जे.वी.टी.एस. गार्डन, छतरपुर एक्सटेंशन, नयी दिल्ली 110074

अब तो आप खुद रूही के बारे में यकीनन बहुत-सी बातें बताना चाहेंगे, है न? जैसे कि, रूही को चित्र बनाना पसंद है। रूही चीज़ों में रंग भरना शुरू कर चुकी है, उसे पता है कि चित्र किसी और चीज़ को 'व्यक्त' करते हैं आदि। ये सारी बातें तो हैं ही, लेकिन हम आपका ध्यान एक और बात की तरफ़ दिलाना चाहते हैं। इस दृश्य से यह समझ में आता है कि रूही जानती-समझती है कि हर चीज़ का एक नाम होता है, जिसे लिखा जा सकता है और उस लिखे हुए को पढ़ा जा सकता है। दूसरे शब्दों में, रूही लिखने की अर्थपूर्णता को समझती है। एक और बात इस दृश्य से उभरकर सामने आती है। रूही जो भी काम कर रही है, उसके लिए उसके माता-पिता प्रोत्साहित करते हैं, उसके कामों पर खुश होते हैं, उसे रोकते-टोकते नहीं हैं और उसकी कलाकारी पर 'गर्व' का अनुभव करते हैं। आपके विचार से जो कुछ रूही कर रही है, इसे 'लिखना' कहा जा सकता है?

दृश्य 3

रूही पहली कक्षा में बैठी है। उसकी अध्यापिका जी ने कहा, "बच्चों, आज हम आम का चित्र बनाएँगे।" रूही को चित्र बनाना अच्छा लगता था। वह ख़ुशी से उछल पड़ी और फ़टाफ़ट बस्ते में से कॉपी, रंग निकाल लिए। अध्यापिका जी ने श्यामपट्ट पर सभी बच्चों को आम का चित्र बनाकर दिखाया। फिर कहा, "अब सारे बच्चे आम का चित्र बनाओ।" रूही ने जल्दी-से एक आम बनाया और उसमें लाल-पीला-हरा-नीला रंग भरकर उसे सजा दिया। इसके बाद वह खुशी-खुशी अपना चित्र दिखाने के लिए अध्यापिका जी के पास गई। अध्यापिका जी ने कहा, "अरे, आम कहीं ऐसा होता है रूही! मैंने बनाकर दिखाया तो है कि कैसा चित्र बनाना है। चलो, एक बार फिर-से सुंदर-सा 'आम' बनाकर लाओ।"

रूही को कुछ बातें समझ में आईं और कुछ समझ में नहीं आईं। इतना पता चल गया कि अगर वह मैडम जैसा चित्र बना देगी तो मैडम को अच्छा लगेगा। अबकी बार उसने अध्यापिका जी जैसा चित्र ही बनाया। अध्यापिका जी ने उसकी प्रशंसा की और उसकी कॉपी पर एक सितारा बना दिया।

आप ही बताइए कि यह दृश्य आपको रूही के बारे में क्या-कुछ बता रहा है। शायद आप रूही का बनाया चित्र देखकर कहें कि आम तो ऐसा होता ही नहीं है। शायद आपको ऐसा लगता हो कि अध्यापिका ने जो आम बनाकर दिखाया था, आम तो वैसा ही होता है। हालाँकि अध्यापिका ने जो आम का चित्र बनाया था, वैसा आम किसी पेड़ पर नहीं लगता लेकिन हो सकता है कि आपने वैसा आम सचमुच कभी बाज़ार में देखा हो या कभी खाया हो।

आपके विचार से इस घटना के बाद रूही की सोच में क्या बदलाव हुए होंगे? एक और सवाल— रूही जो कुछ कर रही है, क्या आप इसे 'लिखना' कहेंगे?

रूही के जीवन के ये तीनों दृश्य रूही जैसे करोड़ों बच्चों के बारे में काफ़ी-कुछ व्यक्त कर देते हैं या व्यक्त कर सकते हैं बशर्ते हम थोड़ा गहराई से उन पर विचार करें। आइए, अब इन दृश्यों के बारे में बातचीत करते हैं। हम ये बातचीत पढ़ने-लिखने या भाषा सीखने के दृष्टिकोण से करेंगे।

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 46 5/26/2017 9:26:59 AM

आप रूही के उदाहरण और अपने जीवन के अनुभवों से जानते हैं कि बच्चे 'स्कूल' की चारदीवारी में प्रवेश लेने से पहले ही जीवन के स्कूल में बहुत कुछ सीख चुके होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो, बच्चे जब स्कूल में दाखिला लेते हैं तो उनके पास पहले से ही मौखिक और लिखित भाषा के बहुत-से कौशलों का अच्छा-खासा खज़ाना मौजूद होता है। वे अपने परिवेश में बोली और लिखी जा रही भाषाओं की शब्दावली, व्याकरण, भाषायी प्रयोगों आदि की गहरी समझ लेकर स्कूल में आते हैं। परिवेश की भाषाओं का मतलब है— जहाँ बच्चा रहता है, उस समाज के लोगों और अपने परिवार के लोगों की बोलचाल की भाषाएँ, जो एक भी हो सकती हैं और अनेक भी। इतना ही नहीं, उनके पास अपने परिवेश की भाषाओं की लिपि की भी समझ मौजूद होती है। उदाहरण के लिए—

- वे कहीं पर किसी चिप्स का विज्ञापन /लोगो देखकर समझ जाते हैं कि वहाँ क्या लिखा होगा।
- वे पैकेट पर छपी कीमत को खोजना और पढ़ना जानते हैं।
- वे जानते हैं कि किसी लिखी हुई सामग्री को पढ़ने के लिए नज़र को किस दिशा से किस दिशा में बढ़ाना है।
- वे कैलेंडर या घड़ी के उपयोग से परिचित होते हैं। कई बच्चों को तो समय या दिन देखना भी मालूम होता है।
- वे जानते हैं कि बाइक, कार, टीवी या मोबाइल पर उसकी कंपनी का नाम लिखा है।
- वे यह भी जानते हैं कि कुछ लिखने के लिए या चित्र बनाने के लिए कागज़ के किस हिस्से से किस ओर कलम चलानी है।
- बच्चे अपने मन की बातों को व्यक्त करने के लिए चित्र बनाने के माध्यम से उपयोग में लाते हैं।
- वे जानते हैं कि दो शब्दों के बीच में छोड़ी गई जगह का क्या मतलब है, दूसरे शब्दों में, एक शब्द के बाद थोड़ी जगह छोड़कर अगला शब्द लिखा जाता है।
- वे जानते हैं कि शब्दों के ऊपर एक लकीर होती है (देवनागरी लिपि में) और शब्दों के साथ कुछ अन्य निशान भी होते हैं। (विरामचिह्न)

ऊपर दी गई सूची से हमें यह अंदाज़ा भी हो जाता है कि चित्र बनाने और लिखने में जितना नज़र आता है, उससे कहीं अधिक गहरा संबंध है।

चित्र लेखन

शायद अधिकतर 'बड़ों' के लिए बच्चों द्वारा बनाए गए चित्रों या लकीरों का कोई मतलब नहीं होता। शायद उनको यही लगता है कि चूँकि बच्ची के हाथ में कलम आ गई थी, उसने हाथ को चाहे जैसे घुमा दिया होगा और बस, कागज़ पर निरर्थक लकीरें खिंच गईं। नाहक दीवार या कागज़ गंदा हो गया। 'बड़ों' की नज़र में इन लकीरों का कोई अर्थ नहीं होता इसलिए उन्हें यही लगता है कि बच्चों के लिए भी इन लकीरों का कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन कभी किसी बच्चे से पूछकर देखिए कि उसने क्या 'बनाया' है। बच्चे के जवाब आपको हैरान कर देंगे। आपको पता चलेगा कि

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 47 5/26/2017 9:26:59 AM

जिन लकीरों को आप बेमतलब समझ रहे थे, बच्चों के लिए उनका स्पष्ट अर्थ मौजूद होता है। या हम यह भी कह सकते हैं कि बच्चे कुछ अभिव्यक्त करने के लिए ही कुछ बनाते हैं। इन लकीरों में बच्चे के परिवार, भाई, बहन, माँ, पिता, ताऊ जी से लेकर सूरज, चाँद, भूत और गेंद तक छिपे हो सकते हैं। ज़रूरत सिर्फ़ इतनी है कि हम उन्हें बच्चों की नज़र से देखें।

बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं? इस सवाल का जवाब आसान नहीं है। सालों से भाषा-वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और शिक्षा-शास्त्री इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बातें समझ में आ गई हैं और बहुत से सवालों के जवाब खोजे जाने अभी बाकी हैं। इतना तो हम समझ ही चुके हैं कि बच्चे की भाषायी समझ का विकास कोई एकतरफ़ा सीधा-सीधा रास्ता नहीं है। यह बहुत-सी जटिल प्रक्रियाओं का मिला-जुला परिणाम है। इस सफ़र में कुछ पड़ावों की मोटे तौर पर पहचान कर ली गई है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इन पड़ावों पर हर बच्चा ज़रूर पहुँचेगा या एक ही समय पर पहुँचेगा। परंपरागत तौर पर गिनवाए जाने वाले कौशल यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना भी कुछ लोगों की नज़रों में भाषायी विकास के 'पड़ाव' हो सकते हैं। उन्हें लगता है कि बच्चा पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और अंत में लिखना सीखता है। लेकिन हम जिन पड़ावों की बात कर रहे हैं, वे इनसे अलग हैं। आप जानते ही होंगे कि भाषायी कौशल, जैसे— सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एक-दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े होते हैं। इसलिए बच्चे के भाषायी विकास के हर पड़ाव पर ये सभी एक साथ मौजूद होते हैं।

> बच्चा जो चित्र बनाता है वह उसके अंदर की अनुभूति द्वारा निर्मित होता है। दूसरों का आँखों देखा नहीं, खुद देखा, खुद महसूस किया हुआ। बच्चा इस जगत को ऐसे देखता है, जैसे उसे उसका अनुभव होता है और जिस तरह की प्रतिक्रियाएँ उसके अंदर होती हैं, उन सबको लेकर उसके दिमाग में आकारों का निर्माण होता है। आकार ही उसकी चित्रभाषा की बारहखड़ी होती है। इसलिए जो चित्र वह अपनी भाषा द्वारा बनाते हैं, वह भाषा के मापदंड के हिसाब से ठीक होते हैं। चित्र अच्छा बना या गलत, यह कहने का अधिकार उसी व्यक्ति को है, जो बच्चे की इस 'चित्र-भाषा' से परिचित है। एक भाषा वाला व्यक्ति अगर दूसरी भाषा के वाक्य की रचना की परख अपनी भाषा के व्याकरण से करे और कहे कि वाक्य-रचना गलत है, तो अन्याय होगा। बच्चे की आकार की भाषा उसके पूर्ण व्यक्तित्व के अनुभव द्वारा बनती है, और सयाने के आकार की भाषा अक्सर केवल आँख के अनुभव से बनती है। ये दोनों निराली हैं। इनकी एक-दूसरे के साथ तुलना नहीं की जा सकती।
>
> शिक्षा का वाहन — कला
> — देवी प्रसाद

बच्चे की मौखिक भाषा के विकास में कुछ अवस्थाएँ आसानी से पहचानी जा सकती हैं। ऐसी ही आसानी से पहचानी जा सकने वाली एक अवस्था है— 'स्वनिर्मित शब्दावली का प्रयोग।' इसका मतलब बच्चे के जीवन की वह अवस्था या दौर है, जब बच्चा कुछ चीज़ों के लिए खुद कोई शब्द बना लेता है और उसका उपयोग करता

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 48 5/26/2017 9:27:00 AM

है। यह स्वनिर्मित शब्द किसी 'पारंपरिक शब्द' से मिलता-जुलता भी हो सकता है और बिलकुल नया भी। उदाहरण के लिए, चाऊ जी (ताऊ जी), निनी (नींद) या गन्नू (किसी का बिलकुल नया नाम)।

मौखिक भाषा के विकास की तरह, लेखन के सफ़र में भी कुछ पड़ाव बच्चे के जीवन में ज़रूर आते हैं। चित्र बनाना ऐसा ही एक पड़ाव है। इतना तो स्पष्ट है कि बच्चे अपने मन की बातों को, कल्पनाओं और विचारों को व्यक्त करने के लिए चित्रों का उपयोग करते हैं। बड़ों को भले ही इन चित्रों में कोई अर्थ नज़र न आए, लेकिन बच्चों को उनके चित्रों का मतलब पता होता है। इन बातों को एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं।

दृश्य 4

कक्षा एक में रूही ने कुछ गोले बनाए हैं। उसके अध्यापक ने उससे बात की और पूछा, "ये क्या बनाया है?"

रूही ने बताया , "मैंने बादल बनाया है।"

"अच्छा, बादल ऐसा होता है?"

"हाँ, बादल ऐसे ही लाइन लगाकर तो खड़े होते हैं।" रूही ने समझाते हुए कहा।

रूही को पता है कि उसने क्या बनाया है। साथ ही वह यह भी चाहती है कि आप उसके चित्र को उसकी नज़र से देखें, यानी आप भी उसके चित्र को बादल ही मानें।

क्या इन अर्थों से भरी लकीरों को लिखना कहा जा सकता है? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले हमें यह समझना होगा कि हम क्यों लिखते हैं।

लिखने का एक ही मुख्य उद्देश्य होता है— खुद को अभिव्यक्त करना

आप जानते हैं कि हम मौखिक रूप से खुद को अभिव्यक्त करते हैं, यानी बोलकर अपनी भावनाओं, विचारों, कल्पनाओं, परेशानियों, खुशियों, ज़रूरतों आदि को व्यक्त करते हैं। अरर... एक मिनट रुकिए, क्या हम सिर्फ़ बोलकर ही खुद को अभिव्यक्त करते हैं? यदि आपको ऐसा ही लगता है तो नीचे दिए गए उदाहरणों पर एक नज़र डालिए—

- कोमल से माँ ने पूछा, "बस्ता कहाँ है?" कोमल ने खाना खाते-खाते ऊँगली एक ओर बढ़ा दी।
- स्कूल में घंटी बजी। घंटी बजते ही सब बच्चे "छुट्टी" कहते हुए कमरों से बाहर निकल आए।
- मन्नू जन्म से मूक-बधिर है। भूख लगने पर उसने अपनी माँ का पल्लू खींचा और उंगलियों से बताया कि भूख लगी है। माँ ने भी उंगलियों से बताया कि खाना तैयार है।

इन उदाहरणों से आपको एहसास हो गया होगा कि हम सिर्फ़ शब्दों के उच्चारण द्वारा खुद को अभिव्यक्त नहीं करते, बल्कि इसके और भी कई तरीके हैं जिन्हें हम अशाब्दिक / सांकेतिक या भाव-भंगिमाओं द्वारा अभिव्यक्त कर सकते हैं।

जिस प्रकार हम बोलकर, इशारों या भाव-भंगिमाओं से अपनी भावनाओं, विचारों, कल्पनाओं, परेशानियों, खुशियों, ज़रूरतों आदि को व्यक्त करते हैं, उसी तरह हम लिखित रूप से भी खुद को अभिव्यक्त कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह मौखिक अभिव्यक्ति के कई रूप हैं, उसी तरह लिखित अभिव्यक्ति के भी कई रूप हैं। कुछ रूपों में शब्दों

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 49 5/26/2017 9:27:00 AM

का उपयोग किया जाता है और कुछ रूपों में बिना शब्दों का उपयोग किए भी हम खुद को अभिव्यक्त कर सकते हैं। जिस तरह बच्चे द्वारा खुद को मौखिक रूप से अभिव्यक्त करने की शुरुआत 'पारंपरिक रूप से मौखिक अभिव्यक्ति' करने से बहुत पहले शुरू हो जाती है, उसी तरह उसकी लिखित अभिव्यक्ति की शुरुआत 'पारंपरिक लिपि' या 'शब्दों के पारंपरिक लिखित रूप' के इस्तेमाल से बहुत पहले शुरू हो जाती है। चित्रों द्वारा खुद को अभिव्यक्त करना इसी अवस्था का एक हिस्सा है। इस दौर को हम "चित्र-लेखन" का नाम देते हैं।

'पारंपरिक रूप से लेखन' और 'चित्र-लेखन' की अवस्था में और भी कई समानताएँ हैं। इन समानताओं को पहचानने के लिए आपको एक काम करना होगा। आप एक काम कीजिए। अभी एक कागज़-कलम उठाइए और जो मन में आए उसे एक मिनट तक लिखते जाइए।

लिख लिया?

अब ज़रा विचार कीजिए, आपने जो कुछ लिखा, उसके लिए क्या-क्या किया? क्या-क्या सोचा? आपने ज़रूर ऐसा ही कुछ सोचा होगा—

- कलम और कागज़ कौन-सी चुनूँ?
- किस बारे में लिखूँ?
- कितना लिखूँ?
- क्या लिखूँ?
- कैसे शुरू करूँ?
- कैसे समाप्त करूँ?
- किन शब्दों का उपयोग करूँ?
- कोई शब्द कैसे लिखूँ/ लिखा जाता है?

आप समझ गए होंगे कि कलम उठाकर सिर्फ़ कुछ शब्द बना देना ही लिखना नहीं है। लिखने के लिए आपने जाने-अनजाने कई तरह के निर्णय लिए हैं, कई तरह के चुनाव किए हैं, तब जाकर आप कुछ लिख सके। उदाहरण के लिए, शब्दों का चुनाव, माध्यम का चुनाव, वर्तनी का चुनाव आदि।

एक चयन जो सबसे महत्वपूर्ण या सबसे मुश्किल रहा होगा, वह है विषय और विषय-वस्तु का चुनाव। विषय-वस्तु का चुनाव हम आमतौर पर लिखने के उद्देश्य और जिसके लिए हम लिख रहे हैं, यानी पाठक को ध्यान में रखकर करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लेखन को प्रभावित करने वाले तत्व दो हैं, पाठक और उद्देश्य।

इन बातों को थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं। लेखन के ज़रिए हम अपने विचार को उस व्यक्ति के पास पहुँचाना चाहते हैं जो हमारे सामने मौजूद नहीं है। कई बार हम सूचना या खबर के लिए, याद रखने के लिए, मज़े या खेल के लिए और हिसाब-किताब करने के लिए भी लिखते हैं। उद्देश्य कोई भी हो, लेकिन यह तो साफ़ है कि हम किसी व्यक्ति या पाठक को ध्यान में रखकर ही कुछ लिखते हैं। वह पाठक खुद लिखने वाला भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, मैं डायरी लिखता हूँ, इसलिए कि शायद किसी दिन मैं इसे पढ़ूँगा। अब एक बार फिर उसी गतिविधि पर विचार कीजिए जो आपने थोड़ी देर पहले की है।

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 50 5/26/2017 9:27:00 AM

इस गतिविधि को करते हुए एक और बात आपको समझ में आ गई होगी कि लिखना एक प्रक्रिया है। इसमें कई चीज़ें शामिल हैं, लेकिन यह शारीरिक प्रक्रिया से ज़्यादा मानसिक प्रक्रिया है, सोचने की प्रक्रिया है क्योंकि लिखने के लिए कलम उठाने से पहले, लिखने के दौरान और कलम रखने के बाद भी आपकी उँगलियों से ज़्यादा काम आपके दिमाग ने किया।

> लिखना एक तरह की बातचीत ही है। लिखते वक्त हम किसी से संवाद कर रहे होते हैं, हालाँकि वह व्यक्ति हमारे सामने नहीं होता। बहुत-सी बातें हम किसी सूचना, विचार या याद को सुरक्षित रखने के लिए लिखते हैं।
>
> – कृष्णकुमार, शिक्षाविद्

अभी आपने जो कुछ लिखा, वह क्यों लिखा? आपके सामने एक चुनौती दी गई थी, एक समस्या दी गई थी, जिसे आपने पूरा किया। इस समस्या का समाधान करके आपको संतोष का अनुभव भी हुआ होगा। वास्तव में, कुछ भी लिखना 'समस्या-समाधान' की ही प्रक्रिया होती है। अभी कुछ पल पहले आपने अनेक समस्याओं का समाधान किया है, जैसे— क्या लिखें, वर्तनी कैसी हो, लेखन किस पर केंद्रित करें, कितना लिखें, कैसे शुरुआत करें, प्रस्तुत कैसे करें, अंत कैसे करें? आदि। इन समस्याओं को दूर करने के लिए आपने कई निर्णय लिए। हर बार आप अपने निर्णयों को परखने के लिए बार-बार वापस लौटकर आगे बढ़े। यह है लिखना

जब बच्चे चित्र बना रहे होते हैं, उस दौरान वे भी बिलकुल इन्हीं प्रक्रियाओं का पालन करते हैं। वे भी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए निर्णय लेते हैं। वे भी विषय का चुनाव करते हैं, माध्यम का चुनाव करते हैं, प्रतीकों और संकेतों के बारे में फ़ैसला करते हैं। अपने निर्णयों को परखने के लिए बार-बार वापस लौटकर आगे बढ़ते हैं।

अब हम बिना किसी संकोच के कह सकते हैं कि बच्चे चित्रों द्वारा खुद को अभिव्यक्त करते हैं, इसलिए चित्र बनाना भी लेखन का ही एक रूप है। अब आप एक बार दृश्य 3 को फिर से पढ़िए। अब आप उस दृश्य के बाद पूछे गए सवाल का पूरे आत्मविश्वास के साथ उत्तर दे सकते हैं। है न?

अब सवाल यह उठता है कि हम बच्चों के लेखन की इस अवस्था में उनका साथ कैसे दे सकते हैं?

आपने अनुभव किया होगा कि दृश्य 3 में अध्यापिका जी एक चित्र तो बनवा रही हैं, लेकिन उसका विषय वे ही निर्धारित कर रही हैं। यह भी हो सकता है कि वे अपनी कक्षा में बच्चों से रोज़ चित्र बनवाती हों और कभी-कभी खुद विषय दे देती हों और कभी-कभी बच्चों को खुद विषय चुनने के लिए स्वतंत्र छोड़ देती हों। यदि ऐसा है, तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन यदि वे हमेशा खुद ही चित्रों के विषय निर्धारित कर देती हैं, तो इसे सही तरीका नहीं कहा जा सकता। चित्रों का विषय बच्चों की पसंद और उनकी सहमति से ही चुना जाना चाहिए।

दृश्य 3 में आपने देखा कि रूही ने जब अपने मन से आम का चित्र बनाया तो अध्यापिका ने उसे स्वीकार

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 51 5/26/2017 9:27:01 AM

नहीं किया और वैसा ही चित्र बनाने के लिए कहा जैसा उन्होंने बनाया था या जैसा आमतौर पर किताबों में बना होता है। यहाँ हमें विचार करने की ज़रूरत है कि क्या दुनिया में सभी आम एक जैसे आकार या रंग के होते हैं? क्या रूही ने वैसा आम कभी देखा होगा जैसा अध्यापिका जी ने बनाया है? क्या वैसे आम होते भी हैं? मान लीजिए, वैसे आम होते हैं, तो भी क्या ज़रूरी है कि रूही वैसे आम ही बनाए? क्या वह अपनी कल्पना से अनोखा आम नहीं बना सकती या ज़रूरी है कि रूही आम ही बनाए? हो सकता है आम का नाम सुनकर उसे अपने गाँव के आम के पेड़ की याद आ रही हो या कच्चे आम की चटनी की याद आ रही हो, जिसे उसकी माँ सिल-बट्टे पर रगड़कर खूब नमक-मिर्च डालकर बनाती हैं। अगर उसने आम की जगह सिल-बट्टा बना दिया, तो क्या उसकी अभिव्यक्ति की प्रशंसा नहीं होनी चाहिए? चित्र बनाने का उद्देश्य भी तो खुद को अभिव्यक्त करना ही है!

अभिव्यक्ति के साथ आज़ादी न जुड़ी हो तो उस अभिव्यक्ति का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए, अगर हम चाहते हैं कि बच्चे चित्र बनाकर या 'पारंपरिक लेखन' द्वारा खुद को अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकें तो हमें उन्हें इसके मौके और आज़ादी देनी होगी।

चित्र-लेखन की इस अवस्था में हम बच्चों का साथ देने के लिए निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं—

- बच्चों को एक जैसे या एक ही शैली के चित्र बनाने के लिए मजबूर न करें। अगर कोई विषय देना भी हो तो कई उदाहरण दिखाएँ। उदाहरण के लिए, फूल बनवाना हो तो कई फूल दिखाएँ। घर बनवाना हो तो अपने-अपने घर बनाने के लिए कहें, न कि झोंपड़ी बनवाएँ।
- अपने चित्र को बच्चों पर थोपने की कोशिश न करें।
- बच्चों को अपने जीवन, कक्षा, स्कूल, घर आदि के अनुभवों को चित्रों द्वारा व्यक्त करने के लिए प्रेरित करें।
- पढ़ी-सुनी कहानियों और कविताओं के बारे में भी चित्र बना सकते हैं।
- आमतौर पर बच्चे अपने चित्रों को बेहतर बनाना चाहते हैं। इसलिए आप उन्हें बेहतर नमूने दिखाकर उनकी अभिव्यक्ति को और मज़बूत करने में सहायता कर सकते हैं।
- चित्रों के बारे में बच्चों से बात करें और जानने की कोशिश करें कि बच्चे ने क्या सोचकर वह चित्र बनाया है और उसे वैसा ही क्यों बनाया है।
- चित्रों को अच्छी तरह प्रदर्शित करें। इसके लिए कक्षा में एक जगह निर्धारित कर दें जिसे 'चित्रों का कोना' नाम दिया जा सकता है। चित्रों पर बच्चों या चित्र का नाम (विषय) भी लिखवाया जा सकता है।
- कक्षा का माहौल ऐसा बनाएँ, जिसमें बच्चे खुलकर अपनी बात चित्र बनाकर या पारंपरिक रूप से लिखकर व्यक्त करने में किसी डर या झिझक का सामना न करें।

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 52 5/26/2017 9:27:01 AM

बालक की आकारों की भाषा अपने ही निराले ढंग की होती है। वे आकार केवल आँख से दिखने वाले आकारों से भिन्न होते हैं और उन आकारों का स्वरूप बालक की उम्र और उसके अनुभवों के साथ बदलता जाता है। अगर बालक को उम्र के हिसाब से अनुभव भी उपयुक्त ढंग के मिल रहे होंगे तो उसके ये आकार भी अपनी स्वाभाविक गति से विकसित हो रहे होंगे।

शिक्षा का वाहन — कला, देवीप्रसाद, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास

चित्रों के साथ

अब आप दृश्य 2 को एक बार फिर देखिए। इस दृश्य में रूही अपने मन से एक चित्र बना रही है और उसका नाम भी लिख रही है। भले ही उसने जो नाम लिखा है, उसे उसके माता-पिता 'पढ़' नहीं सकते, लेकिन रूही को पता है कि उसने क्या लिखा है। आपने ध्यान दिया होगा कि रूही ने यहाँ अपनी ही एक लिपि गढ़ ली है, ठीक उसी तरह, जैसे कि मौखिक भाषा सीखते हुए उसने कभी नए शब्द गढ़ लिए थे।

उसके माता-पिता के लिए उन लकीरों का कोई मतलब नहीं है जिन्हें रूही ने 'कुत्ता' लिखने के लिए गढ़ा है। रूही के माता-पिता के लिए पढ़ने या लिखने का अर्थ है, 'परंपरागत तरीके से लिखना या पढ़ना', वह तरीका जिसे देखने की उनकी आँखें आदी हैं। यानी कु और त्ता! फिर भी खुशी की बात यह है कि वे रूही की अभिव्यक्ति के रूप का विरोध नहीं कर रहे बल्कि खुश हो रहे हैं। इससे रूही को अनजाने में ही प्रोत्साहन और समर्थन मिल रहा है जो कि बच्चे के भाषायी विकास के लिए बहुत ज़रूरी है।

दृश्य 5

रूही एक-डेढ़ साल की है। उसकी माँ कभी-कभी रूही को शांत करने के लिए उसके मुँह में शहद भरा एक निप्पल लगा देती है। न जाने कब रूही ने उसे 'कोकोजी' कहना शुरू कर दिया। अब वह सोने से पहले कोकोजी को खोजती और उसके साथ खेलती है। कुछ समय के बाद उसने कोकोजी को 'काका' कहना शुरू कर दिया। खुद बनाए शब्दों के साथ-साथ रूही शब्दों को परंपरागत रूप से बोलने की कोशिश भी करती है, जैसे— अतरी (छतरी), अप्पल (चप्पल), स्पिति (लिपस्टिक), बिनी (बिंदी) "बिंदी किसने लगाई है?" एक बार माँ ने रूही के

माथे पर बिंदी देखकर पूछा। रूही ने अपने सीने पर हाथ रखकर जवाब दिया और खुशी से कहा, "बिनी" यानी बिंदी रूही ने लगा रखी है।

"किसने लगाई?" माँ ने फिर पूछा। अबकी बार रूही ने अलग उत्तर दिया, "बिनी बुआ"

माँ ने हँसते हुए कहा, "अच्छा!!! बिंदी बुआ ने लगाई!"

आइए, अब इस दृश्य के बारे में सोच-विचार करते हैं। आप अपने जीवन के अनुभवों से जानते होंगे कि प्रत्येक बच्ची के भाषा सीखने के दौरान एक समय ऐसा आता है जब वह खुद के बनाए नए-नए शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। बड़े लोग उन शब्दों के अर्थ नहीं जानते, लेकिन बच्ची को उनका समझदारी से इस्तेमाल करते

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 53 5/26/2017 9:27:02 AM

देखकर उनके अर्थ समझ जाते हैं और वे भी उनका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। इस तरह हर बच्ची के साथ घर की एक घरेलू शब्दावली बन जाती है। हालाँकि समय के साथ-साथ धीरे-धीरे बच्ची इन स्वरचित शब्दों का प्रयोग छोड़कर उन शब्दों का उपयोग शुरू कर देती है, जिनका उपयोग उसके परिवेश में हो रहा है। भाषा सीखने और उसे अपना बनाने की यह एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसमें बच्ची अपने अनोखे तरीकों से नए-नए शब्द गढ़ती है और उनका सार्थक संदर्भों में इस्तेमाल करती है। रूही की तरह सभी बच्चे परिचित नामों के परंपरागत उच्चारण की कोशिश भी करते हैं। जब 'बड़े' लोग उनके प्रयास को समझ जाते हैं तो उन्हें सही दिशा में बढ़ने के लिए प्रोत्साहन और प्रेरणा मिलती है। जब बच्चे कुछ कहने की कोशिश करते हैं तो 'बड़े' धैर्य से उन्हें सुनते हैं, उनकी बात को समझने की कोशिश करते हैं और उस बात का पारंपरिक भाषा में जवाब या अपनी प्रतिक्रिया देते हैं।

लेखन कौशल के विकास में भी ठीक इसी तरह की अवस्थाएँ आती हैं, जिनमें बच्चे खुद की वर्तनी गढ़ते हैं या परंपरागत वर्तनी को सटीकता से दोहराने की कोशिश करते हैं। अगर आप बच्चों की अभिव्यक्ति को समझकर उसके बारे में टिप्पणी करेंगे या प्रतिक्रिया देंगे तो बच्चों के लेखन-कौशल के विकास में और अधिक सहायता मिल सकेगी।

ऊपर दिए उदाहरण में आपने एक और बात गौर की होगी। रूही जो बातें कह रही है, भले ही वे एक शब्द या दो शब्द हों, वास्तव में वे पूरे वाक्य हैं। रूही की माँ भी उन शब्दों को मात्र शब्द न मानकर उनको पूरे वाक्य के रूप में दोहरा रही है। क्या लेखन में भी ऐसा ही कुछ होता है?

जब बच्चे पारंपरिक लेखन को अपने तरीकों से अपनाने लगते हैं, उस समय वे भी एक या दो शब्दों में पूरे-पूरे वाक्य या पूरी घटना को अभिव्यक्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी चित्र के नीचे अगर बच्चे ने लिखा है 'चिया' तो इसका अर्थ निम्नलिखित में से कुछ भी हो सकता है—

- यह चिड़िया है;
- चिड़िया बैठी है;
- चिड़िया उड़ रही है;
- मैंने चिड़िया बनाई है;
- मैंने चिड़िया देखी है;
- चिड़िया खुश है, आदि।

बच्चे ने कौन-सी बात अभिव्यक्त की है, यह जानने के लिए आपको उसके साथ बातचीत करनी होगी, उसके दृष्टिकोण को समझना होगा और धैर्य रखना होगा। अगर बच्चे स्वनिर्मित वर्तनी या शब्दों का उपयोग कर रहे हैं तो आपको उन्हें समझने के लिए बच्चों की सहायता लेनी होगी।

साथ ही उन्हें खुद को लिखकर अभिव्यक्त करने के बहुत से 'सार्थक' मौके देने होंगे। यहाँ सार्थक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। सार्थकता का मतलब बड़ों के लिए अलग होता है और बच्चों के लिए अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए, पेंसिल पकड़कर उसे फ़र्श या मेज़ पर पटक-पटककर बजाना बड़ों के लिए कुछ सार्थकता नहीं रखता, जबकि बच्चों के लिए यह पूरी तरह उद्देश्यपूर्ण काम है। इसलिए आपको लिखने के ऐसे मौके खोजने होंगे जो बच्चों के लिए सार्थक

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 54 5/26/2017 9:27:02 AM

हों, यानी उन्हें खुद लिखने का मन करे, वे लिखने की वजह खुद महसूस कर सकें। एक वजह है बातचीत!

हम बोलकर बातचीत करते हैं। दो साल का बच्चा भी आराम से बातचीत कर सकता है। लेखन भी तो बातचीत का ही एक रूप है! इसलिए आपको बच्चों के सामने लेखन को इस तरह पेश करना और इस्तेमाल करना होगा, जिससे बच्चे यह महसूस कर सकें कि लेखन भी एक तरह की बातचीत ही है। बच्चे जितना ज़्यादा अपनी बातें लिखेंगे, उतना उनके लेखन का विकास होगा।

आपको बच्चों की गलतियों की खोजबीन करने के बजाय यह जानने की कोशिश करनी होगी कि बच्चे लेखन के विकास के सफ़र में अभी किस पड़ाव पर पहुँचे हैं और आगे बढ़ने के लिए उन्हें किस तरह की मदद की ज़रूरत है।

किसे लेखन नहीं कहा जा सकता—

दृश्य 6

रूही पहली कक्षा में बैठी है। एक हाथ से कॉपी को उसने अच्छी तरह पकड़ा हुआ है। उसकी अध्यापिका ने श्यामपट्ट पर कुछ शब्द लिख दिए हैं—

कल हल बल चल छल जल मल पल थल
खल झल टल ढल तल दल पल फल

अध्यापिका जी ने सूची बनाने के बाद बच्चों को वे शब्द बोलकर सुनाए और बच्चों से कहा, "इन्हें साफ़-साफ़ सुंदर लिखाई में अपनी-अपनी कॉपी में लिखो।"

सभी बच्चे अपनी-अपनी कॉपी खोलकर उतारने लगे। रूही ने भी ऐसा ही किया। एक हाथ से कॉपी पकड़े और दूसरे हाथ की उंगुलियों से पेंसिल थामे वह श्यामपट्ट पर लिखे शब्दों को ध्यान से देखकर अपनी कॉपी में उतारने लगी। एक बार वह श्यामपट्ट पर देखती, फिर कॉपी पर, फिर श्यामपट्ट पर, फिर कॉपी पर...धीरे-धीरे उसने काम पूरा कर लिया। फ़ुर्ती से वह अपनी कॉपी अध्यापिका जी के पास ले गई। अध्यापिका जी ने कॉपी देखी तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। रूही ने बहुत सुंदर अक्षर उतारे थे। अध्यापिका जी ने उसकी तारीफ़ की और पूरी कक्षा को उसकी कॉपी दूर से दिखाई, "रूही ने बहुत सुंदर काम किया है।"

उन्होंने सबको बताया। इसके बाद अध्यापिका जी ने उसकी कॉपी पर दो सितारे बनाए। तभी उन्होंने ध्यान दिया कि रूही ने कुछ शब्दों को दो-तीन बार और कुछ को कई बार लिख दिया है और इस कारण पूरा पन्ना भर गया है। उन्होंने रूही की मेहनत की मन-ही-मन प्रशंसा की।

किसी भी भाषा की कक्षा का यह एक आम दृश्य हो सकता है। इस दृश्य में हम देख सकते हैं कि रूही ने अध्यापिका जी द्वारा सौंपी गई ज़िम्मेदारी या काम को अच्छी तरह करना सीख लिया है। उसकी लिखाई अध्यापिका जी को बहुत सुंदर और प्रशंसा के काबिल भी लगती है। पर यहाँ कुछ सवाल हमें बेचैन कर रहे हैं। इन सवालों से जूझने में आप ही हमारी सहायता कीजिए। आपके विचार से रूही ने बिना अध्यापिका के कहे कुछ शब्दों को बार-बार क्यों लिख दिया? रूही जब अध्यापिका जी द्वारा दिया गया काम कर रही थी तो उसके दिमाग में क्या चल रहा था?

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 55 5/26/2017 9:27:03 AM

शायद रूही के दिमाग में ये बातें या ऐसी ही कुछ अन्य बातें रही होंगी—

- किसी तरह सुंदर-सुंदर आकृतियाँ बना लूँ ताकि मैडम जी खुश हो जाएँ।
- कल भी मैडम ने पूरे पन्ने पर ऐसा ही कुछ लिखवाया था, शायद आज भी पूरा पन्ना भरना है।
- सबसे पहले मैं ही काम पूरा करूँगी।
- सारे तो एक जैसे हैं।

लिखने के बारे में आप अब तक काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। लिखने की कुछ विशेषताएँ एक बार फिर यहाँ दी जा रही हैं—

- लिखना एक मानसिक प्रक्रिया है।
- लिखना समस्या-समाधान की प्रक्रिया है।
- लिखने का उद्देश्य अपने विचारों (ज़रूरतों, कल्पनाओं, भावों आदि) की अभिव्यक्ति है।
- लिखने के लिए अनेक निर्णय लेने की ज़रूरत पड़ती है।
- लिखने के लिए अनेक चुनाव करने होते हैं।
- खुद को अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्रता ज़रूरी है।

दृश्य 6 को एक बार फिर पढ़िए।

आपके विचार से जब रूही श्यामपट्ट पर से अक्षरों को उतार रही थी, तब उस काम में लिखने की ये बुनियादी बातें शामिल थीं? क्या इन बुनियादी शर्तों में से कोई एक शर्त भी उस काम में शामिल थी? हमें यकीन है कि आपका जवाब होगा – नहीं।

आप देख सकते हैं कि यहाँ रूही को न तो अपने विचार लिखने हैं, न किसी समस्या का खुद अपनी मर्ज़ी से चुनाव करना है, न कोई समाधान खोजना है। उसे सिर्फ नकल करनी है। लेकिन हमारा सवाल यहाँ भी वही है – रूही जो कुछ कर रही है, क्या आप इसे 'लिखना' कहेंगे?

अगर हम दृश्य 1 और दृश्य 6 की तुलना करें, तो हमारे सामने निम्नलिखित बातें उभरकर आ जाती हैं—

दृश्य 1 (चित्र)	दृश्य 6 (बोर्ड पर से उतारना)
यह कार्य खुद रूही ने अपनी मर्ज़ी से किया है	यह कार्य शिक्षक ने दिया है, बच्चों की मर्ज़ी या इच्छा का कोई महत्व नहीं है
अपने मन से/ कल्पना से अपने विचारों को अभिव्यक्त किया जा रहा है	यहाँ रूही को नकल करना ही लिखना लग रहा है
जो काम रूही कर रही है, उसका अर्थ स्पष्ट है	रूही के लिए इस काम का कोई अर्थ नहीं है
रूही अपने मन से खुद को अभिव्यक्त कर रही है	रूही की कोशिश है कि अंतिम परिणाम/उत्पाद मेल खा जाए
खुद को अभिव्यक्त कर सकने का संतोष है	बस काम पूरा कर देने का भाव है
रूही ने खुद एक चुनौती या लक्ष्य का चुनाव किया है, जिसे अपनी मर्ज़ी और गति से वह प्राप्त कर रही है	रूही को एक कृत्रिम लक्ष्य दे दिया गया है, जिसे करने के लिए उसके पास कोई कारण या आज़ादी नहीं है

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 56 5/26/2017 9:27:03 AM

इस तुलना से आपको महसूस हो रहा होगा कि श्यामपट्ट पर से कुछ उतारना या ऐसा ही कोई अन्य काम, जिसकी बच्चों के लिए कोई सार्थकता न हो, वह लेखन की बुनियादी कसौटियों पर खरा नहीं उतरता। इसलिए सिर्फ़ सुंदर अक्षरों को बना लेना या नकल कर लेना, किसी शब्द या वाक्य की आकृतियों को बार-बार बना देना 'लिखना' नहीं कहा जा सकता। केवल लिपिबद्ध करना लिखना नहीं है।

आप जानते होंगे कि अधिकतर स्कूलों में लिखने के नाम पर केवल नकल करने या उतार लेने का काम ही किया और करवाया जाता है। लिखने के नाम पर बच्चों को यांत्रिक तरीके से कुछ अक्षर या शब्द बार-बार उतारने के लिए कह दिया जाता है। यह प्रक्रिया कई सप्ताह या महीनों तक स्कूल में चलती रहती है। इस पूरी प्रक्रिया में लेखन का औचित्य ही समाप्त हो जाता है। वैसे भी हमारी कक्षाओं में स्वतंत्र लेखन के अवसर न के बराबर होते हैं। आमतौर पर सीमित लेखन जैसे प्रश्न-उत्तर के अवसर ही ज़्यादा होते हैं। पाठ्यपुस्तकों के प्रश्न-उत्तर भी अभिव्यक्ति का ज़रिया नहीं बन पाते, बल्कि नकल का आधार बन जाते हैं। और तो और, जिन सवालों में साफ़-साफ़ बच्चों के विचार पूछे गए हों, उनके भी उत्तर बोर्ड पर या कुंजीनुमा किताबों के सहारे से उतरवा दिए जाते हैं। निबंध, पत्र आदि लिखने का काम, जिनका उद्देश्य ही लेखक यानी बच्चे की अभिव्यक्ति का विकास करना होता है, उन्हें भी रस्मी विषयों तक सीमित कर दिया जाता है, जैसे— 'स्वतंत्रता दिवस' पर निबंध लिखो या 'पिताजी को पत्र लिखकर रुपये मँगाओ।'

नकल करने या उतार लेने से बच्चों की अभिव्यक्त करने की कुशलता पर क्या असर पड़ता है, कभी महसूस किया है आपने?

उतारने या नकल करने के कुछ दुष्परिणाम ये हैं—

- उतारने की परंपरा के कारण बच्चा समस्याओं के हल खोजने की रणनीतियाँ नहीं खोज पाता।
- वह हमेशा के लिए सहारे खोजता रहता है। कुछ लिखना हो तो शिक्षक की ओर ताकता रहता है इस उम्मीद में कि उसे बताया जाए कि क्या और कैसे लिखना है।
- स्वतंत्र रूप से नहीं लिख पाता।
- मात्राओं पर ज़्यादा ध्यान रहता है, अभिव्यक्ति पर कम।
- बच्चे त्रुटिरहित लेखन और सुंदरता पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, मौलिकता पर कोई महत्व नहीं होता।
- बच्चे के मन में डर आता है कि लिखना मेरे बस की बात नहीं।
- उतारने के काम से बच्चों की लिखने की स्वाभाविक इच्छा पर रोक लग जाती है और अपनी बातें कहने की उनकी उत्सुकता कहीं खो-सी जाती है।
- बच्चे लिखने के आनंद को भूल जाते हैं और उन्हें ऐसा लगने लगता है कि लिखना तो किसी तरह का अभ्यास या 'पढ़ाई' है। उन्हें लगने लगता है कि

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 57 5/26/2017 9:27:03 AM

लेखन की प्रत्येक पंक्ति उन्हें शिक्षक द्वारा सिखाई या लिखवाई जाएगी। अपने मन से भी कुछ लिखा जा सकता है, यह उन्हें असंभव लगने लगता है।

लिखने में बच्चों का साथ कैसे दें

लिखना पढ़ने से अभिन्न रूप से जुड़ा है। दोनों साथ-साथ चलते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम कुछ लिखते हैं तो जितना लिख चुके हैं, उसे साथ-साथ पढ़ते जाते हैं। जितना पढ़ा है, उसके आधार पर आगे क्या लिखना है, उसे गढ़ते जाते हैं। इस दो-मुखी प्रक्रिया के अलावा भी पढ़ना और लिखना एक-दूसरे को कई तरह से सहारा देते हैं। इन्हें समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं। अरुण जी की कक्षा में एक गतिविधि रोज़ की जाती है — आज की बात

इस गतिविधि में अरुण जी कक्षा में आकर सब बच्चों के बीच बैठ जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। बातचीत का विषय कुछ भी हो सकता है, जो भी बच्चों को अच्छा लगे या बच्चे जिस बात को बताना चाहें। बच्चे जो बातें करते हैं, उनमें से एक बात चुनकर एक निर्धारित जगह पर लिख दी जाती है। आज चंदा ने बताया— "आज हमऊ हाट जइहें।"

अरुण जी ने यह बात उस जगह पर लिख दी, जहाँ पहले से लिखा है "आज की बात" सभी बच्चे जानते हैं कि यहाँ रोज़ कोई एक बात लिखी जाती है। जब अरुण जी चंदा की बात लिख रहे थे तो वे बोलते जा रहे थे कि वे क्या लिख रहे हैं। एक बात और, अरुण जी बिलकुल वही लिख रहे थे, जो चंदा ने कहा था, उसमें अपनी तरफ़ से कोई फ़ेरबदल नहीं कर रहे थे, न ही उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ बच्चे भी बिना किसी के कहे, साथ-साथ दोहरा रहे थे कि वहाँ क्या लिखा जा रहा है।

जब अरुण जी इस वाक्य को लिख रहे थे तो बच्चे देख रहे थे कि जो बोला जा रहा है, उसे ही लिखा जा रहा है। इससे उनकी ये धारणा मज़बूत हो रही थी कि बोली गई बात को लिखा जा सकता है। दूसरे शब्दों में, वे समझ पा रहे थे कि लेखन, बातचीत की एक विस्तारित प्रक्रिया ही है। साथ-साथ उन्हें यह भी नज़र आ रहा था कि लिखने की दिशा बाएँ से दाएँ होती है। वे जान-समझ रहे थे कि जो कुछ लिखा जा रहा है, वह एक सार्थक बात है। चूँकि जो कुछ लिखा जा रहा था, वह उनमें से एक बच्चे द्वारा कही गई बात ही थी, इसलिए वे और ज़्यादा ध्यान से लिखे हुए को देख रहे थे। इस कारण वे ध्यान दे पा रहे थे कि लिखित संकेतों की छवि कैसी है। वे देख रहे हैं कि दो शब्दों के बीच कितनी दूरी होती है। इसके अलावा भी वे कई बातें अपने-आप समझ पा रहे हैं, सिर्फ़ एक गतिविधि के ज़रिए।

इस गतिविधि में अरुण जी बच्चों के सामने एक आदर्श या मॉडल प्रदर्शित कर रहे हैं। जब एक बार लिखने से इतने अधिक फ़ायदे हम खोज पा रहे हैं तो रोज़ इस गतिविधि को करने से बच्चों के लेखन पर कैसा असर होगा, आप कल्पना कर ही सकते हैं। यकीनन, आप जितना ज़्यादा बच्चों के सामने लिखेंगे, उतना बेहतर होगा।

आप लिखने की शुरुआत बातचीत से भी कर सकते हैं। आप बच्चों से ही पूछ सकते हैं कि वे क्या लिखना चाहते हैं या किसके बारे में लिखना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, बच्चों की पसंद के खाने-पीने

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 58 5/26/2017 9:27:03 AM

की चीज़ों के बारे में बातचीत करने के बाद उन नामों को श्यामपट्ट पर लिखने के लिए कहें। स्वाभाविक है कि ज़्यादातर बच्चे अलग-अलग शब्द लिखेंगे। अब उन्हें अपनी-अपनी कॉपी में इन शब्दों की सूची बनाने के लिए कहा जा सकता है। इसी गतिविधि को वर्णों की पहचान करवाने से भी जोड़ा जा सकता है। इसके लिए आप दो शब्दों में समानता खोजने और उसकी पहचान करने का खेल करवा सकते हैं।

जब बच्चे ऐसी गतिविधियाँ और खेल खेलते हैं जिनमें लिखने की ज़रूरत शामिल रहती है, तो वे खुद ही लिखने की माँग करना शुरू कर देते हैं। जब बच्चे माँग करते हैं, तो वे उस क्षण कुछ न कुछ लिखना ज़रूर चाहते हैं। इससे आपका कार्य आसान हो जाता है।

पढ़ना, लिखने के लिए एक 'संदर्भ संग्रह' का काम करता है। जितना अधिक बच्चे पढ़ते हैं, उतना अधिक वे संग्रह करते जाते हैं। अब आप जानने के लिए उत्सुक होंगे कि वे पढ़ते हुए किन चीज़ों का संग्रह करते हैं। बच्चे (और हम भी) कहानी, कविता या कोई भी अन्य सामग्री पढ़ते हुए तथ्य, कहानी की रूपरेखाएँ, भाषायी संरचनाएँ, बात कहने के तरीके आदि इकट्ठा करते जाते हैं। बच्चे जितना अधिक पढ़ेंगे, उतना अधिक यह संग्रह मज़बूत होगा।

प्रत्येक भाषा के कुछ नियम होते हैं। हम बच्चे को प्रत्येक नियम या भाषायी प्रयोग सिखा नहीं सकते। भाषायी नियम सिखाने की सीमा है। न तो हम प्रत्येक भाषायी प्रयोग और नियम जानते हैं, न ही सबकुछ सिखाना संभव है। हालाँकि, हम कहानी को नियम सिखाने के लिए नहीं सुनाते, फिर भी कहानी पढ़कर सुनाने का यह फ़ायदा है कि बच्चों को कई नियम या भाषायी प्रयोग खुद-ब-खुद आ जाते हैं।

बच्चों को रोचक कहानियाँ और कविताएँ सुनाकर/ पढ़कर भी उनके लेखन कौशल के विकास में साथ दिया जा सकता है। जब हम बच्चों को कहानी सुनाते हैं या कहानी की किताब पढ़ने के लिए देते हैं तो बच्चे को पता चलता है कि लिखित भाषा कैसी होती है, बात को कहने का ढंग किस-किस तरह का होता है। वे महसूस करने लगते हैं कि किसी बात को कैसे कहना अच्छा रहता है। कहानी की संरचना उनके मन में बनने लगती है। लेख और कहानी में अंतर पता चलने लगता है। पढ़ने के साथ लेखन की अवधारणाएँ बनने लगती हैं। लेखन का मौका मिलने पर बच्चों को इन अवधारणाओं के इस्तेमाल का मौका मिलता है।

कहानी सुनाने का एक पक्ष यह भी है कि बच्चों में कहानी लिखने की उत्सुकता भी जागने लगती है। बच्चे कहानी बनाना तो काफ़ी पहले शुरू कर देते हैं लेकिन अब वे किसी सुनी या अनसुनी कहानी को अपने तरीके से लिखने के लिए भी तैयार हो चुके होते हैं। पढ़ने से लेखन के लिए मदद /सहारा मिलता है। हो सकता है कि बच्चे पढ़ी गई किसी कहानी के नाम का अपनी कहानी में उपयोग कर लें या उसकी किसी घटना को अपनी कहानी में थोड़ा बदलकर इस्तेमाल कर लें। उदाहरण के लिए, हो सकता है कि "मैं भी.." या 'बिल्ली के बच्चे' कहानी को पढ़ने के बाद या सुनने के बाद वे उसे अपने अंदाज़ में फिर से लिखना चाहें या उसे आगे बढ़ाना चाहें। अगर वे ऐसी इच्छा ज़ाहिर करते हैं तो आपका सकारात्मक रुख और

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 59 5/26/2017 9:27:03 AM

प्रोत्साहन के दो शब्द उनके उड़ने के लिए पंखों का काम करेंगे। ज़रूरत सिर्फ़ एक मौके की है। यह मौका उन्हें आपको ही देना होगा। बच्चों के लिए लिखने के अनेक अवसर बनाकर हम इस सफ़र में उनका सच्चा साथ दे सकते हैं।

आप अपनी कक्षा में बच्चों को लिखने के जो भी मौके दें, ध्यान ये रखना होगा कि लेखन कार्य ऐसा हो जो बच्चे को स्वाभाविक रूप से एक सक्रिय लेखक बनने के अवसर देता हो। बच्चे लेखन का उपयोग अपनी बात कहने, कल्पना करने, जानकारी देने, खबर देने, पता लगाने, खोज करने, बातचीत करने और सपने बताने के लिए कर सकें, इस बात की कोशिश करनी चाहिए। आप अगर प्रत्येक बच्चे से एक जैसे लेखन कार्य की उम्मीद करेंगे, फिर तो बच्चे कभी स्वतंत्र लेखक नहीं बन सकेंगे।

आप कोशिश करें कि लिखने की जो भी गतिविधि आप करवाएँ, बच्चों के लिए उसका कोई सार्थक उद्देश्य हो। दूसरा, बच्चों को स्पष्ट रूप से पता हो कि वे किसके लिए लिख रहे हैं। आप समझ गए होंगे कि हम एक बार फिर आपका ध्यान 'पाठक' और 'उद्देश्य' की ओर दिलाना चाहते हैं, यानी—

1. किसको ध्यान में रखकर लिखना है? (पाठक)
2. क्या लिखना चाहते हैं? (उद्देश्य)

लेखन के इन दोनों पक्षों को मज़बूत करने के लिए आप अनेक गतिविधियाँ आयोजित कर सकते हैं। पाठक की ओर ध्यान दें तो साफ़ समझ में आता है कि निश्चित तौर पर किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष की बात कही जा रही है। आप कोई ऐसी गतिविधि गढ़ सकते हैं, जिसमें बच्चे अपने पास बैठे या दूसरी क्लास में बैठे किसी बच्चे के बारे में या अपने माता-पिता के बारे में सोचकर लिखें। वे गली के किसी कुत्ते या अपने गाँव आदि के बारे में भी लिख सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि गतिविधि ऐसी हो, जिसमें बच्चों के पास लिखने के लिए कोई-न-कोई बात या बहुत-सी बातें ज़रूर हों। अगर आप बच्चों से किसी ऐसी चीज़ के बारे में लिखने के लिए कहेंगे जिसके बारे में उन्होंने कभी सुना नहीं है या जिसे कभी देखा भी नहीं है, तो वे कुछ नहीं लिख सकेंगे। इससे उनका आत्मविश्वास डगमगा जाता है। इसलिए आप जो भी लेखन कार्य करवाएँ, उसमें बच्चों के विचारों और अनुभवों को ही आधार बनाएँ।

बच्चे जैसे-जैसे बड़े होते हैं, उनके अनुभवों का दायरा भी बढ़ता चला जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए लेखन में और आयाम जोड़े जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, बच्चों से कहा जा सकता है कि वे खुद को किसी वस्तु, जैसे—पंखे या किसी प्राणी, जैसे— बिल्ली के स्थान पर रखकर सोचें कि वह क्या सोच रहा होगा। उन्हें कारण सोचने के लिए कहा जा सकता है, जैसे— आपको कौन सबसे अच्छा लगता है और क्यों?

एक और मज़ेदार काम यह हो सकता है— आपको अपनी बात इस पेंसिल को समझानी है। कैसे समझाओगे?

इस तरह के कामों से बच्चे अलग-अलग तरीकों से सोचना शुरू करेंगे। सोचने की इस पूरी प्रक्रिया में बच्चों को शब्द और वाक्य अलग से सिखाने की

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 60 5/26/2017 9:27:03 AM

ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वे खुद-ब-खुद अलग-अलग पाठकों के हिसाब से खुद अपनी पसंद के शब्दों को चुन सकेंगे।

आप जो भी गतिविधि बनाएँ और करवाएँ, इतना ध्यान में रखें कि जो भी बच्चे लिखें, उसका कोई संदर्भ ज़रूर हो। यह संदर्भ ही बच्चों को उनके लेखन का 'उद्देश्य' देगा।

आकलन

कक्षा में बच्चे के लेखन का विकास बहुत कुछ आपके नज़रिए पर निर्भर करता है। किसी के नज़रिए को अपनी आँखों से देख पाना या दिखा पाना बहुत कठिन है, लेकिन हम जिस नज़रिए की बात कर रहे हैं, वह आप खुद को भी दिखा सकते हैं और दूसरों को भी वह नज़र आ जाता है। बच्चों के लेखन को देखकर आप जो प्रतिक्रिया करते हैं। उसके द्वारा आपका नज़रिया पता चल जाता है।

आज भी ज़्यादातर कक्षाओं में बच्चों के लेखन में इस तरफ़ ध्यान नहीं दिया जाता कि बच्चे ने अपने दिल की बात लिखी है या नहीं, बल्कि सारा ज़ोर अक्षरों की सही बनावट, लिखाई और शुद्धता पर रहता है। नतीजा यह होता है कि पूरी कॉपी पर जगह-जगह लाल गोले और काटे के निशान नज़र आते हैं। अगर बच्चे गलती नहीं करते तो मात्र एक सही का निशान लगाकर काम निपटा दिया जाता है। ये दोनों ही स्थितियाँ सही नहीं हैं और अधूरेपन को जताती हैं। अगर आप कॉपियों पर सिर्फ़ काटे या गोले बना देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप बच्चे की सिर्फ़ कमियाँ ही दिखा रहे हैं। इसमें बच्चे के लिए छिपा हुआ संदेश यह है कि उसका लेखन गलतियों से भरा है और उसमें कुछ भी सही नहीं है। साथ ही, बच्चे के लिए यह संदेश भी है कि आपकी नज़र में वर्तनी ही महत्वपूर्ण है, विचार नहीं। क्या यह संभव है कि अगर आपके कहने से बच्चे ने कुछ कार्य किया है तो उसमें कुछ भी प्रशंसा के लायक न हो? कितना अच्छा हो अगर आप बच्चे को बता दें कि उसने जो काम किया है, उसमें आपको क्या-क्या अच्छा लगा? यकीन कीजिए, बच्चे के मन पर आपके हज़ारों गोलों और काटे के निशानों से अधिक असर आपकी इस एक बात का होगा!

इसके लिए आपको बच्चों के प्रत्येक कार्य के बारे में अपने विचार यानी टिप्पणियाँ भी लिखनी चाहिए। उदाहरण के लिए, आपका काम बहुत अच्छी तरह लिखा हुआ है, इसे पढ़कर मुझे अपने बचपन की बात याद आ गई, आप इसके साथ-साथ यह भी लिख सकते थे कि..., आपने फ़लाने शब्द का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है... इस बात को ऐसे भी कहा जा सकता था, ज़रा रेणु का काम पढ़कर देखो, उसने इसी बात को कैसे लिखा है आदि। और भी कई तरीके हैं जिनसे आप बच्चों के कार्य के बारे में अपनी प्रतिक्रया दे सकते हैं, जैसे— संकेतों का प्रयोग, किसी पुस्तक का संदर्भ देना भले ही वह पाठ्यपुस्तक ही क्यों न हो, बच्चे के किसी पिछले कार्य से तुलना करना आदि। इन सब तरीकों से आप बच्चों को यह एहसास करवा सकेंगे कि वे जो कुछ लिख रहे हैं, आपकी नज़र में वह महत्वपूर्ण है। इससे वे और अधिक बेहतर लिखने के लिए प्रेरित होंगे। इससे उन्हें यह भी एहसास होगा कि लिखना कोई यांत्रिक काम

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 61 5/26/2017 9:27:04 AM

नहीं है और न ही यह सिर्फ़ वर्तनी और व्याकरण है। आप उन्हें एहसास करवा सकेंगे कि लिखना वास्तव में बातचीत करने का ही एक रूप है और जब वे लिख रहे होते हैं तो असल में आपसे लिखकर बात कर रहे होते हैं। बातचीत एकतरफ़ा हो तो बातचीत नहीं लगती। इसलिए आपकी ओर से दी गई लिखित और मौखिक प्रतिक्रिया इस बातचीत को संपूर्ण बनाती है।

जब बच्चे अपने मन से कुछ लिखें तो हमें उनके दृष्टिकोण से ही उनकी अभिव्यक्ति को समझना होगा, तभी हम सही प्रतिक्रिया या आकलन कर सकेंगे। तब ही हम समझ सकेंगे कि उनकी स्वनिर्मित वर्तनी गलतियाँ नहीं हैं, बल्कि पारंपरिक वर्तनी तक जाने का एक अस्थायी पड़ाव है। होता ये है कि हम उनकी स्वनिर्मित वर्तनी को स्थायी मानकर बेचैन हो उठते हैं और इस चिंता में न जाने क्या-कुछ नहीं कर डालते। जबकि हमें करना सिर्फ़ इतना है कि बच्चों को पढ़ने के भरपूर मौके और सामग्री दें ताकि वे पारंपरिक वर्तनी से मेलजोल बढ़ा सकें।

यदि आपको ऐसा लगे कि बच्चे किसी टेढ़ी वर्तनी की गलती बार-बार कर रहे हैं तो उस और उसके जैसे अन्य शब्दों की वर्तनी की ओर बच्चों का ध्यान दिलवाने के लिए आप रोचक क्रियाकलाप और खेल करवा सकते हैं।

आप कोशिश कर सकते हैं कि बच्चे खुद अपनी गलतियों को पहचान सकें। उदाहरण के लिए, अगर किसी शब्द की वर्तनी बच्चे बार-बार गलत लिख रहे हैं तो आप उससे मिलता-जुलता शब्द दें और बच्चों को उन शब्दों में से सही शब्दों को पहचानने के लिए प्रेरित करें। आप खुद बच्चों को भी अपनी और एक दूसरे की गलतियाँ पहचानने के काम में शामिल कर सकते हैं। इससे बच्चे अपने काम का मूल्यांकन खुद करने में सक्षम होंगे।

लेखन की गतिविधियाँ

कुछ गतिविधियाँ नीचे दी गई हैं, जिन्हें आप पहली और दूसरी कक्षा में आराम से करवा सकते हैं—

- सूची बनाना— बच्चों से परिचित चीज़ों, जैसे रसोई के सामान की सूची बनवाएँ। सूची को ब्लैकबोर्ड पर लिख दें। इसके बाद बच्चों के दो समूह (क और ख) बनवाएँ। अब समूह 'क' के बच्चे समूह 'ख' के बच्चों से किसी वस्तु की माँग करेंगे। समूह 'ख' का कोई बच्चा खड़ा होकर बताएगा कि उस वस्तु का नाम कहाँ लिखा है या उसे कैसे लिखते हैं।
- चित्र को अपने मन से कोई नाम देना।
- कहानी या कविता का शीर्षक रखना।
- कविता या कहानी को आगे बढ़ाना— बच्चों को कोई कविता सुनाकर उसमें 3-4 पंक्तियाँ जोड़ने के लिए कहा जा सकता है। किसी कविता में किसी एक शब्द को बदलकर बच्चों को आगे की पंक्तियों को बोलने और लिखने के लिए भी कहा जा सकता है।
- तुकबंदी करना।
- नक्शा बनाना— बच्चों से उनके घर जाने का रास्ता पूछें। रास्ते बताने के लिए वे जिन शब्दों का

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 62 5/26/2017 9:27:04 AM

उपयोग करेंगे, उन्हें लिखवाने की कोशिश करें, जैसे— मंदिर, बाज़ार, पीपल का पेड़, झाड़ियाँ आदि। इसके बाद बच्चे स्कूल से घर तक का रास्ता चित्र बनाकर दर्शाएँगे और इन शब्दों को सही जगह पर लिखेंगे। बाद में नक्शे के बारे में थोड़े बड़े वाक्य भी लिखवाए जा सकते हैं, जिनमें वे थोड़े विस्तार से उस चीज़ का वर्णन करेंगे, जैसे स्कूल का पिछला हिस्सा इत्यादि।

- चित्र में होने वाली घटनाओं का वर्णन करना।
- अपने रोज़मर्रा के अनुभवों को लिखना।
- पाठ्यपुस्तक की गतिविधियों को सार्थक संदर्भ बनाकर पूरा करना।
- खुद की या दोस्तों द्वारा लिखी गई रचनाओं का कक्षा में प्रदर्शन करना।
- कक्षा में लिखित-समृद्ध परिवेश बनाना (किताबों, चित्रों, पोस्टरों, बच्चों द्वारा लिखी सामग्री आदि की सहायता से) और उसका उपयोग पढ़ने-लिखने की गतिविधियों में करना।
- परिचित वस्तुएँ, परिचित चिह्न/संकेत आदि एकत्रित करना— बच्चों से कहा जा सकता है कि घर से स्कूल आते समय नज़र आने वाली वस्तुओं या चिह्नों की सूची बनाएँ, जैसे— पोस्टर, विज्ञापन आदि। यह सूची शब्दों के ज़रिए भी बनाई जा सकती है और चित्रों के ज़रिए भी। इसके बाद बच्चों को उनके बारे में बताना है कि उन्हें उन्होंने कहाँ देखा और उसका उपयोग कहाँ पर होता है।
- शब्द पूरा करना— इस गतिविधि के लिए आप बच्चों के समूह बनवाकर उन्हें शब्द दे दें और उससे मौखिक और लिखित वाक्य बनवा लें।
- पहेली— बच्चों के समूह बनवाएँ। उन्हें एक कागज़ दें। उस समूह में से एक बच्चा एक वाक्य सोचकर एक शब्द लिखेगा और अपने पास वाले बच्चे को दे देगा। यह कागज़ एक बच्चे से दूसरे बच्चे के पास चला जाएगा। इसी तरह बढ़ते हुए कागज़ आखिरी बच्चे तक पहुँच जाएगा। उसे बताना है कि पहले बच्चे ने क्या वाक्य सोचा होगा।

स्वयं के अनुभव

आज एक सवाल आप स्वयं से कीजिए। याद करके बताइए कि आपने पिछली बार अपने मन के विचारों की अभिव्यक्ति कब की थी? कल? परसों? पिछले हफ़्ते? या याद ही नहीं आ रहा?

अगर हम खुद अपने विचारों को लिखकर अभिव्यक्त नहीं करते, या अगर हम खुद लिखने के अभ्यस्त नहीं हैं, तो हम बच्चों को लिखने के दौरान आने वाली चुनौतियों का अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं? हम कैसे जान सकते हैं कि स्वतंत्र रूप से लिखने पर कैसा महसूस होता है और कहाँ क्या दिक्कत आ सकती है? हो सकता है आपमें से कुछ साथी कहें कि हम अनुभवी हैं। खुद लिखते नहीं हैं तो क्या, लिखना क्या होता है, यह तो जानते ही हैं। बात तो विचारणीय लगती है। पर क्या बिना पानी में उतरे तैरना सीखा

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 63 5/26/2017 9:27:04 AM

या सिखाया जा सकता है? सिर्फ़ नियम जान लेने से क्या कोई खिलाड़ी बन सकता है? तो सिर्फ़ लिखने के नियम या व्याकरण जानने भर से कोई कैसे लेखक बन या बना सकता है?

हम जब खुद लिखना शुरू कर देंगे और उस रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे जिस पर हम बच्चों को ले जाना चाहते हैं, तब हम सच्चे अर्थों में उनके हमसफ़र बन सकेंगे।

टिप्पणियाँ

इस लेख में अनौपचारिक भाषा और संवादों का प्रयोग किया गया है ताकि वास्तविक जीवन की स्वाभाविकता बनी रहे और आम बोलचाल की भाषा की झलक नज़र आ सके।

लेख में प्रयुक्त 'बड़ों' शब्द का आशय है वयस्क वर्ग जिनमें शिक्षक, अभिभावक आदि सभी सम्मिलित हैं।

लेख में रूही नाम की लड़की के जीवन के जिन दृश्यों का उल्लेख है, वे काल-क्रम के अनुसार नहीं हैं बल्कि प्रसंग/विषयानुसार हैं।

'पारंपरिक वर्तनी' का अर्थ है, शब्दों की वह वर्तनी जिसे सामान्यत: लोग पहचानते और प्रयोग में लाते हैं। छोटे बच्चे इस वर्तनी तक पहुँचने से पहले अपनी स्वयं की वर्तनी गढ़ सकते हैं, जिसे 'स्व-निर्मित वर्तनी' कहा जा सकता है।

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 64 5/26/2017 9:27:04 AM

9

बाल साहित्य-स्वरूप और शुरुआती दौर का शिक्षण

*मीनाक्षी खार**

शुरुआती दौर के स्कूली शिक्षण में बाल साहित्य की अहम भूमिका है। साहित्य हमारी संस्कृति, जीवन शैली और रहस्यों का दर्पण है। यह स्कूल और बच्चों में जीवन की वास्तविकता को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी भी है। इसलिए यह ज़रूरी है कि शिक्षकों को उपयुक्त बाल साहित्य की परख हो और कक्षा की गतिविधियों में बाल साहित्य के उपयोग की समझ हो।

साहित्य का भाषा शिक्षण से गहरा संबंध है। वास्तव में भाषा सीखने की शुरुआत साहित्य से रूबरू होने से होती है। कहानियों, कविताओं, खेल गीतों इत्यादि का भाषा सीखने और भाषा पर पकड़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षकों के लिए गौर करने की बात है कि यह शुरुआत स्कूल आने से पहले हो जाती है। परंतु स्कूल में अपनायी जाने वाली शिक्षण पद्धतियाँ बच्चों की साहित्य से पनपी भाषा की क्षमताओं को उचित स्थान नहीं देतीं।

साहित्य से उपजी भाषा की संपूर्णता की समझ के आनंद और अनुभवों का बच्चों की अकादमिक सफ़लता में बहुत बड़ा योगदान होता है। अकादमिक सफ़लता से हमारा तात्पर्य भाषा एवं अन्य विषयों की पुख्ता समझ का बनना है।

साहित्य पर आधारित शिक्षण पद्धति निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण मानी जाती है—

- स्कूली शिक्षा शुरुआती दौर में बच्चों के स्कूल में ठहराव का एक अहम मुद्दा है। साहित्य की रोचकता बच्चों में स्कूल के प्रति आकर्षण जागृत करती है।
- साहित्य के आयामों से परिचित होने के कारण बच्चे कक्षा की गतिविधियों में भाग ले पाते हैं।
- भाषा कौशल, जैसे कि, पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, का विकास एक साथ संभव होता है।
- कहानी, कविता को पढ़ने और उनसे जुड़ी गतिविधियाँ बच्चों में दुनिया की समझ और व्यक्तिगत नज़रिया विकसित करने में कारगार साबित होती हैं।
- बच्चों की स्मृति पर कम और उनके सोचने की प्रक्रिया पर ज़ोर ज़्यादा होता है। ऐसा होने से बच्चों की सोचने की प्रक्रिया सबल होती है।
- बच्चों का किताबों से परिचय और जुड़ाव में वृद्धि होती है।

यह कहना भी सत्य है कि कक्षा में साहित्य का इस्तेमाल बच्चों और शिक्षक को एक-दूसरे के करीब लाता है।

**सहायक प्रोफ़ेसर*, भाषा शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी, नयी दिल्ली 110016

बाल साहित्य की कक्षा में महत्ता

यह बात गौरतलब है कि प्रत्येक भाषा के साहित्य कोश का एक हिस्सा 'बच्चों के साहित्य' के नाम से जाना जाता है। यह तथ्य इस बात की ओर इशारा करता है कि बच्चों के लिए एक विशेष प्रकार से गढ़ा साहित्य ज़रूरी है।

इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं—

- बच्चों का साहित्य बच्चों की आयु एवं रुचि के अनुरूप होता है।
- कहानियों और कविताओं में रोचकता होती है जो बच्चों का ध्यान उसमें बाँधे रखती है।
- कहानियों और कविताओं में विषयों की विविधता होती है।
- कल्पना पर आधारित साहित्यिक रचनाएँ बच्चों को सम्मोहित करती हैं।
- जानकारीपरक पुस्तकें, पत्र, चित्रों को समझने और उन पर कहानी बुनने वाली पुस्तकें, बच्चों के साहित्य का हिस्सा हैं।
- बाल साहित्य बच्चों को अपने घर संसार की परिक्रमा कराने के साथ-साथ लोगों और सांसारिक परिस्थितियों को समझने और परखने की क्षमता विकसित करता है।

कक्षा में बाल साहित्य

शिक्षाविद् यह मानते हैं कि साहित्य का उपयोग बच्चों को भाषा सीखने-सिखाने के लिए किया जाना चाहिए। स्कूलों में प्रचुर मात्रा में साहित्य उपलब्ध भी कराया जा रहा है। ऐसे में यह अत्यावश्यक है कि—

- शिक्षक उपयुक्त किताबों का चुनाव करें।
- स्वयं बाल साहित्य को पढ़ें और किताबों का चयन करने की समझ बनाएँ।
- बाल साहित्य को पाठ्यपुस्तक से जोड़कर पाठ का विस्तार करें।
- बाल साहित्य को कक्षा में की जाने वाली गतिविधियों का आधार बनाएँ।
- बच्चों की व्यक्तिगत प्रतिक्रियाओं पर गौर करें और उन्हें किताबों से जुड़ने के लिए उत्साहित करें।

बाल साहित्य का बदलता स्वरूप

हर एक पुस्तक जो बच्चों के लिए बनी हो, 'साहित्य आधारित शिक्षण पद्धति' का हिस्सा नहीं बन सकती। प्रिंटिंग प्रेस और कम्प्यूटर के इस युग में इनसे प्रभावित और भिन्न-भिन्न प्रकार के रंग-बिरंगी तस्वीरों पर केंद्रित बाल साहित्य की भरमार नज़र आती है। शिक्षक और अभिवावक रंग-बिरंगी पुस्तकों को ही उपयुक्त मान सराहते और खरीद लेते हैं। परंतु क्या हम देखते हैं कि कहानी, कविता कहती क्या है? क्या कहानी में प्रवाह है, पात्रों के प्रति आकर्षण और कविता को गुनगुनाने की खूबी और अर्थों की गहराई मौजूद है। बड़े आकार के चित्र, बेमेल रंग, कहानी और चित्रण में तालमेल की कमी, कहानी या कविता की किताब को पढ़ने का अनुभव निरर्थक बना देती है।

बाज़ार में उपलब्ध ज़्यादातर बच्चों की पुस्तकों में कहानी की मौलिकता कम और उबड़-खाबड़ चित्रण ज़्यादा दिखाई देता है।

बच्चों के अनुभवों से जुड़ी कल्पना लोक में मंडराती दमदार कहानी की किताबें बच्चों को

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 66 5/26/2017 9:27:04 AM

लिखने, पढ़ने, सुनने-सुनाने, चित्रण करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। क्या है परियों-भूतों की कहानियों में, मोगली, सिंदबाद की यात्रा के साहसिक और दिलचस्प अनुभवों और पौराणिक कहानियों में, ये हमारी सामूहिक स्मृति का हिस्सा हैं और आज भी अपना आकर्षण बनाए हुए हैं। किस्सा, कहानी सुनाने के अनुभवों में आज भी यह बहुत प्रिय हैं।

आज के युग में 'सबसे ज़्यादा की होड़' में कहानीकार पहले से उपलब्ध बाल साहित्य को प्रस्तुत करने की चेष्टा में कहानी की सरंचना और मौलिकता को नष्ट ही कर देते हैं। ऐसा बाज़ार में उपलब्ध *पंचतंत्र* की कहानियों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कुछ बिंदु जो हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं, वे हैं—

- मौलिक कहानियों की विशेषताओं पर ध्यान न देना।
- कहानियों को सारांश में बताने की चेष्टा में कहानी की मौलिकता और प्रवाह नष्ट हो जाता है।
- कहानीकार का ध्यान केवल अच्छाई, बुराई के प्रदर्शन पर केंद्रित है। परिस्थितियों में उतार-चढ़ाव, पात्रों का मानसिक द्वंद्व जो कहानियों में जान फूँकता है, कहीं अदृश्य हो गया है।
- कहानियाँ उपदेशात्मक ज़्यादा नज़र आती हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कहानियाँ— क्या करना है और क्या नहीं करना है, केवल ये ही बताती हैं। क्यों करना है और क्यों नहीं करना, इसका वर्णन नहीं किया जाता।

पंचतंत्र की कहानियाँ बाल साहित्य की गुणवत्ता का एक उच्चतम उदाहरण हैं। *पंचतंत्र* की मौलिक कहानियाँ बच्चों के मनोविज्ञान, रुचि और उनके मार्गदर्शन के पहलुओं पर केंद्रित हैं। ये कहानियाँ नीति, दूरदर्शिता और मानवीय मूल्यों का बच्चों से परिचय कराती हैं। इन कहानियों का ताना-बाना ऊपरी उपरोक्त मूल्यों का संदेश पाठकों तक पहुँचाता है। यानि कि कहानीकार क्या अच्छा है और क्या बुरा और क्यों ऐसा है जैसे प्रश्नों को उठाता ज़रूर है, परंतु अंतिम निर्णय पाठकों पर ही छोड़ देता है।

अकबर बीरबल की कहानियों के विस्तार में बीरबल की सूझबूझ और चतुराई का विशेष स्थान है। परत दर परत खुलती यह मौलिक कहानियाँ एक नए परंतु रसविहीन और निरर्थक रूप में प्रस्तुत की गई हैं। कहानियों को एक चुटकले के रूप में ही बदल दिया गया है। इन कहानियों को नए परिवेश में ढालने के प्रयास से कहानियाँ वास्तविक नहीं लगती हैं और पाठक इनसे जुड़ नहीं पाते।

हाल ही में मैंने एक कहानी पढ़ी जिसमें अकबर को पर्यावरण से जुड़े वर्तमान मुद्दों की जानकारी न होने की बात की गई है। कहानी अधूरी और वास्तविकता से दूर प्रतीत होती है, क्योंकि ये मुद्दे अकबर के ज़माने में प्रचलित नहीं थे। प्रकाशक/कहानीकार ने पुस्तक में इस नए ढंग के प्रस्तुतीकरण की बात कहीं नहीं कही है जो कि लेखन से संबंधित आचार संहिता की अवहेलना भी प्रतीत होती है।

सुझाव

बाल साहित्य की किताबों में कहानी रोचक और चित्र सजीव होने चाहिए। चित्रों में जान रंग नहीं चित्रकार की सृजनात्मकता डालती है। इसलिए बच्चों

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 67 5/26/2017 9:27:04 AM

के लिए बनाई जाने वाली किताबों में कहानीकार और चित्रकार का तालमेल होना चाहिए। यह अनिवार्य है कि शिक्षक बाल साहित्य का विश्लेषण करें और उनकी कक्षा में उपयोगिता को भी निर्धारित कर लें। उदाहरण के लिए, कुछ पारंपरिक कहानियों, जैसे कि अंग्रेज़ी के बाल साहित्य की *लिट्ल रेड राइडिंग हुड*, को केवल पढ़ लेना या सुनाना ही काफ़ी नहीं होगा। इस तरह की कहानियों के कथानक पर चर्चा आज के परिवेश से जुड़कर करनी चाहिए। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए कक्षा में ही बाल साहित्य उपलब्ध कराएँ। इसके लिए कक्षा के एक उपयुक्त कोने में रीडिंग कार्नर का निर्माण किया जाना चाहिए।

टिप्पणी

यह लेख प्रारंभिक शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी. के प्रारंभिक साक्षरता कार्यक्रम के उद्देश्यों और गतिविधियों से उभरी विचारधाराओं पर आधारित है। लेखिका इस प्रोग्राम से जुड़ी हैं।

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 68 5/26/2017 9:27:04 AM

10

उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा की कटु सच्चाइयाँ

*शशि कला वर्मा**

शिक्षा किसी भी सभ्य समाज या राष्ट्र के विकास की प्रमुख सूचक होती है। देश की सुदृढ़ता और जीवनशक्ति उसके शिक्षित कर्णधारों पर टिकी होती है। प्राथमिक शिक्षा इस शिक्षा-व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी और नींव सदृश मज़बूती की प्रथम सीढ़ी है। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू के शब्दों में – *"मैं देश के हर बच्चे की आँखों में आने वाले हिन्दुस्तान की तस्वीर देखता हूँ।"* अर्थात् बच्चे हमारे परिवार की धरोहर ही नहीं बल्कि देश के कर्णधार व भविष्य-निर्माता भी होते हैं। अत: देश की सरकार व प्रत्येक नागरिक का यह पावन कर्तव्य बनता है कि वह अपने नव-निहालों को उत्तम से उत्तम शिक्षा मुहैया कराएँ। वर्तमान में सर्व शिक्षा अभियान (एजुकेशन फ़ॉर ऑल) व मध्याह्न भोजन योजना जैसे अनेक कार्यक्रम सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की दिशा में नि:संदेह महत्वपूर्ण कदम हैं। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा की उपलब्धता का लक्ष्य सर्व शिक्षा अभियान में रखा गया था। 11 लाख बस्तियों के 192 मिलियन बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लक्ष्य धारण किए हुए यह व्यापक कार्यक्रम बहुत हद तक अभी तक के सफ़ल प्रयासों में से श्रेष्ठतम माना जा सकता है।

इसके अतिरिक्त प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकारों में शामिल करने हेतु 86वाँ संविधान संशोधन, 2002 पारित किया गया। इसके तहत अनुच्छेद 45 में यह बात जोड़ी गई कि *राज्य को, सभी बच्चों को तब तक के लिए शुरुआती देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए प्रयास करना होगा, जब तक की वे छह वर्ष के नहीं हो जाते।* आज प्राथमिक शिक्षा में अध्ययन-अध्यापन, शिक्षण-पद्धतियों, कक्षा-कक्ष प्रक्रियाओं जैसे तमाम मुद्दों में नवाचार व शैक्षणिक सुधार हेतु नित नूतन प्रयोग समय-समय पर किए जा रहे हैं। स्कूल सुधार से लेकर, पुस्तकों व शिक्षकों की गुणवत्ता तथा छात्रों की संख्या को लेकर किए जा रहे अभिनव प्रयोग नि:संदेह काबिल-ए-तारीफ़ हैं, परंतु कतिपय कटु सच्चाइयाँ भी हम-आप से विलग नहीं हैं—

- विशिष्ट बी.टी.सी. के माध्यम से मात्र शैक्षणिक योग्यता (मेरिट) पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति में फ़र्जी अंक-पत्रों का बनना तथा भ्रष्टता के तमाम अन्य प्रकरण समय-समय पर सामने आते रहते हैं।
- नियमित बी.टी.सी. की योग्यता इंटरमीडिएट से बढ़ाकर स्नातक किया जाना भी एक अजब प्रयोग ही है, जब कि सच्चाई तो यह है कि करियर

*प्राथमिक विद्यालय, पचघरा खरवहिया नं.-1, लखीमपुर-खीरी (उ.प्र.) 262 723

दिशाकरण (Career Channelisation) के लिए जितना उपयुक्त समय (प्राथमिक शिक्षक बनने हेतु) 12वीं के ठीक बाद होगा, उतना स्नातक के बाद कदापि नहीं।

- प्राथमिक शिक्षकों के तौर पर नियुक्ति पाने वाले अत्यधिक योग्यताधारी व्यक्तियों को जब छोटी-छोटी सामान्य बातें सिखानी पड़ती हैं, तो ऐसे कार्यों में अपने आपको हीनता से ग्रसित पाते हैं।
- ऐसे लोग कभी-भी अपने व्यवसाय या कार्य के प्रति संतुष्ट होते नहीं दिखते और असहजता वश बस यूँ ही मोटी पगार पाने हेतु खानापूर्ति करते हुए प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता पर कठोर आघात ही पहुँचाते हैं।
- शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार हेतु प्राथमिक स्तर पर किए गए प्रयासों में अध्यापक उतनी तन्मयता व रुचि नहीं दिखाता, जितनी कि उसे सजगता के साथ आगे बढ़ना चाहिए।
- रुचिपूर्ण शिक्षण, उन्नयन प्रशिक्षण व बहुकक्षा शिक्षण जैसे नवाचारों पर आधारित कार्यशालाओं में प्राथमिक शिक्षक बतौर औपचारिकता ही हिस्सा लेते हैं।
- खेल-कूद, भोजन व परिधानों से जुड़ी सरकारी नीतियों में अधिकांशत: ज़मीनी स्तर पर बंदर-बाँट के किस्से अक्सर सामने आते हैं।
- प्राथमिक शिक्षकों को आये दिन कागज़ी कार्यों, जैसे— बालगणना, जनगणना व मतदाता सूची के पुनरीक्षण इत्यादि जैसे कार्यों में संलग्न करने के कारण शिक्षण कार्य बाधित होता रहता है। यहाँ तक कि एकल शिक्षक विद्यालयों में काफ़ी समय तक ताला लगने की भी स्थिति आ जाती है।
- डायट में प्रशिक्षकों/प्रवक्ताओं की कमी के चलते बस किसी तरह खानापूर्ति कर सरकारी नीतियों/योजनाओं को अंजाम दिया जाता है।
- औचक निरीक्षण के परिणामस्वरूप दोषी शिक्षकों, अधिकारियों व ग्राम प्रधानों आदि को कोई कठोर सज़ा न देकर, मामले को ठंडे बस्ते में डालकर, रफ़ा-दफ़ा कर दिया जाता है।
- महिला शिक्षकों की सुदूर ग्रामीण अंचलों में नियुक्ति व कोई भी उचित आवासीय व परिवहन व्यवस्था का न होना भी समय-समय पर उनकी अस्मिता से जुड़े सत्य उजागर करते रहते हैं।

इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा में आज भी अनेक ऐसी समस्याएँ विद्यमान हैं, जो कोंपल को कमज़ोर कर रहीं हैं, जो न सिर्फ़ पहली आधार-स्तम्भ होती हैं, बल्कि संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था की सृजक भी हैं, क्योंकि संस्कारों के बीज तो प्राथमिक शिक्षा से ही पनपते हैं और सुदृढ़ धरातल से उन्नत भविष्य की मंज़िल का सुनहरा सपना भी इसी से होकर जाता है। अत: प्राथमिक शिक्षा की ज़मीनी स्तर पर यथार्थ स्थिति पहचान कर इसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करना सरकार सहित हम सभी का पुनीत कर्तव्य होना चाहिए।

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 70 5/26/2017 9:27:05 AM

शोध आलेख

11

नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 गुणात्मक विश्लेषण

*कुसुम यदुलाल**

प्राथमिक स्तर पर सभी बालक/बालिकाओं हेतु नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के महत्व को शिक्षाविदों द्वारा स्वीकार किया गया है। यह तथ्य अनुभव से भी सिद्ध हुआ है, क्योंकि शिक्षा से व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है और सभ्यता का विकास होता है। बच्चे शिक्षा द्वारा अपनी संस्कृति से काफ़ी हद तक रूबरू हो पाते हैं। विज्ञान प्रगतिवान होता है और लौकिक ज्ञान चहुँमुखी होकर मानव जाति का मार्ग उत्तरोत्तर उत्थान हेतु प्रशस्त करता है। इस संदर्भ में भयावह सत्य भी हमारे सम्मुख उपस्थित होता है कि जिन देशों में उपलब्ध अवसरों एवं संसाधनों के असमान वितरण अथवा अनभिज्ञता के कारण बालक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, ऐसे देश अन्य देशों की अपेक्षा पिछड़ेपन का शिकार होते हैं। इसलिए सभी देशों ने मानव विकास पर ज़ोर देते हुए शिक्षा के प्रचार-प्रसार एवं अनिवार्यता पर बल दिया है। स्वतंत्र भारत के संविधान में भी समतामूलक और शिक्षा से संबंधित अनेक प्रावधान इसी दृष्टि से रखे गए हैं कि भारतवर्ष के प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार हो और वे इससे वंचित न रहें, इसलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में दिया गया है – ''बालकों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी होने तक नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा।''

भारत के सभी 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। समय-समय पर इस क्षेत्र में विभिन्न आयोगों ने भी अपने महत्वपूर्ण सुझाव सरकार के समक्ष प्रस्तुत किए और केंद्र और राज्य सरकारों ने भी निरक्षरता का उन्मूलन करने हेतु अपने-अपने स्तर पर प्रयास किए हैं। पिछले 60 वर्षों में विद्यालय व्यवस्था में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। विचारणीय तथ्य यह है कि हम आज तक 'सभी को शिक्षा प्राप्त हो', इस लक्ष्य को पूर्ण नहीं कर पाए हैं। जिसके फलस्वरूप सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ किया गया, जिसका लक्ष्य सन् 2010 तक 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को उपयोगी एवं गुणात्मक

* *वरिष्ठ व्याख्याता*, शिक्षाशास्त्र विभाग, आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ (मानित विश्वविद्यालय), नयी दिल्ली 110016

शिक्षा प्रदान करना था। किंतु जिस उत्साह के साथ यह अभियान शुरू किया गया था, वह प्राप्त होता न देखकर भारत सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया, जो 27 अगस्त 2009 को अधिनियम के रूप में पारित कर दिया गया। जिसके द्वारा यह घोषण की गई कि सभी बच्चों को जो 6 से 14 वर्ष के हैं, उन्हें सरकार नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य प्रारूप के संबंध में बनाया गया है। इस अधिनियम के कई भाग बनाए गए हैं, जो क्रमश: इस प्रकार हैं—

- प्रारंभिक शिक्षा;
- नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार;
- राज्य सरकार, स्थानीय अधिकारी एवं माता-पिता के कर्त्तव्य;
- विद्यालयों एवं शिक्षकों की ज़िम्मेदारी;
- पाठ्यक्रम एवं प्राथमिक शिक्षा का पूर्तिकरण;
- बच्चों के अधिकार की सुरक्षा; और
- शिक्षा के विविध संदर्भों को समाहित करना।

प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन

प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन को जानने से पहले गुणवत्ता आश्वासन क्या है, इसके अर्थ को समझना अति आवश्यक है। गुणवत्ता आश्वासन के दो आयाम हैं– 1. गुणवत्ता; और 2. आश्वासन। गुणवत्ता से हमारा तात्पर्य किसी सेवा या उत्पााद में वे समग्र लक्षण और विशेषताएँ हैं, जो उसके बारे में वर्णित या निहित गुणों को पूरा करने की क्षमता रखती हैं। जबकि आश्वासन से तात्पर्य गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक रचनात्मतक कौशल है, जिसके द्वारा अपव्यय एवं दोषपूर्ण भागों का उत्पादन रोक दिया जाता है। जिसमें गुणवत्ता प्रदान करने के लिए रूपांकन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। जबकि संपूर्ण गुणवत्ता से तात्पर्य है – सतत सुधार के लिए प्रतिबद्धता और संगठन के सभी सदस्यों की भागीदारी। यदि प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन को देखना है तो गुणवत्ता आश्वासन को विभिन्न सोपानों से होकर गुज़रना होगा, जो क्रमश: इस प्रकार हैं—

- नि:शुल्क एवं प्रारंभिक शिक्षा का गुणवत्तापूर्ण कार्यान्वयन किया जाए।
- नि:शुल्क एवं प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में जहाँ कमियाँ हैं, उनकी पहचान की जाए।
- नि:शुल्क प्रारंभिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन में कमी लाकर समस्याओं का निवारण करना होगा तथा शिक्षा में नामांकन को बढ़ाना होगा।
- नि:शुल्क प्रारंभिक शिक्षा में नियमित सुधार करके संगठन के सभी सदस्यों की भागीदारी, सतत सुधार करके संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन को प्राप्त करना है।

इस प्रकार गुणवत्ता आश्वासन के माध्यम से नि:शुल्क एवं प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में कमियों को जानकर उनका नियंत्रण करके तथा निवारण हेतु रोकथाम करके और सतत सुधार के माध्यम से शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता आश्वासन को प्राप्त किया जा सकता है।

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 72 5/26/2017 9:27:05 AM

बॉयर, 1996 के अनुसार विद्यालयी गुणवत्ता के लिए पाँच प्राथमिकताएँ अत्यावश्यक हैं, जो इस प्रकार हैं—

- उस संस्था के भीतर समुदाय बोध का निर्माण;
- भाषायी केंद्रीयता – प्रतीकों का अध्ययन एवं उपयोग;
- पाठ्यचर्या का सामंजस्य;
- सृजनात्मक अधिगम के लिए वातावरण का निर्माण – सक्रिय अधिगम के लिए एक स्थान, न कि अकर्मणीय अधिगम, एक स्थान जहाँ लोग सजग बनने के लिए सीखें, ना कि अनुकरण के लिए, जहाँ वे सहयोग करना सीखें, साथ ही साथ प्रतिस्पर्धा भी हो;
- ऐसे वातावरण का निर्माण जो हर विद्यार्थी के चारित्रिक निर्माण की पुष्टि करे।

प्रारंभिक शिक्षा का मूल्यांकन

किसी शिक्षा संस्था के आकलन और उपचार की प्रमुख गुणात्मक विधि है स्वॉट विश्लेषण– यह विश्लेषण का ऐसा प्रकार है, जहाँ पर इसे आत्मविश्लेषण के रूप में समझा जा सकता है। स्वॉट विश्लेषण— एस.डब्यू.ओ.टी. (SWOT)– सामर्थ्य, कमज़ोरी, अवसर तथा खतरा विश्लेषण। यह बुनियादी तौर पर संगठनात्मक उपचार के लिए प्रतिभागितापरक प्रणाली है, जिसमें किसी संगठन के सदस्य अपनी ताकत, कमज़ोरी, अवसरों तथा खतरों की पहचान कर सामूहिक रूप से निर्णय करते हैं।

प्रारंभिक शिक्षा और एस.डब्ल्यू.ओ.टी.

- नि:शुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा में वे क्या पहलू/कदम हैं जिन पर भरोसा किया जा सकता है तथा जिन्हें और बढ़ाया जा सकता है?
- नि:शुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा में संस्था के सामने कौन से अवसर हैं, जिनका उपयोग शक्ति-संवर्धन में किया जा सके?
- नि:शुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा में वे क्या मुद्दे हैं जिन पर तत्काल ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे वे विकास के लिए खतरा न बनें?

नि:शुल्क एवं प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में विद्यालय में गुणवत्ता शिक्षा के विभिन्न प्रतिमान (मॉडल)

प्रतिमान एवं मॉडल के प्रकार	विद्यालय में शिक्षा गुणवत्ता की अवधारणा	मॉडल उपयोगिता के लिए शर्तें	गुणवत्ता आकलन के लिए सूचक/मूल क्षेत्र
लक्ष्य एवं विशेष विवरण प्रतिमान (मॉडल)	विद्यालय के लक्ष्यों की प्राप्ति तथा दिए गए विशेष विवरणों की पुष्टि	जब विद्यालय के लक्ष्य स्पष्ट हों	विद्यालयी उद्देश्य, मानदंड और विशेष विवरण जो विद्यालयी/कार्यक्रम योजनाओं में सूचीबद्ध हैं, उदहारण के लिए, शिक्षा दर, विद्यालय त्याग की दर आदि

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 73 5/26/2017 9:27:05 AM

संसाधन निवेशित प्रतिमान (मॉडल)	विद्यालय के लिए आवश्यक गुणवत्ता संसाधन एवं निवेश की प्राप्ति	जब विद्यालयी निवेश एवं उत्पादन के बीच एक स्पष्ट संबंध हो	विद्यालय कार्यकारी संस्थानों की उपलब्धि, उदाहरणस्वरूप विद्यार्थी निवेश की गुणवत्ता, सुविधाएँ, आर्थिक सहायता आदि
प्रक्रिया प्रतिमान (मॉडल)	आंतरिक सहज प्रक्रिया एवं सार्थक अधिगम अनुभव	जब विद्यालयी प्रक्रिया एवं शैक्षिक उत्पााद के बीच स्पष्ट संबंध हो	नेतृत्व, सहभागिता, सामाजिक प्रभाव, कक्षा का वातावरण, अधिगम गतिविधियाँ एवं अनुभव आदि
संतुष्टि प्रतिमान (मॉडल)	विद्यालय के सभी प्रमुख क्षेत्रों में संतोष	जब क्षेत्रों की माँग संगत हो तथा जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता	शिक्षा सत्ता, प्रबंधन मंडल, प्रशासकों, अभिभावकों, विद्यार्थियों आदि का संतोष
वैधानिकता प्रतिमान (मॉडल)	विद्यालय की वैध स्थिति एवं मान्यता की प्राप्ति	जब विद्यालय के अस्तित्व एवं बंद होने की बात हो, उसका आकलन होना ही चाहिए। जब वातावरण बहुत अधिक प्रतियोगी एवं माँग वाला हो	जनसंपर्क, बाज़ारीकरण, सार्वजनिक छवि, मान्यता, समुदाय में स्तर, उत्तरदायित्व का साक्ष्य आदि
समस्याओं की अनुपस्थिति प्रतिमान (मॉडल)	विद्यालय में समस्याओं तथा संकटों की अनुपस्थिति	जब गुणवत्ता की कसौटी पर कोई असहमति न हो, परंतु विद्यालय के सुधार के लिए कार्यनीति की आवश्यकता हो	विवादों, दुष्क्रियाओं, कठिनाइयों, कमियों, कमज़ोरियों, संकटों आदि की अनुपस्थिति
संगठनात्मक अधिगम प्रतिमान (मॉडल)	वातावरण बदलाव और आंतरिक बाधाओं को अपनाना, लगातार सुधार करना	जब विद्यालय नए हों या बदल रहे हों। जब वातावरण के बदलाव को अनदेखा नहीं किया जा सकता	

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 74 5/26/2017 9:27:05 AM

नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा गुणवत्ता प्रबंधन के सोपान

संपूर्ण गुणवत्ता आश्वासन के उपागम एवं गतिविधियाँ

1. संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन

- सभी के समक्ष लक्ष्य और उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए।
- शैक्षिक कार्यों में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की सहभागिता।
- शिक्षकों और प्रशासकों में ताल-मेल स्थापित करना।
- सभी शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के कार्यों एवं उत्तरदायित्व का बंटवारा।
- शिक्षा विशेषज्ञों एवं शिक्षा जगत से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य रूपांतरण का अधिकार।
- सतत सुधार के लिए प्रतिबद्धता।
- संगठन के सभी सदस्यों की भागीदारी।
- समस्या समाधान आधारित कार्य-प्रणाली।
- सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करना।
- संख्यात्मक की जगह गुणात्मक
- सहयोग एवं समन्वय आधारित कार्यक्रम।
- शिक्षा तथा आत्म-सुधार हेतु प्रबल कार्यक्रम स्थापित करें।

2. गुणवत्ता आश्वासन

- नियंत्रण हेतु अनुशासन का सख्ती से पालन करना।
- समस्या समाधान निराकरण हेतु रोकथाम पर बल देना।
- क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से व्यावहारिक समाधान।
- गुणवत्ता का लेखा-जोखा तथा मूल्यांकन।
- शिक्षा से संबंधित विभिन्न आयामों पर शोधकार्य किए जाएँ।
- निरीक्षण के स्थान पर पर्यवेक्षण को महत्व प्रदान किया जाए।
- बाहरी मूल्यांकन के स्थान पर आंतरिक मूल्यांकन व आत्म-सुधार हेतु प्रेरित।

3. गुणवत्ता नियंत्रण

- विद्यार्थियों एवं अध्यापकों का अनुपात उचित मात्रा में होना चाहिए।
- गुणवत्ता की कसौटी निश्चित की जाए।
- शिक्षकों एवं प्रबंधन की उचित व्यवस्था हो।
- उचित समय से वित्तीय व्यवस्था की जाए।

4. निरीक्षण

- विद्यालय में आंतरिक निरीक्षण का उत्तरदायित्व प्रधानाध्यापक को सौंपा जाए।
- सत्र की समाप्ति पर प्रधानाध्यापक द्वारा मूल्यांकन और पुन: सुधार हेतु सुझाव।
- संसाधनों में कमी हो तो प्रशासकों को जागृत किया जाए।
- विद्यार्थी अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक की कार्य-संतुष्टि का ध्यान रखा जाए।
- समय-समय पर अध्यापकों, प्रशासकों एवं पर्यवेक्षकों के लिए सेमिनार, गोष्ठियाँ और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना चाहिए।

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 75 5/26/2017 9:27:06 AM

- सभी को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए, इसके लिए सरकार, शिक्षा-प्रशासक, प्रधानाध्यापक, अध्यापक, अभिभावक और सामाजिक कार्यकर्ता का सहयोग समय-समय पर प्राप्त होना चाहिए।

नि:शुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा हेतु सुझाव

प्रबंधकों के लिए

- प्रबंधन तंत्र में सक्रियता को बढ़ाया जाए।
- भौतिक एवं मानवीय संसाधनों की उचित व्यवस्था की जाए।
- विद्यालय में आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठि की स्थापना की जाए।
- सतत सुधार के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए।
- कार्यालयी कार्य के लिए कार्यालय सहायक को अतिरिक्त धनराशि दी जाए।
- विद्यालय में पर्यवेक्षण की उचित व्यवस्था की जाए।
- विभागीय व्यक्तियों में तालमेल एवं समन्वय स्थापित किया जाए।
- सलाह व सहायता के लिए विशेषज्ञों की मदद ली जाए।
- सभी अध्यापकों एवं कर्मचारियों के कार्यों का उचित बंटवारा किया जाए।
- संगठन के सभी सदस्यों की भागीदारी होनी चाहिए।
- अपव्यय एवं अवरोधन की रोकथाम की जाए।

अध्यापकों के लिए

- विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात नियमानुसार होना चाहिए।
- प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा अनुदेशन हेतु अध्यापकों को विशेष प्रशिक्षण सुविधा प्रदान की जाए।
- उचित साधन, सुविधा, वेतन तथा आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
- शिक्षण समय का ध्यान रखकर अन्य कार्यभार सौंपा जाए। नवाचार अनुकूलन व रचनात्मक परिवर्तन का अधिकार दिया जाए।
- संख्यात्मक के स्थान पर गुणात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाए।
- विद्यालय में क्रियात्मक अनुसंधान करने के लिए प्रेरित किया जाए।
- अध्यापकों के ट्यूशन पर सख्त पाबंदी लगाई जाए।
- अतिरिक्त समय देने पर अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की जाए।
- केंद्र, राज्य, ज़िला/ब्लॉक/स्तरों पर सम्मान एवं पुरस्कार योजना लागू की जाए।
- शिक्षकों की कार्यकुशलता, कर्त्तव्यनिष्ठा हेतु उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श की उचित सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

अभिभावकों के लिए

- प्रत्येक महीने में एक-दो बार अभिभावक विद्यालय में अवश्य आएँ।

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 76 5/26/2017 9:27:06 AM

- गृहकार्य को पूरा करने में अपना पूर्ण सहयोग दें।
- छात्रों की शैक्षिक समस्या समाधान में सहयोग प्रदान करें।
- शिक्षण अधिगम में रूपांतरण तथा परिवर्तन हेतु सुझाव प्राप्त करें।
- छात्र, अध्यापक, प्रशासक एवं अभिभावक में अच्छे संबंध स्थापित किए जाएँ।
- केंद्र, राज्य, ज़िला एवं विद्यालय स्तर पर अभिभावकों को सम्मान पुरस्कार दिए जाएँ।

समाज और समुदाय के लिए

- नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के बारे में समाज और समुदाय के सम्मुख लक्ष्य और उद्देश्य की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए।
- जिन समुदायों के बच्चे बिलकुल पिछड़े हुए हैं, उन्हें अतिरिक्त सुविधाएँ प्रदान की जाएँ, ताकि वे देश की मुख्य धारा से जुड़ सकें।
- समुदाय विशेष में शिक्षा प्रदान करने की ज़िम्मेदारी सौंपी जाए।
- महिला शिक्षा के प्रति सभी को जागृत किया जाए तथा इनके विशेष शिक्षण की व्यवस्था की जाए।
- ग्रामीण स्तर पर समाज के प्रमुख व्यक्तियों को भी अनिवार्य शिक्षा में सहभागी बनाया जाए।
- समाज और समुदाय नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु विशेष सुविधाएँ सरकार द्वारा सीधे व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाएँ।
- शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जो भी व्यक्ति कार्य करे, उसे उचित धनराशि और सम्मान एवं पुरस्कार दिया जाए।

अन्य सुझाव

- शिक्षा में किए जा रहे निवेश के प्रति लोगों को जागृत किया जाए।
- विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर गतिविधियाँ की जाएँ।
- संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था छात्र केंद्रित और विकास पर आधारित होनी चाहिए।
- विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को अपनी भूमिकाओं की ज़िम्मेदारी स्पष्ट होनी चाहिए।
- सुधारात्मक गुणवत्ता कार्यक्रम बनाए जाएँ।
- विविध प्रकार की बजटों की व्यवस्था की जाए , जो विद्यालय की आवश्यकतानुसार हों।
- आवश्यकतानुसार अतिरिक्त मानवीय एवं भौतिक संसाधन उपलब्ध कराए जाएँ।
- सूचना एवं तकनीकी सेवा की सहायता से छात्रा, अध्यापकों एवं अभिभावकों को संपर्क सुविधा हो और मिलकर समस्या का समाधान निकाला जाए।
- सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।
- गुणवत्ता कार्यनीति, मूल्यांकन स्पष्ट होना चाहिए।
- सतत गुणवत्ता सुधार योजना होनी चाहिए।
- विद्यार्थियों, अध्यापकों, प्रशासकों एवं अभि-भावकों का पृष्ठपोषण किया जाए ताकि समस्याओं के समाधान व्यक्तिगत स्तर पर किए जा सकें।
- संपर्क शिक्षण व्यावस्था की जाए।
- विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखकर शैक्षणिक गतिविधियाँ की जाएँ।

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 77 5/26/2017 9:27:06 AM

- दीर्घकालीन योजनाएँ बनाई जाएँ।
- संगठन के सभी कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना ही हमारा प्रमुख लक्ष्य है। इस हेतु, गोष्ठी, संगोष्ठी, कार्यशाला तथा समय-समय पर वार्तालाप आयोजित किए जाने चाहिए।

अंत में कह सकते हैं कि नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार–2009 के संदर्भ में प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की शिक्षा की ज़िम्मेदारी सुनिश्चित कर अधिनियम लागू करने में सरकार, समाज एवं विद्यालय, परिवार, विद्यार्थी, अभिभावक तथा अन्य शिक्षाविदों को एकजुट होकर आगे आना होगा, तभी इस अधिनियम को सफ़ल बनाया जा सकता है।

संदर्भ

एन.सी.ई.आर.टी. 2004. *विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा*. नयी दिल्ली.

___. 1998. गुणात्मक विद्यालय शिक्षा हेतु दक्षता आधारित प्रतिबद्धता उन्मुख अध्यापक शिक्षा. एन.सी.ई.आर.टी. दस्तावेज़. नयी दिल्ली.

कुमार, कृष्ण. 1996. *बच्चे की भाषा और अध्यापक—एक निर्देशिका*. नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया.

जी.बी, योगेन्द्र. 2002. *शिक्षा में नवाचार एवं नवीन प्रवृत्तियाँ*. विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा.

पांडे, लता (संपादक). 2008. *पढ़ने की दहलीज़ पर— पढ़ने से संबंधित लेखों का संकलन*. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् , नयी दिल्ली.

मर्मर मुखोपाध्याय. 2002. *शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन*. राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नयी दिल्ली.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. भारत सरकार. 1986. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति*. नयी दिल्ली.

भारत सरकार का राजपत्र. 2009. *नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009*. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नयी दिल्ली.

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 78 5/26/2017 9:27:06 AM

12

प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर विकेंद्रीकृत प्रबंधन प्रणाली में ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, अध्यापकों तथा शिक्षा अधिकारियों में सामंजस्य की स्थिति का अध्ययन

*अजय प्रकाश तिवारी**

शिक्षा मानव विकास की आधारशिला है। यह निर्विवाद है कि शिक्षा का कोई विकल्प नहीं है। आज हमने इक्कीसवीं सदी में प्रवेश करते हुए विकास की कई ऊँचाइयों को पार किया है। इस विकास का मूल आधार शिक्षा ही है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह जन्म से ही अनौपचारिक रूप से परिवार व समाज से शिक्षा ग्रहण करने लगता है। औपचारिक शिक्षा की शुरुआत वह प्राथमिक स्कूलों से करता है। प्राथमिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा रूपी इमारत की बुनियाद है। इसीलिए बहुत से देशों में प्राथमिक शिक्षा के लिए संविधान में कानूनी उपबंध किए गए हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने भी प्राथमिक शिक्षा को आवश्यक मानते हुए संविधान में राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्वों में व मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा का उल्लेख किया है।

प्राथमिक शिक्षा का विकास करने के लिए प्रारंभ की गई योजनाएँ —

1. विकेंद्रीकरण
2. मध्याह्न पोषाहार योजना
3. आनंददायी अधिगम
4. बिहार शिक्षा योजना
5. उत्तर प्रदेश बुनियादी शिक्षा परियोजना
6. शिक्षा कर्मी
7. लोक जुम्बिश
8. आंध्र प्रदेश प्राथमिक शिक्षा योजना
9. कस्तूरबा गाँधी शिक्षा योजना
10. सर्व शिक्षा अभियान
11. मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा

प्रबंध का अर्थ एवं परिभाषा

संगठन मनुष्य का समूह है, जिसका कुछ उद्देश्य होता है। उन उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। ऐसे अनेक संगठन होते हैं, जैसे— आर्थिक संगठन, प्रशासनिक और राजनैतिक संगठन, शैक्षिक संगठन आदि। इन संगठनों को निर्देशित, समन्वित और एकीकृत करने के लिए मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है।

**रीडर*, शिक्षाशास्त्र विभाग, नेहरू ग्राम भारतीय विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 221505

'प्रबंध' एक बहुआयामी शब्द है जिसे आधुनिक औद्योगिक जगत में कई अर्थों में प्रयोग किया जाता है। कुछ व्यक्ति इसका संकीर्ण अर्थ लगाते हैं, तो कुछ व्यक्ति विस्तृत अर्थ। संकीर्ण अर्थ की परिभाषा मेरी पार्कर कोलेट ने इस प्रकार दी है, ''प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की कला है।'' इस अर्थ के अनुसार वह व्यक्ति जो दूसरे व्यक्तियों से कार्य करा सकता है, 'प्रबंधक' कहलाता है। विस्तृत अर्थ में, ''प्रबंध एक कला एवं विज्ञान है जो निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न मानवीय प्रयासों से संबंध रखता है।'' इस अर्थ में प्रबंध में प्रमुखतया नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन अभिप्रेरण और नियंत्रण आदि कार्य सम्मिलित होते हैं। एक विद्वान ने प्रबंध का अर्थ स्पष्ट करने के लिए अंग्रेज़ी शब्द *'Management'* की व्याख्या *"Manage-Men-Tactfully"* के रूप में की है। इस प्रकार प्रबंध का तात्पर्य व्यक्तियों से कार्य लेना है।

विकेंद्रीकृत प्रबंधन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

सर्वप्रथम 1882 में हण्टर कमीशन का सुझाव था कि प्राथमिक शिक्षा का भार स्थानीय संस्थाओं को सौंपा जाए। किंतु 1919 में हर्टोग समिति तथा 1944 में सार्जेन्ट योजना के अनुसार इसे रद्द कर दिया गया। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 'पंचायत राज एक्ट' पास करके ग्राम पंचायतों पर प्राथमिक शिक्षा का दायित्व सौंप दिया गया। 'खरे समिति–1951' ने प्राथमिक शिक्षा का दायित्व स्थानीय संस्थाओं को सौंप दिया तदुपरांत 'बी.आर. मेहता समिति–1957' में स्थानीय संस्थाओं को और भी महत्व दिया तथा उसके सुझावानुसार प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था तीन भागों में बाँट दी गई —

1. ग्राम पंचायत— विकास क्षेत्र स्तर पर
2. क्षेत्र समिति— विकास क्षेत्र स्तर पर
3. ज़िला समिति— जनपद क्षेत्र स्तर पर

1961 में मेहता समिति के सुझावानुसार उपरोक्त व्यवस्था को क्रियान्वित करने हेतु ज़िला परिषद् एक्ट पास किया। कोठारी आयोग (1964) द्वारा यह स्वीकारा गया कि शिक्षा व्यवस्था का विकेंद्रीकरण हो और ज़िला स्तर पर शैक्षिक प्रशासन अपने ज़िले में प्राथमिक शिक्षा के लिए शिक्षक तथा स्थानीय लोगों को उत्तरदायी मानें।

नयी शिक्षा नीति (1986) का खंड 10, शिक्षा का प्रबंध विकेंद्रीकरण तथा शैक्षिक संस्थाओं के लिए स्वायत्तता का भाव पैदा करने आदि पर ध्यान देने से संबंधित है।

सन् 1990 में नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए गठित 'आचार्य राममूर्ति समिति' के अनुसार विकेंद्रीकरण शिक्षा की विभिन्न समस्याओं का एकमात्र समाधान है। शिक्षा की योजना तथा प्रबंध के क्षेत्र में हर स्तर पर, यथा— केंद्र से राज्य स्तर पर, राज्य से ज़िला स्तर पर, ज़िला से खंड स्तर पर तथा खंडों से पंचायत, गाँव व बस्ती स्तर पर विकेंद्रीकरण करने की आवश्यकता है।

अंतत: बलवंत राय मेहता समिति की संस्तुति 24 अप्रैल 1993 को लागू हुई, जिसमें शिक्षा की विकेंद्रीकृत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन हुआ।

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 80 5/26/2017 9:27:06 AM

ग्राम शिक्षा समिति का गठन एवं स्वरूप

संविधान के 73वें संशोधन के फलस्वरूप पंचायती राज संस्थाओं को अधिक प्रभावी बनाए जाने के उद्देश्य से *बेसिक शिक्षा अधिनियम–1972* में व्यापक संशोधन किए गए हैं। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश–2000 के अंतर्गत गठित शिक्षा समिति का स्वरूप निम्नवत है— 1. प्रधान अध्यक्ष, 2. प्रधानाध्यापक (सदस्य सचिव), 3. तीन अभिभावक (छात्रों के तीन अभिभावक, जिसमें एक महिला होगी)।

(स.बे.शि.अधि. द्वारा नामित)

यदि ग्राम पंचायत में एक से अधिक स्कूल हैं तो उनके प्रधानाध्यापकों में से ज्येष्ठतम सदस्य सचिव होगा।

विद्यालय श्रेणीकरण

विद्यालय श्रेणीकरण के अंतर्गत चार श्रेणी के विद्यालय आते है। ग्रेड A, ग्रेड B, ग्रेड C, ग्रेड D, को निर्धारित करने के लिए विद्यालय का अवलोकन किया जाता है। अवलोकन में 38 चेक बिंदुओं पर अंक प्रदान किए जाते हैं, जो अधिकतम 100 होते हैं। यह श्रेणीकरण प्रपत्र तीन भागों में बँटा होता है।

भाग एक में आठ चेक बिंदु होते हैं, जिनका पूर्णांक 30 होता है तथा भाग एक के B में आठ चेक बिंदु होते हैं। जिनका पूर्णांक भी 30 होता है। यह प्रधानाध्यापक/प्रभारी अध्यापक के लिए हैं।

भाग दो में शिक्षक एवं शिक्षण-अधिगम सामग्री से संबंधित 15 चेक बिंदु होते है। जिनका पूर्णांक 30 होता है।

भाग तीन में छात्रों के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन/अनुश्रवण संबंधी सात चेक बिंदु होते हैं, जिनका पूर्णांक 10 होता है। इस तरह तीनों भागों का कुल पूर्णांक 100 (30+30+30+10) होता है। प्राथमिक विद्यालय जितने अंक प्राप्त करता है, उसी से उसका श्रेणीकरण होता है।

श्रेणीकरण

अंक	श्रेणी	अंक	श्रेणी
81 – 00	अ ¼A½	31– 50	स ¼C½
51 – 80	ब ¼B½	0 – 30	द ¼D½

अध्ययन के उद्देश्य

1. विकेंद्रीकृत प्रबंधन प्रणाली में ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों तथा शिक्षा अधिकारियों में सामंजस्य की स्थिति का अध्ययन करना।
2. विकेंद्रीकृत प्रबंधन प्रणाली में अध्यापकों तथा शिक्षा अधिकारियों में सामंजस्य की स्थिति का अध्ययन करना।
3. विकेंद्रीकृत प्रबंधन प्रणाली में ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों तथा अध्यापकों में सामंजस्य की स्थिति का अध्ययन करना।

परिकल्पना

श्रेणी A तथा श्रेणी D के विद्यालयों की ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, अध्यापकों, तथा शिक्षा

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 81 5/26/2017 9:27:06 AM

अधिकारियों के बीच सामंजस्य की स्थिति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

उपकरणों का निर्माण एवं विवरण

शोधकर्ता ने सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया है। प्रदत्तों के संकल्प हेतु साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है। (शिक्षा अधिकारी, अध्यापक तथा ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों हेतु)। उपकरण का निर्माण स्वयं शोधकर्ता ने किया है। परिकल्पना का परीक्षण प्रतिशत विश्लेषण के द्वारा किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन को उत्तर प्रदेश के ज़िलों तक सीमित रखा गया है। शोध अध्ययन में परिषदीय प्राथमिक विद्यालय ही सम्मिलित किए गए हैं।

न्यादर्श निम्नवत है—

सारणी संख्या 1

राज्य	उत्तर प्रदेश					कुल
ज़िला	*सोनभद्र*	*देवरिया*	*गाज़ीपुर*	*फ़तेहपुर*	*मेरठ*	05
ब्लॉक	2	2	2	2	2	10
श्रेणी A के विद्यालय	6	6	6	6	6	30
श्रेणी D के विद्यालय	6	6	6	6	6	30

विश्लेषण एवं व्याख्या

उपरोक्त परिकल्पना को ध्यान में रखकर शोधकर्ता ने न्यादर्श में चयनित श्रेणी A के 30 प्राथमिक विद्यालयों के 50 अध्यापक तथा 150 ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों तथा श्रेणी D के 30 प्राथमिक विद्यालयों के 50 अध्यापक तथा 150 ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों तथा इन सभी (60 प्राथमिक विद्यालयों) से संबंधित 20 शिक्षा अधिकारियों के साक्षात्कार और उनके विचार, दो बिंदुओं पर लिए गए। परिकल्पना की जाँच हेतु प्रतिशत विश्लेषण का प्रयोग किया गया।

साक्षात्कार (अध्यापकों हेतु)

प्र. आपके विद्यालय में आने वाली शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने में क्या वी. ई. सी. सदस्य आपकी मदद करते हैं ?

उ. श्रेणी A विद्यालयों के 65 प्रतिशत अध्यापक यह मानते हैं कि शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने में वी. ई. सी. सदस्य उनकी मदद करते हैं, जबकि श्रेणी D विद्यालय के 80 प्रतिशत अध्यापक यह कहते हैं कि वी. ई. सी. सदस्य उनकी कोई मदद नहीं करते।

प्र. क्या आपके विद्यालय में आने वाली शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने में शिक्षा अधिकारी आपकी मदद करते हैं?

उ. श्रेणी A विद्यालयों के 67 प्रतिशत अध्यापक यह मानते हैं कि शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने में उनकी मदद करते हैं और श्रेणी D विद्यालयों के 70 प्रतिशत अध्यापक भी यही कहते हैं कि शिक्षा अधिकारी शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने में मदद करते हैं।

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 82 5/26/2017 9:27:07 AM

प्र. क्या आपके विद्यालय के नामांकन बढ़ाने में वी. ई. सी. सदस्य मददगार साबित होते हैं?

उ. श्रेणी A विद्यालयों के 61 प्रतिशत अध्यापक यह मानते हैं कि विद्यालय में नामांकन बढ़ाने में वी. ई. सी. सदस्य उनकी मदद करते हैं, जबकि श्रेणी D विद्यालयों के 80 प्रतिशत अध्यापक यह कहते हैं कि वी. ई. सी. सदस्य नामांकन बढ़ाने में उनकी कोई मदद नहीं करते हैं।

प्र. शासन से आने वाली विभिन्न योजनाओं को प्रशासित करने में क्या वी. ई. सी. सदस्य मदद करते हैं?

उ. श्रेणी A विद्यालयों के 66 प्रतिशत अध्यापक यह मानते हैं कि शासन से आने वाली योजनाओं को प्रशासित करने में वी. ई. सी. सदस्य मददगार साबित होते हैं, जबकि श्रेणी D विद्यालयों के 70 प्रतिशत अध्यापक यह कहते हैं कि वी. ई. सी. सदस्य उनकी कोई मदद नहीं करते हैं।

प्र. शासन से आने वाली विभिन्न योजनाओं को प्रशासित करने में क्या शिक्षा अधिकारी मदद करते हैं?

उ. श्रेणी A विद्यालयों के 58 प्रतिशत अध्यापक तथा श्रेणी D विद्यालयों के 60 प्रतिशत अध्यापक यह मानते हैं कि विभिन्न योजनाओं को प्रशासित करने में शिक्षा अधिकारी उनकी मदद करते हैं।

प्र. क्या बालिकाओं का नामांकन बढ़ाने में महिला वी. ई. सी. सदस्य तथा अन्य वी. ई. सी. सदस्य सहायता प्रदान करते हैं?

उ. श्रेणी A विद्यालयों के 59 प्रतिशत अध्यापक यह मानते हैं कि बालिकाओं का नामांकन बढ़ाने में महिला व अन्य वी. ई. सी. सदस्य उनकी सहायता करते हैं, जबकि श्रेणी D विद्यालयों के 64 प्रतिशत अध्यापक यह कहते हैं कि उनकी कोई मदद नहीं करते हैं।

प्र. क्या माह बैठक में आप सभी (अध्यापक, वी.ई.सी. सदस्य) विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करके सामूहिक हल निकालते हैं?

उ. श्रेणी A विद्यालयों के 65 प्रतिशत अध्यापक यह मानते हैं कि बैठक में हम सभी (वी. ई. सी. सदस्य, अध्यापक) विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करते हैं और सामूहिक हल निकाल लेते हैं, जबकि श्रेणी D विद्यालयों के 82 प्रतिशत अध्यापक यह कहते हैं वी. ई. सी. सदस्यों के साथ न ही कोई समस्याओं पर चर्चा होती है और न ही कोई हल निकलता है।

प्र. क्या शिक्षा अधिकारी विभिन्न कार्यक्रमों के लिए आप लोगों से परामर्श लेते हैं?

उ. श्रेणी A विद्यालयों के 59 प्रतिशत अध्यापक व श्रेणी D विद्यालयों के 60 प्रतिशत अध्यापक यह मानते हैं कि शिक्षा अधिकारी विभिन्न कार्यक्रमों के लिए उनसे परामर्श करते हैं।

प्र. विभिन्न उत्सवों (26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्तूबर आदि) में क्या आप सभी की मिली-जुली भागीदारी रहती है?

उ. श्रेणी A विद्यालयों के 62 प्रतिशत अध्यापक यह मानते हैं कि विभिन्न उत्सवों (26 जनवरी,

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 83 5/26/2017 9:27:07 AM

15 अगस्त, 2 अक्तूबर आदि) में वी. ई. सी. सदस्यों की मिली-जुली भागीदारी रहती है तथा श्रेणी D विद्यालयों के 64 प्रतिशत अध्यापक यह मानते हैं कि उनकी उत्सवों में कोई भागीदारी नहीं रहती है।

प्र. क्या व्यक्तिगत समस्याओं के निराकरण में आप लोगों को एक-दूसरे का सहयोग प्राप्त होता है?

उ. श्रेणी A विद्यालयों के 54 प्रतिशत अध्यापक यह मानते हैं कि व्यक्तिगत समस्याओं के निराकरण में वी. ई. सी. सदस्य हमारा और हम वी. ई. सी. सदस्यों का परस्पर सहयोग करते हैं, जबकि श्रेणी D विद्यालयों के 84 प्रतिशत अध्यापक यह मानते हैं कि वी. ई. सी. सदस्य हमें कोई सहयोग नहीं देते।

प्र. प्राथमिक शिक्षा में गिरावट को रोकने में वी. ई. सी. सदस्य क्या आपकी मदद करते हैं?

उ. श्रेणी A विद्यालयों के 59 प्रतिशत अध्यापक यह मानते हैं कि प्राथमिक शिक्षा में गिरावट को रोकने में वी. ई. सी. सदस्य उनकी मदद करते हैं, जबकि श्रेणी D विद्यालयों के 82 प्रतिशत अध्यापक यह मानते हैं कि वी. ई. सी. सदस्य उनकी कोई मदद नहीं करते हैं।

प्र. प्राथमिक शिक्षा में अवरोध न आए इसके लिए क्या आप सभी मिल कर प्रयास करते हैं।

उ. श्रेणी A विद्यालयों के 56 प्रतिशत अध्यापक यह मानते हैं कि प्राथमिक शिक्षा में अवरोध न आए इसके लिए वी. ई. सी. सदस्य उनके साथ प्रयास करते हैं, जबकि श्रेणी D विद्यालयों के) 90 प्रतिशत अध्यापक यह कहते हैं कि वी. ई. सी. सदस्य अवरोध को रोकने में कोई प्रयास नहीं करते हैं।

प्र. क्या आप सभी मिलकर समाज के सभी वर्गों (एस.सी, एस.टी, ओ.बी.सी, सामान्य) के बच्चों के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्तरों को उठाने का प्रयास करते हैं?

उ. श्रेणी A विद्यालयों के 58 प्रतिशत अध्यापक यह मानते हैं कि वी. ई. सी. सदस्य हमारे साथ मिलकर समाज के सभी वर्गों के बच्चों का सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्तर उठाने का प्रयास करते हैं। जबकि श्रेणी D विद्यालयों के 92 प्रतिशत अध्यापक यह कहते हैं कि वी. ई. सी. सदस्य ऐसा कोई प्रयास नहीं करते हैं।

प्र. विशिष्ट तथा विकलांग बालकों को विद्यालय भेजने में क्या वी. ई. सी. सदस्य सक्रिय भूमिका निभाते हैं?

उ. श्रेणी A विद्यालयों के 58 प्रतिशत अध्यापक यह मानते हैं कि विशिष्ट तथा विकलांग बच्चों को विद्यालय भेजने में वी. ई. सी. सदस्य सक्रिय भूमिका निभाते हैं, जबकि श्रेणी D विद्यालयों के 84 प्रतिशत अध्यापक यह कहते हैं कि वी. ई. सी. सदस्य ऐसा नहीं करते।

प्र. स्कूल के भवन तथा अन्य शैक्षिक सामग्रियों की सुरक्षा में वी. ई. सी. सदस्य क्या पूर्ण सहभागिता देते हैं?

उ. श्रेणी A विद्यालयों के 65 प्रतिशत अध्यापक यह मानते हैं कि स्कूलों के भवन तथा अन्य

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 84 5/26/2017 9:27:07 AM

शैक्षिक सामग्रियों की सुरक्षा में वी. ई. सी. सदस्यों की पूर्ण सहभागिता होती है, जबकि श्रेणी D विद्यालयों के 82 प्रतिशत अध्यापक इसमें अपनी असहमति जताते हैं।

प्र. क्या आप सभी मिलकर बच्चों के माता-पिता को उनकी सफ़ाई तथा समय पर स्कूल भेजने के लिए अभिप्रेरित करते रहते हैं?

उ. श्रेणी A विद्यालयों के 61 प्रतिशत अध्यापक यह मानते हैं वी. ई. सी. सदस्य बच्चों के माता-पिता को उनकी सफ़ाई तथा समय पर स्कूल भेजने के लिए उनके साथ मिल कर अभिप्रेरित करते हैं। जबकि श्रेणी D विद्यालयों के 88 प्रतिशत अध्यापक ऐसा स्वीकार नहीं करते हैं।

प्र. क्या शिक्षा अधिकारी विद्यालय के पर्यवेक्षण के समय वी. ई. सी. के सदस्यों से संपर्क कर विद्यालय की समस्याओं एवं विद्यालय के विकास पर विचार-विमर्श करते हैं?

उ. श्रेणी A विद्यालयों के 34 प्रतिशत अध्यापक तथा श्रेणी D विद्यालयों के 30 प्रतिशत अध्यापक यह मानते हैं कि विद्यालय के पर्यवेक्षण के समय शिक्षा अधिकारी विद्यालयों की समस्याओं एवं विद्यालय के विकास पर विचार-विमर्श करते हैं।

साक्षात्कार (वी. ई. सी. सदस्यों का)

प्र. क्या माह बैठक में आप सभी (वी. ई. सी. सदस्य, अध्यापक) विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करके सामूहिक हल निकालते हैं?

उ. श्रेणी A विद्यालयों के 65 प्रतिशत वी. ई. सी. सदस्य यह मानते हैं कि माह बैठक में हम सभी (अध्यापक एवं वी. ई. सी. सदस्य) मिलकर विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करके हल निकालते हैं, जबकि श्रेणी D विद्यालयों के 61 प्रतिशत वी. ई. सी. सदस्य यह स्वीकार करते हैं कि अध्यापक उनकी कोई मदद नहीं करते हैं।

प्र. क्या विभिन्न उत्सवों (26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्तूबर) में आप सभी की मिली-जुली भागीदारी रहती है?

उ. श्रेणी A विद्यालयों के 64 प्रतिशत वी. ई. सी. सदस्य यह मानते हैं कि विभिन्न उत्सवों (26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्तूबर) को हम सभी अध्यापकों के साथ मिल-जुल कर मनाते हैं। जबकि श्रेणी D विद्यालयों के 69 प्रतिशत वी. ई. सी. सदस्य यह कहते हैं कि उनकी उत्सवों में कोई भागीदारी नहीं रहती।

प्र. क्या व्यक्तिगत समस्याओं के निराकरण में आप लोगों को एक-दूसरे का सहयोग प्राप्त होता है?

उ. श्रेणी A विद्यालयों के 65 प्रतिशत वी. ई. सी. सदस्य यह स्वीकार करते हैं कि व्यक्तिगत समस्याओं के निराकरण में अध्यापक हमारा और हम अध्यापकों का परस्पर सहयोग करते हैं, जबकि श्रेणी D विद्यालयों के 67 प्रतिशत वी. ई. सी. सदस्य इससे सहमत नहीं हैं।

प्र. प्राथमिक शिक्षा में अवरोध ना आए, इसके लिए क्या आप सभी लोग मिल कर प्रयास करते हैं?

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 85 5/26/2017 9:27:07 AM

उ. श्रेणी A विद्यालयों के 64 प्रतिशत वी. ई. सी. सदस्य यह मानते हैं कि प्राथमिक शिक्षा में अवरोध ना आए, इसके लिए अध्यापक उनके साथ प्रयास करते हैं, जबकि श्रेणी D विद्यालयों के 70 प्रतिशत वी. ई. सी. सदस्य यह कहते हैं कि अध्यापक अवरोध को रोकने का कोई प्रयास नहीं करते।

प्र. क्या आप सभी मिलकर समाज के सभी वर्गों (एस. सी., एस.टी., ओ.बी.सी., सामान्य) के बच्चों के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्तरों को उठाने का प्रयास करते हैं?

उ. श्रेणी A विद्यालयों के 61 प्रतिशत वी. ई. सी. सदस्य यह मानते हैं कि अध्यापक हमारे साथ मिलकर समाज के सभी वर्गों के बच्चों के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्तरों को उठाने का प्रयास करते हैं। जबकि श्रेणी D विद्यालय के 64 प्रतिशत वी. ई. सी. सदस्य इससे सहमत नहीं हैं।

प्र. क्या आप सभी मिलकर बच्चों के माता-पिता को उनकी सफ़ाई तथा समय पर स्कूल भेजने के लिए अभिप्रेरित करते रहते हैं?

उ. श्रेणी A विद्यालयों के 59 प्रतिशत वी. ई. सी. सदस्य यह मानते हैं कि अध्यापक बच्चों के माता-पिता को उनकी सफ़ाई तथा समय पर स्कूल भेजने के लिए उनके साथ मिलकर अभिप्रेरित करते हैं। जबकि श्रेणी D विद्यालय के 68 प्रतिशत वी. ई. सी. सदस्य इससे सहमत नहीं हैं।

प्र. क्या शासन से आने वाली विभिन्न योजनाओं को प्रशासित करने में अध्यापक आपकी मदद करते हैं?

उ. श्रेणी A विद्यालयों के 63 प्रतिशत वी. ई. सी. सदस्य यह मानते हैं कि शासन से आने वाली विभिन्न योजनाओं को प्रशासित करने में अध्यापकों का विशेष योगदान होता है। जबकि श्रेणी D विद्यालय के 61 प्रतिशत वी. ई. सी. सदस्य इससे सहमत नहीं हैं।

प्र. क्या शासन से आने वाली विभिन्न योजनाओं को प्रशासित करने में शिक्षा अधिकारी आपकी मदद करते हैं?

उ. श्रेणी A विद्यालयों के 61 प्रतिशत वी. ई. सी. सदस्य यह मानते हैं कि शासन से आने वाली विभिन्न योजनाओं को प्रशासित करने में शिक्षा अधिकारी उनकी मदद करते हैं। जबकि श्रेणी D विद्यालय के 64 प्रतिशत वी. ई. सी. सदस्य इस बात से सहमत नहीं हैं।

प्र. क्या अध्यापक विभिन्न कार्यों/कार्यक्रमों के लिए आपसे परामर्श लेते हैं?

उ. श्रेणी A विद्यालयों के 59 प्रतिशत वी. ई. सी. सदस्य यह मानते हैं कि अध्यापक विभिन्न कार्यों/कार्यक्रमों के लिए उनसे परामर्श करते हैं, जबकि श्रेणी D विद्यालयों के 71 प्रतिशत वी. ई. सी. सदस्य इस कथन से सहमत नहीं हैं।

प्र. क्या प्राथमिक शिक्षा में गिरावट रोकने में अध्यापक आपकी मदद करते हैं?

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 86 5/26/2017 9:27:07 AM

उ. श्रेणी A विद्यालयों के 63 प्रतिशत वी. ई. सी. सदस्य यह मानते हैं कि अध्यापकों की मदद से प्राथमिक शिक्षा में गिरावट को रोकने का प्रयास करते हैं, जबकि श्रेणी D विद्यालयों के 62 प्रतिशत वी. ई. सी. सदस्य इससे सहमत नहीं हैं।

प्र. विद्यालय में नामांकन बढ़ाने में अध्यापक क्या आपके मददगार साबित होते हैं?

उ. श्रेणी A विद्यालयों के 64 प्रतिशत वी. ई. सी. सदस्य यह मानते हैं कि विद्यालय में बच्चों का नामांकन बढ़ाने में हमारा और अध्यापकों का सम्मिलित प्रयास होता है, जबकि श्रेणी D विद्यालयों के 61 प्रतिशत वी. ई. सी. सदस्य इससे सहमत नहीं हैं।

प्र. बालिकाओं का नामांकन बढ़ाने में महिला अध्यापिकाएँ क्या आपको सहायता प्रदान करती हैं?

उ. श्रेणी A विद्यालयों के 64 प्रतिशत वी. ई. सी. सदस्य यह मानते हैं कि बालिकाओं का नामांकन बढ़ाने में महिला अध्यापिकाएँ हमारी सहायता करती हैं, जबकि श्रेणी D विद्यालयों के 69 प्रतिशत वी. ई. सी. सदस्य इसको नहीं मानते हैं।

प्र. क्या शिक्षा अधिकारियों व अध्यापकों में तालमेल और सामंजस्य दिखाई देता है?

उ. श्रेणी A विद्यालयों के 46 प्रतिशत वी. ई. सी. सदस्य तथा श्रेणी D विद्यालयों के 47 प्रतिशत वी. ई. सी. सदस्य यह मानते हैं कि अध्यापकों और शिक्षा अधिकारियों में तालमेल और सामंजस्य स्पष्ट दिखाई देता है।

प्र. क्या शिक्षा अधिकारी विद्यालय में पर्यवेक्षण के समय अध्यापकों से विद्यालय संबंधी विभिन्न समस्याओं तथा विद्यालय के विकास पर विचार-विमर्श करते हैं?

उ. श्रेणी A विद्यालयों के 50 प्रतिशत वी. ई. सी. सदस्य तथा श्रेणी D विद्यालयों के 54 प्रतिशत वी. ई. सी. सदस्य यह मानते हैं कि शिक्षा अधिकारी विद्यालय के पर्यवेक्षण के समय अध्यापकों के साथ मिलकर विद्यालय के विकास व उससे संबंधित समस्याओं पर विचार-विमर्श करते हैं।

साक्षात्कार (शिक्षा अधिकारी)

प्र. क्या माह बैठक में आप सभी (अध्यापकों और वी.ई.सी. सदस्यों के साथ) विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करके सामूहिक हल निकालते हैं?

उ. 80 प्रतिशत शिक्षा अधिकारी सहमत हैं। ये सभी शिक्षा अधिकारी यह मानते हैं कि वे समस्याओं पर चर्चा करके सामूहिक हल निकालने का प्रयास करते हैं, जबकि 20 प्रतिशत शिक्षा अधिकारियों के अनुसार सभी समस्याओं पर न तो चर्चा संभव है और न ही सभी समस्याओं का समाधान ही संभव है।

प्र. क्या विभिन्न उत्सवों में (26 जनवरी, 15 अगस्त आदि) आप सभी की मिली-जुली भागीदारी रहती है?

उ. 70 प्रतिशत शिक्षा अधिकारी सहमत हैं। वे सभी शिक्षा अधिकारी यह मानते हैं कि वे अध्यापकों तथा वी.ई.सी. सदस्यों के साथ विभिन्न उत्सवों

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 87 5/26/2017 9:27:07 AM

को मिल-जुल कर मानते हैं, जबकि 30 प्रतिशत शिक्षा अधिकारी सहमत नहीं हैं।

प्र. क्या व्यक्तिगत समस्याओं के निराकरण में आप लोगों को अध्यापकों और वी.ई.सी. सदस्यों का सहयोग प्राप्त होता है?

उ. 70 प्रतिशत शिक्षा अधिकारी सहमत नहीं हैं। यह सभी शिक्षा अधिकारी मानते हैं कि उनकी व्यक्तिगत समस्याओं में अध्यापक और वी.ई.सी. सदस्य उनकी कोई मदद नहीं करते। जबकि 30 प्रतिशत शिक्षा अधिकारी यह मानते हैं कि अध्यापकों व वी.ई.सी. सदस्यों का सहयोग उन्हें प्राप्त होता है।

प्र. प्राथमिक शिक्षा में अवरोध न आए, इसके लिए क्या आप सभी (शिक्षा अधिकारी अध्यापक, वी.ई.सी. सदस्य) मिलकर प्रयास करते हैं?

उ. 80 प्रतिशत शिक्षा अधिकारी सहमत हैं। यह सभी शिक्षा अधिकारी मानते हैं कि हम सभी मिलकर प्राथमिक शिक्षा में अवरोधन न आए इसका प्रयास करते हैं। जबकि 20 प्रतिशत शिक्षा अधिकारी इससे असहमत हैं।

प्र आप सभी मिलकर समाज के विभिन्न वर्गों के बच्चों के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्तरों को उठाने का प्रयास करते हैं?

उ. 80 प्रतिशत शिक्षा अधिकारी सहमत हैं। वे मानते हैं कि सभी वर्गों के बच्चों के विभिन्न स्तरों को उठाने का हम सभी (अध्यापक, वी.ई.सी. सदस्य, शिक्षा अधिकारी) मिलकर प्रयास करते हैं, जबकि 20 प्रतिशत शिक्षा अधिकारी इससे असहमत हैं।

प्र. आप सभी मिल कर (शिक्षा अधिकारी, वी.ई.सी. सदस्य व अध्यापक) बच्चों के माता-पिता को बच्चों की सफ़ाई तथा समय पर स्कूल भेजने के लिए अभिप्रेरित करते रहते हैं?

उ. 60 प्रतिशत शिक्षा अधिकारी सहमत हैं। ये सभी शिक्षा अधिकारी यह मानते हैं कि हम सभी (अध्यापक, वी.ई.सी. सदस्य, शिक्षा अधिकारी) बच्चों के माता-पिता को अभिप्रेरित करते रहते हैं कि वे बच्चों की सफ़ाई पर ध्यान दें व उन्हें समय पर स्कूल भेजें, जबकि 40 प्रतिशत शिक्षा अधिकारी इससे असहमत हैं।

प्र. क्या शासन से आने वाली विभिन्न योजनाओं को प्रशासित करने में अध्यापक आप की मदद करते हैं?

उ. 90 प्रतिशत शिक्षा अधिकारी सहमत हैं। ये शिक्षा अधिकारी यह मानते हैं कि विभिन्न योजनाओं को प्रशासित करने में अध्यापक उनकी मदद करते हैं, जबकि 10 प्रतिशत शिक्षा अधिकारी इससे असहमत हैं।

प्र. क्या शासन से आने वाली विभिन्न योजनाओं को प्रशासित करने में वी.ई.सी. सदस्य आपकी मदद करते हैं?

उ. 50 प्रतिशत शिक्षा अधिकारी सहमत हैं। ये शिक्षा अधिकारी यह मानते हैं कि विभिन्न योजनाओं को प्रशासित करने में वी.ई.सी. सदस्य उनकी मदद करते हैं। जबकि 50 प्रतिशत शिक्षा अधिकारी इससे असहमत हैं।

प्र. क्या अध्यापक विभिन्न कार्यक्रमों के लिए आपसे परामर्श लेते हैं?

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 88 5/26/2017 9:27:07 AM

उ. 90 प्रतिशत शिक्षा अधिकारी सहमत हैं। ये शिक्षा अधिकारी यह मानते हैं कि विभिन्न कार्यक्रमों के लिए अध्यापक उनसे परामर्श लेते रहते हैं, जबकि 10 प्रतिशत शिक्षा अधिकारी इससे असहमत हैं।

प्र. प्राथमिक शिक्षा में गिरावट न आए इसके लिए क्या अध्यापक आपकी मदद करते हैं?

उ. 60 प्रतिशत शिक्षा अधिकारी सहमत हैं। ये शिक्षा अधिकारी यह मानते हैं कि प्राथमिक शिक्षा में गिरावट न आए इसके लिए अध्यापक उनका सहयोग करते हैं, जबकि 40 प्रतिशत शिक्षा अधिकारी इससे असहमत हैं।

प्र. प्राथमिक शिक्षा में गिरावट न आए, इसके लिए क्या वी.ई.सी. सदस्य आपकी मदद करते हैं?

उ. 60 प्रतिशत शिक्षा अधिकारी असहमत हैं। ये शिक्षा अधिकारी यह मानते हैं कि प्राथमिक शिक्षा में गिरावट को रोकने में वी.ई.सी. सदस्य इनकी मदद नहीं करते। जबकि 40 प्रतिशत शिक्षा अधिकारी यह मानते हैं कि वी.ई.सी. सदस्य उनकी मदद करते हैं।

प्र. क्या अध्यापकों और वी.ई.सी. सदस्यों के बीच में सामंजस्य दिखाई देता है?

उ. 60 प्रतिशत शिक्षा अधिकारी सहमत हैं। ये शिक्षा अधिकारी यह स्वीकार करते हैं कि अध्यापक और वी.ई.सी. सदस्यों के बीच में सामंजस्य है। जबकि 40 प्रतिशत शिक्षा अधिकारियों को वी.ई.सी. सदस्यों व अध्यापकों में सामंजस्य नहीं दिखाई देता है।

प्र. प्राथमिक विद्यालय में आने वाली समस्याओं को सुलझाने में क्या अध्यापकगण आपकी मदद करते हैं?

उ. 80 प्रतिशत शिक्षा अधिकारी सहमत हैं। ये शिक्षा अधिकारी यह मानते हैं कि शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने में अध्यापकों का सहयोग प्राप्त करते हैं। जबकि 20 प्रतिशत शिक्षा अधिकारी इससे असहमत हैं।

प्र. प्राथमिक विद्यालय में आने वाली समस्याओं को सुलझाने में क्या वी.ई.सी. सदस्य आपकी मदद करते हैं?

उ. 40 प्रतिशत शिक्षा अधिकारी सहमत हैं। ये शिक्षा अधिकारी यह मानते हैं कि शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने में वी.ई.सी. सदस्य उनका सहयोग करते हैं। जबकि 60 प्रतिशत शिक्षा अधिकारी इससे असहमत हैं।

निष्कर्ष

प्राथमिक विद्यालय स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, अध्यापकों तथा शिक्षाधिकारियों का एक दूसरे के साथ सामंजस्य की स्थिति का विश्लेषण कर निम्न निष्कर्ष निकाला गया है। इस परीक्षण से यह निष्कर्ष निकलता है कि श्रेणी D विद्यालयों की अपेक्षा श्रेणी A विद्यालयों के अध्यापकों और ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के बीच सामंजस्य उच्च श्रेणी का है क्योंकि वे विद्यालय में आने वाली मूलभूत समस्याओं के प्रति संवेदनशील हैं तथा उसके निपटारे के लिए आपस में मिल-जुल कर कार्य करने की संस्कृति के पोषक हैं। विद्यालय में नामाकंन बढ़ाने में अध्यापक व वी.ई.सी. सदस्य एक-दूसरे के मददगार साबित होते है।

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 89 5/26/2017 9:27:08 AM

शासन से आने वाली विभिन्न योजनाओं को मिलकर प्रशासित करते हैं। बालिकाओं का नामांकन बढ़ाने में महिला वी. ई. सी. सदस्य व अध्यापक समान रूप से प्रयास करते हैं तथा माह बैठक में समस्याओं पर चर्चा करके सामूहिक हल निकालते हैं। वर्ष में आने वाले विभिन्न उत्सवों को वे मिल-जुल कर मनाते हैं साथ ही व्यक्तिगत समस्याओं का निराकरण करने में एक-दूसरे की सहायता करते हैं, शिक्षा में गिरावट न आए इसके लिए प्रयासरत रहते हैं तथा अवरोध को भी रोकने का प्रयास मिलकर करते हैं। सभी वर्गों के बच्चों के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्तरों को उठाने का सामूहिक प्रयास करते हैं, विकलांग बालकों पर विशेष ध्यान रखते हैं, स्कूल के भवन तथा शैक्षिक सामग्रियों की सुरक्षा एवं रख-रखाव में पूर्ण सहभागी रहते हैं तथा अभिभावकों को प्रेरित करते रहते हैं, जबकि प्राथमिक शिक्षा से संबंधित शिक्षा अधिकारी श्रेणी A तथा श्रेणी D विद्यालयों के अध्यापकों तथा वी. ई. सी. सदस्यों के साथ समान व्यवहार रखते हैं, इस कारण उनमें आपस में सामंजस्य दिखाई पड़ता है।

अतः स्पष्ट होता है कि शिक्षा अधिकारियों का सभी अध्यापकों व वी. ई. सी. सदस्यों के साथ सामंजस्य, विद्यालय के विकास में उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना कि अध्यापकों और वी. ई. सी. सदस्यों के बीच, अंततः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्राथमिक विद्यालय के विकास में अध्यापकों और वी. ई. सी. सदस्यों के बीच सामंजस्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

वी. ई. सी. सदस्यों हेतु सुझाव

1. 5 से 14 आयु वर्ग के शत-प्रतिशत बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करें।
2. पाठशाला के सुचारु संचालन के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं संबंधी सहयोग प्रदान करें।
3. ग्राम के शैक्षिक वातावरण के विकास के लिए संसाधन जुटाएँ।
4. शिक्षकों तथा बच्चों की नियमित उपस्थिति को सुनिश्चित करें।
5. सरकार की विभिन्न योजनाओं को प्रसारित करने में अध्यापकों व शिक्षा अधिकारियों का सहयोग करें।
6. ग्राम के विकास के लिए विभिन्न शैक्षिक तथा अन्य संबंधित संस्थाओं से समन्वय करें।
7. ग्राम में शिक्षा के विकास के लिए शासन द्वारा जारी विभिन्न आदेशों का पालन सुनिश्चित करें।
8. पाठशाला भवनों का निर्माण तथा रख-रखाव सुनिश्चित करें।
9. विद्यालयी क्रियाकलापों में अभिवृद्धि हेतु अध्यापकों से कुशल सामंजस्य स्थापित करें।
10. पाठशाला शिक्षा कोष की अभिवृद्धि के लिए प्रयास व उसका उचित उपयोग करें।
11. बच्चों को पढ़ाने की सामग्री उपलब्ध कराएँ।
12. विद्यालय और उसके आस-पास का वातावरण स्वच्छ रखने का प्रयास करें।

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 90 5/26/2017 9:27:08 AM

13. विद्यालय भवन, खेल के मैदान, शौचालयों के रख-रखाव में सक्रिय सहयोग प्रदान करें।
14. प्रत्येक माह बैठक में उपस्थिति एवं सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करें।
15. अपने दायित्वों को अच्छी तरह समझें और उनका यथोचित निर्वहन करें।

अध्यापकों हेतु सुझाव

1. शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की मानसिक दशा, एवं स्थानीय परिस्थितियों का ध्यान रखें।
2. छात्रों की रुचि, अभिप्रेरणा, तथा कठिनाई निवारण का विशेष ध्यान रखें तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर तथा क्रिया आधारित बनाने का प्रयास करें।
3. विभिन्न शिक्षण सहायक-सामग्री का उपयोग करें।
4. प्राथमिक विद्यालय में कम-से-कम माह में दो बैठकों का आयोजन सुनिश्चित करें।
5. कमज़ोर तथा धीमी गति से सीखने वाले बच्चो पर विशेष ध्यान दें।
6. विकलांग व समाज के कमज़ोर वर्ग के छात्रों विशेषतः बालिकाओं के नामांकन, ठहराव, तथा गुणात्मक शिक्षा पर विशेष ध्यान दें।
7. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य तथा शिक्षा अधिकारी से सामंजस्य स्थापित करें।
8. विद्यालयी अभिलेखों का उचित रख-रखाव सुनिश्चित करें।

शिक्षा अधिकारी हेतु सुझाव

1. अपने दायित्व से पूर्णतः परिचित हों तथा उसका निर्वहन करें।
2. श्रेणी A विद्यालयों की अपेक्षा, श्रेणी D विद्यालयों पर विशेष ध्यान दें।
3. श्रेणी A के विद्यालयों में सुधार हेतु अध्यापकों की स्थानांतरण नीति में यथोचित परिवर्तन करें तथा उसे प्रभावशाली ढंग से लागू करें।
4. ज़िला तथा ब्लॉक स्तर पर अध्यापकों के प्रशिक्षण की नियमित मॉनीटरिंग करें।
5. विद्यालय में उपस्थित अभिलेखों का समय-समय पर निरीक्षण करें।
6. वी. ई. सी. सदस्यों में जागरूकता लाने हेतु विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करें।
7. वी. ई. सी. सदस्यों का प्रशिक्षण अनिवार्य करें।
8. वी. ई. सी. सदस्यों को सक्रिय बनाने के लिए क्षेत्रीय विधायक, सांसद तथा विद्वतजनों के साथ गोष्ठी का आयोजन समय-समय पर कराएँ।
9. प्रशिक्षण तथा मॉनीटरिंग को एक नियमित प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाए।

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 91 5/26/2017 9:27:08 AM

संदर्भ

अग्रवाल, ए. 1999. 'जनसहभागिता और नई पंचायत राज व्यवस्था.' *अमर उजाला,* लखनऊ, अगस्त.

अग्रवाल, जे.सी.ए. 2003. *भारत में प्राथमिक शिक्षा.* विद्या विहार, नयी दिल्ली.

अरोड़ा के. और एच. दासगुप्ता. 1977. *प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का राष्ट्रीय सर्वेक्षण.* एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली.

आत्माराम. 2001. *भारत में प्राइमरी शिक्षा.* जीवन ज्योति प्रकाशन, दिल्ली.

ओझा, एस. एन. 1999. 'क्रॉनिकल विकेंद्रीकरण की ओर बढ़ा कदम.' नयी दिल्ली. सितम्बर 1999.

जैन, यू. ए. 1961. *पंचायती राज एक्ट नियम व मैनुअल*, छठा संस्करण. गाज़ियाबाद.

पटेल, बी. 1971. 'प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन पर पंचायती राज के प्रभाव का अध्ययन.' बुच, एम.बी., *सर्वे ऑफ़ रिसर्च इन एजुकेशन*, प्रथम संस्करण. नयी दिल्ली.

पाण्डेय व शर्मा. 1976. 'पंचायत राज व्यवस्था के तहत प्राथमिक विद्यालयों के प्रबंधन का अध्ययन.' बुच, एम. बी., *सर्वे ऑफ़ रिसर्च इन एजुकेशन,* तृतीय संस्करण. 1976. नयी दिल्ली.

भार्गव. 1990. 'प्राथमिक स्तर में शैक्षिक सुविधाओं एवं नामांकन के विकास का अध्ययन.'

भारत सरकार. 1986. 'ए नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन.' मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, नयी दिल्ली.

शर्मा, आर.सी. 1985. 'राजस्थान की प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय की स्थिति का अध्ययन.' शोध.

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 92 5/26/2017 9:27:08 AM

13

छात्रों की शैक्षणिक चिंताओं पर ध्यान एवं योगासनों का प्रभाव

*रमेश कुमार**

यह लघु शोध अध्ययन माध्यमिक विद्यालयी छात्रों की शैक्षणिक चिंता पर योगाभ्यास (कुछ चयनित योगासनों एवं ध्यान) का प्रभाव जाँचने के उद्देश्य से किया गया। इस अन्वेषण (Investigation) में पूर्व एवं पश्चात् नियंत्रित समूह शोध अभिकल्प (Pre-post research design with control group) का उपयोग किया गया है। इस अनुसंधान के लिए 14 वर्ष की औसतन आयु, समान शैक्षणिक एवं आर्थिक स्तर के माध्यमिक विद्यालय, 60 छात्रों के प्रतिशत (30 छात्रों का प्रायोगिक एवं 30 छात्रों का नियंत्रित समूह) का चुनाव किया गया।

ध्यान एवं योगासनों का अभ्यास आरंभ करने के पूर्व दोनों समूहों के छात्रों (प्रायोज्यों) की शैक्षणिक चिंताओं पर ध्यान एवं योगासनों के प्रभाव को जाँचने के लिए डॉ. एस. के. पाल, डॉ. के. एस. मिश्रा एवं डॉ. कल्पलता पांडे द्वारा निर्मित चिंता स्केल का परीक्षण किया गया।

इसके पश्चात् प्रायोगिक समूह के छात्रों को 45 दिनों के लिए प्रतिदिन 50 मिनट ध्यान व कुछ चयनित योगासनों का अभ्यास करवाया गया, परंतु नियंत्रित समूह के छात्र इस अंतराल में अपने सामान्य दैनिक कार्यों में लगे रहे। 45 दिनों के ध्यान एवं योगासनों के अभ्यास तथा सामान्य दैनिक कार्य के पश्चात् दोनों समूहों के प्रायोज्यों का पुन: पूर्वोक्त परीक्षण किया गया। दोनों समूहों के प्रायोज्यों में शैक्षणिक चिंता की तुलना अर्थात् अंतर्समूह तुलना, प्रयोग पूर्व स्थिति एवं पश्चात् स्थिति में करने के लिए 'टी' परीक्षण एवं प्रत्येक समूह के प्रायोज्यों की शैक्षणिक चिंता की आपसी तुलना की। पूर्व एवं पश्चात् स्थिति में अर्थात् अंत:समूह तुलना करने के लिए सैंडलर्स 'ए' टेस्ट (*Sandler's 'A'-test*) का प्रयोग किया गया जिनकी सार्थकता की कसौटी $p = या < .05$ रखी गई।

प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि प्रयोग के पूर्व स्तर पर दोनों समूहों के छात्रों में शैक्षणिक चिंता का स्तर समान है। परंतु 45 दिनों के ध्यान एवं योगाभ्यास के पश्चात् (पश्चात्-प्रायोगिक स्थिति), प्रायोगिक समूह के छात्र शैक्षणिक चिंता के स्तर में अपनी पूर्व प्रायोगिक स्थिति की अपेक्षा सार्थक रूप ($p < 0.01$) से भिन्न पाए गए अर्थात् उनकी

**योग शिक्षक*, योग विज्ञान केंद्र, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नयी दिल्ली 110016

शैक्षणिक चिंता का स्तर सार्थक रूप ($p < 0.005$) से कम हुआ। परिणाम यह दर्शाते हैं कि 45 दिनों का ध्यान और योगासनों का अभ्यास छात्रों में शैक्षणिक चिंता का स्तर सार्थक रूप से कम करने में सहायक है।

छात्रों की शैक्षणिक चिंताओं पर ध्यान एवं योगासनों का प्रभाव

परिचय

चिंता वास्तव में एक अनिश्चितता का भय है जो किसी प्रकार का अनिष्ट होने का भाव उत्पन्न करता है। छात्रों में चिंता होना एक सामान्य एवं स्वाभाविक बात है। यह स्वयं के प्रति, अपनी शिक्षा के प्रति और अपनी जीवनवृत्ति के प्रति भी हो सकती है। कुछ स्तर तक की चिंताएँ तो ठीक हैं, ये व्यक्ति को संघर्ष करने एवं आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, परंतु चिंताएँ जब एक सीमा से अधिक हो जाती हैं, तो यह कष्टप्रद बन जाती हैं। शिक्षण क्षेत्र में भी छात्रों में चिंता होना एक सामान्य एवं स्वाभाविक बात है, परंतु अधिक मात्रा में ये हानिकारक हो सकती है।

चिंता दो प्रकार की होती है, यथा— 1. अस्थायी चिंता; और 2. स्थायी चिंता। अस्थायी चिंता व्यक्ति में वातावरण के अस्थायी कारणों से उत्पन्न होती है, जैसे—कोई दुर्घटना या दण्डात्मक घटना। जबकि स्थायी चिंता किसी परिस्थिति के सतत रूप से उपस्थित रहने से होती है और यह व्यक्ति का एक गुण बन जाता है, फ्रॉयड जैसे मनोवैज्ञानिकों ने सतही चिंता को भी चिंता का एक प्रकार माना है।

शैक्षणिक चिंता एक प्रकार की स्थायी चिंता है, जिसमें विद्यार्थी को शिक्षण संस्था, उसके शिक्षकों तथा कुछ चयनित विषयों, जैसे— गणित, अंग्रेज़ी आदि का भय रहता है। विद्यार्थी जब प्रतियोगिता में उतरता है, तब कई मानसिक कारक एवं संवेगिक कारक उसकी प्रतियोगिता को प्रभावित कर सकते हैं। प्रायः यह देखा जाता है कि दबाव, दुश्चिंता एवं कुंठाओं से ग्रसित विद्यार्थी कक्षा कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों का संपादन ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये कारक विद्यार्थियों के मानसिक एवं दैहिक कार्य-शैलियों को प्रभावित करते हैं। इससे उनकी ध्यान-प्रणालियों पर नियंत्रण कम हो जाता है एवं उनकी एकाग्रता में कमी आ जाती है।

विद्यार्थियों को शैक्षणिक कार्यों के प्रति या अन्य स्थितियों के प्रति होने वाली चिंताओं से मुक्त रखने या चिंताओं के स्तर को घटाने के लिए शैक्षणिक जगत में कई प्रकार की विधियों का उपयोग किया जाता है। इनमें चिंता-प्रबंधन की युक्तियों का उपयोग किया जाता है। विद्यार्थियों को यह सिखाया जाता है कि वे किस तरह चिंताओं का सामना कर सकेंगे। शारीरिक रूप से प्रगामी शिथिलीकरण द्वारा भी विद्यार्थियों की चिंताओं को कम या दूर किया जा सकता है। सम्मोहन एवं स्व-सम्मोहन या आत्म-सम्मोहन के द्वारा भी विद्यार्थियों की चिंता के स्तर को कम किया जा सकता है। वर्तमान में कई शोध कार्यों में यह देखा गया है कि ध्यान एवं योग के कई अवयवों द्वारा साधारण व्यक्तियों एवं विद्यार्थियों की चिंताओं को कम किया जा सकता है।

विश्वभर के कई वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक एवं समाजशास्त्री पिछले कुछ दशकों से योग के अभ्यास से मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 94 5/26/2017 9:27:09 AM

करने में जुटे हुए हैं। विश्वभर में ध्यान की लगभग 118 पद्धतियाँ प्रचलित हैं। कुछ ध्यान पद्धतियों पर कई शोध कार्य हुए हैं और हो रहे हैं। इन ध्यान पद्धतियों के अतिरिक्त योग के कुछ अंगों, विशेष रूप से आसन, प्राणायाम आदि पर भी कई शोध कार्य हो चुके हैं तथा कई कार्य प्रगति पर हैं। विश्वभर में प्रचलित विभिन्न ध्यान पद्धतियों में महर्षि महेश योगी द्वारा प्रस्तुत भावातीत ध्यान पद्धति पर सबसे अधिक शोध कार्य हुए हैं। इसके अतिरिक्त विपश्यना एवं प्रेक्षाध्यान पर भी कुछ शोध कार्य भारत में हुए हैं। इन सभी अध्ययनों का अवलोकन करने पर प्रायः देखा गया है कि ध्यान के अभ्यास से व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होने वाले कारकों में वृद्धि होती है तथा व्यक्तित्व विकास में बाधक कारकों में कमी आती है।

समस्या

ध्यान एवं कुछ योगासनों का शैक्षणिक चिंताओं पर प्रभाव ज्ञात करना है।

परिकल्पना

1. ध्यान एवं योगासन प्रारंभ करने से पहले, प्रायोगिक एवं नियंत्रित समूह के प्रायोज्य की शैक्षणिक चिंताएँ सार्थक रूप से भिन्न नहीं होंगी क्योंकि दोनों ही समूहों के विद्यार्थी एक ही प्रकार के जनसमूह से लिए गए हैं।
2. ध्यान एवं योगासनों के प्रतिदिन नियमित अभ्यास के 45 दिन बाद, प्रायोगिक समूह के प्रायोज्यों की शैक्षणिक चिंता, नियंत्रित समूह के प्रायोज्यों की शैक्षणिक चिंता से सार्थक रूप से कम होने की संभावना है।
3. पूर्व प्रायोगिक स्थिति की तुलना में 45 दिन के ध्यान एवं योगासनों के अभ्यास के पश्चात् प्रायोगिक समूह के प्रायोज्यों की शैक्षणिक चिंता में सार्थक रूप से कमी होने की संभावना है।

अनुसंधान अभिकल्प एवं प्रक्रिया

1. अभिकल्प

इस शोध अध्ययन में नियंत्रित समूह सहित, पूर्व एवं पश्च-प्रायोगिक अभिकल्प का उपयोग किया गया।

2. न्यादर्श

दिल्ली शहर के एक उच्च माध्यमिक विद्यालय की सातवीं कक्षा के दो खंडों के 60 छात्रों का न्यादर्श लिया गया। जिसे 30-30 के दो समूहों में विभाजित किया गया, यथा— प्रायोगिक समूह एवं नियंत्रित समूह। छात्रों की औसतन आयु 14 वर्ष थी और सभी समान आर्थिक एवं सामाजिक स्तर के थे।

3. परीक्षण

शैक्षणिक चिंता मापनी एवं इसकी निर्देशिका— इस शोध कार्य में प्रोफ़ेसर एस.के. पाल, डॉ. करुणा शंकर मिश्र, डॉ. कल्पलता पांडे आदि विद्वानों की सहायता ली गई है।

4. प्रक्रिया

ध्यान एवं कुछ चयनित योगासनों का अभ्यास आरंभ करवाने के पूर्व दोनों समूहों (प्रयोगात्मक एवं नियंत्रित) के प्रायोज्यों की शैक्षणिक चिंता को पूर्व परीक्षण के रूप में शैक्षणिक चिंता मापनी द्वारा मापा गया। अर्थात् ध्यान एवं योगासनों का अभ्यास आरंभ करने के पूर्व दोनों समूह के छात्रों (प्रायोज्यों) पर पाल, मिश्रा एवं

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 95 5/26/2017 9:27:09 AM

पांडे की शैक्षणिक चिंता स्केल से परीक्षण किया गया। तदुपरांत प्रायोगिक समूह के प्रायोज्यों को 45 दिन तक प्रतिदिन 50 मिनिट भावातीत ध्यान व कुछ चयनित योगासनों का अभ्यास करवाया गया। जबकि नियंत्रित समूह के प्रयोज्य अपने दैनिक सामान्य कार्याकलाप में लगे रहे। 45 दिन के बाद, दोनों समूहों के प्रायोज्यों पर शैक्षणिक चिंता मापनी द्वारा पुनःपरीक्षण किया गया। यह प्रयोग पश्चात् स्थिति थी।

परिणाम एवं परिचर्चा

प्राप्त आंकड़ों का दो चरणों में विश्लेषण किया गया।

1.**अंतर्समूह तुलना**— (प्रायोगिक एवं नियंत्रित समूह) नियंत्रित समूह के सामान्य क्रियाकलाप की तुलना में ध्यान एवं योगासनों का प्रायोगिक समूह पर प्रभाव देखने के लिए सांख्यिकी 'टी' (*Statistical -'t' Test*) परीक्षण का प्रयोग किया गया।

2. **अंतःसमूह तुलना**— प्रत्येक समूह में पूर्व एवं पश्च- प्रायोगिक स्थितियों की तुलना के लिए सैंडलर के 'ए' परीक्षण का प्रयोग किया गया, जिससे कि ध्यान एवं योगासनों एवं सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव पृथक-पृथक देखा जा सके।

उपरोक्त दोनों तुलना में परिकल्पना की जाँच सार्थकता की कसौटी p = या <.05 रखी गई।

अंतर्समूह तुलना

1. पूर्व-प्रायोगिक स्थिति

सारणी 1 में दर्शाए गए परिणाम यह इंगित करते हैं कि पूर्व प्रायोगिक स्थिति में दोनों समूहों (प्रायोगिक एवं नियंत्रित) के प्रायोज्य की शैक्षणिक चिंता स्तर में सांख्यिकी दृष्टि से सार्थक भिन्नता नहीं है। परंतु उनका शैक्षणिक चिंता का स्तर सामान्य से अधिक था जो असंतोषजनक है। इससे यह पता चलता है कि पूर्व प्रायोगिक स्तर पर दोनों समूह समरूप थे, परंतु दोनों समूहो के प्रायोज्यों में चिंता साधारण स्तर से अधिक एवं असंतोषजनक थी। यह परिणाम पूर्व कल्पित प्रथम परिकल्पना को सिद्ध करता है।

सारणी 1

Mean, SD and 't' Values for Experimental and Control Groups at Pre- experimental Stage (N=30) for Each Group

	Experimental Group	**Control Group**	**'t' Value**		
Variables	Mean	SD	Mean	SD	
Academic Anxiety	20	5.543	19.80	3.832	1.612*

*Not Significant

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 96 5/26/2017 9:27:09 AM

2. पश्च- प्रायोगिक स्थिति

सारणी 2 के परिणामों के अनुसार 45 दिन के योगाभ्यास एवं ध्यान के बाद प्रायोगिक समूह के प्रायोज्यों की शैक्षणिक चिंताओं के स्तर में नियंत्रित समूह की तुलना में सार्थक अंतर पाया गया अर्थात् प्रायोगिक समूह के प्रायोज्यों का चिंता स्तर नियंत्रित समूह की तुलना में सार्थक रूप से कम पाया गया। प्राप्त परिणाम यह दर्शाते हैं कि 45 दिन के नियमित ध्यान एवं योगासनों के अभ्यास से प्रायोज्यों के चिंता स्तर में सार्थक ($p < .001$) रूप से सुधार हुआ। यहाँ दूसरी परिकल्पना सिद्ध होती है।

सारणी 2

Mean, SD and 't' Values for Experimental and Control Groups at Pre- experimental Stage (N=30) for Each Group

Variables	Experimental Group		Control Group		't' Value
	Mean	*SD*	*Mean*	*SD*	
Academic Anxiety	17	5.668	19.3	3.813	4.093*

* $p < 0.001$

अंत:समूह तुलना

1. ध्यान एवं योगासनों का प्रभाव (प्रायोगिक समूह) पूर्व एवं पश्च तुलना

सारणी 3 दर्शाती है कि प्रायोगिक समूह के प्रायोज्यों जिन्होंने 45 दिन ध्यान एवं योगासनों का अभ्यास किया था, पूर्व प्रायोगिक स्थिति की तुलना में पश्च प्रायोगिक स्थिति में उनकी चिंता में सार्थक ($p < .001$) कमी हुई। परिणाम यह दर्शाते हैं कि ध्यान एवं योगासनों के अभ्यास ने विद्यार्थियों की शैक्षणिक चिंता को कम करने में सार्थक रूप से सहायता की। यह परिणाम तीसरी परिकल्पना को प्रमाणित करता है।

सारणी 3

Mean and Sandler's 'A' Values for Experimental Groups at Pre and Post-experimental Group

Variables	Pre-mean	Post-mean	Sandler's 'A'	p
Academic Anxiety	M1 =20.0	M2 =17.0	0.123	<0.005*

* $p < 0.001$

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 97 5/26/2017 9:27:09 AM

2. सामान्य क्रियाकलाप का प्रभाव (नियंत्रित समूह पूर्व व पश्च तुलना)

सारणी 4 के अनुसार नियंत्रित समूह के प्रायोज्यों में जो 45 दिन तक अपने सामान्य कार्यकलाप में संलग्न रहे, पूर्व प्रायोगिक स्थिति की तुलना में उनके शैक्षणिक चिंता स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया। इससे यह सिद्ध होता है कि सामान्य दैनिक कार्यकलाप क्रिया प्रायोज्यों के शैक्षणिक चिंता स्तर को परिवर्तित नहीं कर सकी।

सारणी 4

Mean and Sandler's 'A' Values for Control Groups at Pre and Post-experimental Group

Variables	Pre-mean	Post-mean	Sandler's 'A'	p
Academic Anxiety	M5 =19.1	M6 =19.3	3.277	NS

NS= Not Significant

परिचर्चा

वैज्ञानिक शोध यह पुष्टि करते हैं कि योगाभ्यास द्वारा मानव शरीर की विभिन्न ग्रंथियों, तंत्रों, अवयवों, अस्थियों पर धनात्मक प्रभाव पड़ता है। प्राणायाम के सही अभ्यास से मस्तिष्क में रक्त का संचार बढ़ता है जिसके कारण ज्ञान तंतुओं की कार्यक्षमता बढ़ जाती है। इससे बुद्धि का विकास होता है और कार्यक्षमता भी बढ़ती है। अंतर्दृष्टि तथा सोच समझकर कार्य करने की क्षमता का विकास होता है।

'ध्यान' से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। मन के एकाग्र होने और ध्यान के समय अल्फ़ा (गौड़, 1994) तरंगों की वृद्धि होती है, अनैच्छिक विचारों से मुक्ति मिलती है तथा शारीरिक और मानसिक तनाव कम हो जाता है।

गौड़ (1976-2012) के ध्यान की विभिन्न पद्धतियों पर हुए वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक शोध कार्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि ध्यान के नियमित अभ्यास से कई प्रकार के मानसिक एवं शारीरिक धनात्मक परिवर्तन होते हैं। व्यक्तित्व कारकों जैसे— मानसिक स्वास्थ्य, चिंताओं, कुंठाओं, मानसिक तनावों एवं दबावों पर ध्यान-योग का धनात्मक प्रभाव पड़ता है। मस्तिष्क तरंगों में अल्फ़ा तरंगों की बहुलता होना ध्यान के अच्छे परिणाम हैं। गौड़ (1976-2012) के शोध परिणाम इस शोध परिणाम की भी पुष्टि करते हैं।

निष्कर्ष (Conclusion)

उपरोक्त परिकल्पनाओं के आधार पर प्राप्त परिणामों से निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं—

1. पूर्व प्रायोगिक स्थिति में, प्रायोगिक समूह के प्रायोज्य नियंत्रित समूह के प्रायोज्यों से सार्थक रूप से भिन्न नहीं थे। अतः यहाँ पहली परिकल्पना सिद्ध होती है।

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 98 5/26/2017 9:27:09 AM

2. ध्यान एवं योगासनों के 45 दिनों के अभ्यास के पश्चात् प्रायोगिक समूह के प्रायोज्यों के मध्यमानों में नियंत्रित समूह के प्रायोज्यों की तुलना में सार्थक रूप से कमी हुई है। जो यह इंगित करता है कि ध्यान एवं योगासनों ने विद्यार्थियों के तनाव, घबराहट, डर को कम करके उनके चिंता स्तर पर सकारात्मक प्रभाव डाला। यहाँ दूसरी परिकल्पना की पुष्टि होती है।

3. प्रायोगिक समूह के प्रायोज्यों में 45 दिन के ध्यान एवं योगासनों के बाद पूर्व प्रायोगिक स्थिति की तुलना में पश्च-प्रयोगिक स्थिति में शैक्षणिक चिंता स्तर में सार्थक कमी आई है। इससे यह कहा जा सकता है कि ध्यान एवं योगासनों में छात्रों की शैक्षणिक चिंता स्तर को कम करने एवं शैक्षणिक प्रदर्शन को सुधारने की क्षमता है। यहाँ तीसरी परिकल्पना भी सिद्ध होती है।

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 99 5/26/2017 9:27:09 AM

14

स्वच्छता से सरोकार

*रमेश कुमार**

स्वच्छ भारत अभियान की गूँज आज सर्वत्र सुनने को मिल रही है। सरकारी दफ़्तर से लेकर महानगरपालिका तक, चारों ओर स्वच्छता से संबंधित प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ लोग प्रत्यक्ष रूप से इस अभियान का हिस्सा बन रहे हैं, तो कुछ लोग अप्रत्यक्ष रूप से। आशय सभी का एक है— स्वच्छ भारत की परिकल्पना को साकार किया जाए। विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में भी स्वच्छता अभियान बड़े व्यापक पैमाने पर चलाए जा रहे हैं। एक अच्छी सोच को साकार करने के लिए देश ने गति पकड़ी है। ऐसी स्थिति में हमारे प्राथमिक विद्यालय इससे अछूते कैसे रह सकते हैं। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने 2 अक्तूबर 2014 को महात्मा गाँधी की 145वीं जयंती पर 'स्वच्छ भारत अभियान' का शुभारंभ किया।

अभियान के आरंभ से ही नन्हें बच्चों की ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि कल का भारत इन्हीं बच्चों के रूप में तैयार हो रहा है। वास्तव में भारत के प्राथमिक विद्यालयों में ऐसे ही स्वच्छता के ब्राँड अंबेसडरों का नव-निर्माण हो रहा है। आकर्षक तब लगता है, जब स्वच्छता के शब्दों से ये नव-निहाल अपना नाता जोड़ लेते हैं। शायद इनकी बात समाज में सबसे ज़्यादा सुनी जाती है। एक बच्चा यदि स्वच्छता को अपना ले तो पूरा परिवार उसके पीछे खड़ा हो जाता है, क्योंकि इसके पीछे समाज के बड़े बुज़ुर्गों की सोच है कि हमने तो जी लिया, अब आगे इन्हें जीना है, इसलिए वातावरण को स्वच्छ रखना ही होगा। चलिए समाज ने भी बहुत हद तक स्वच्छता को अंगीकृत कर लिया है। ऐसा ही एक उदाहरण मैं दूँगा, एक बार बस पकड़ने के लिए मैं एक बस स्टैंड पर खड़ा था। बस आने का इंतज़ार कर रहा था। परंतु बस जाम की वजह से समय पर नहीं आ रही थी। मैं स्टैंड के किनारे खड़ा होकर इंतज़ार कर रहा था, इतने में एक सज्जन पान खाते हुए आए , उन्होंने बस स्टैंड पर ही दो-तीन जगह पान की पीके फेंक दी। मैंने विनम्रता से उनके पास जाकर कहा भाई साहब ये पीकें आपको यहाँ अच्छी लग रही हैं, यहाँ रोज़ हज़ारों मुसाफ़िर आते हैं, इसे गंदा ना करो। उन्हें बात समझ में आ गई, मुझसे बोले कि गलती हो गई अब नहीं होगा।

वास्तव में स्वच्छता सभी को पसंद है, पर दूसरों की शर्त पर। दूसरे स्वच्छ रखें तो अच्छा, परंतु हम स्वच्छता में खुद भागीदार नहीं रह सकते। अच्छे ढंग से व्यवस्थित पार्क, गार्डन, उपवन, सबको अच्छे

**सहायक प्रोफ़ेसर*, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, एन. सी. ई. आर. टी, नयी दिल्ली 110016

लगते हैं, परंतु शर्त है कि जिसके पास उसे साफ़ करने का अधिकारिक हक है, उसके द्वारा साफ़ किया जाए, यह सोच गलत है। हम (माली) उस कर्मी पर निर्भर हैं कि वह साफ़ रखे। परंतु भारत के नागरिक के रूप में हमारी भी कुछ ज़िम्मेदारी है। हमें भी इसे स्वच्छ रखने में उतना ही योगदान देना चाहिए, जितना उन कर्मियों ने दिया है। यह हम सभी की सामूहिक ज़िम्मेदारी है।

स्कूल के विषय में भी मैं बात करूँ, तो अपना एक अनुभव पाठकों से जोड़ना चाहता हूँ। एक बार एक विद्यालय में मैं शोध कार्य हेतु गया था। अध्यापक होने के नाते अपना शिक्षण के प्रति जुड़ाव छिपा नहीं पाया और हेड मास्टर साहब से अनुमति मिलने पर कक्षा में प्रवेश किया। मैंने देखा छात्र मेज़ पर बैठे हैं एवं डेस्क पर स्याही आदि के बहुत सारे धब्बे गिरे हुए थे, कईयों ने उस पर बहुत कुछ लिख दिया था। कक्षा में प्रवेश करते ही हमारा ध्यान सबसे पहले मेज़ की गंदगी की ओर गया। मैंने बड़े ही प्यार से बच्चों को विश्वास में लेकर उनके अपनी-अपनी मेज़ों की सफ़ाई से शुरुआत कराई। मैं चाहता था कि बच्चों में इस बात की समझ बने कि यह विद्यालय मेरा है, इस विद्यालय की हर चीज़ मेरी है, हमें अपने चीज़ को उसी प्रकार गंदा नहीं करना है, जैसे हम अपने घर को गंदा नहीं करते हैं। बच्चों से संवाद एवं जुड़ाव दोनों ही बनाना आवश्यक है। क्योंकि आप की बातों को समझने के लिए उन्हें भी अपनी तर्क की कसौटी पर उसे कसना होता है। अत: बच्चों ने जमकर मुझसे सवाल किए, सवाल मन को झकझोर देने वाले थे। हमारे पास में गंदगी क्यों होती है? लोग घर के पास कूड़ा क्यों फेंक देते हैं? वास्तव में ये सभी सवाल इस बात पर मना करने के लिए एक दिशा देते हैं कि यह देश किसका, हम नागरिक किसके, सरकार किस की। वास्तव में देखा जाए तो अधिकांश लोगों ने एक समझ बना ली है कि स्वच्छता सरकार की ज़िम्मेदारी है। अत: सरकार को इससे निपटना चाहिए। पर अंतर्मन से पूछिए कि बिना आपके सहयोग से यह सरकार बनेगी या चल पाएगी? नहीं, हम सब सरकार के हिस्से हैं। सरकार हम से ही है। हमारा दायित्व है अपने पास-पड़ोस को स्वच्छ रखना। बच्चों में यदि आरंभिक स्तर से ही स्वच्छता का बीजारोपण किया जाए तो कल के नागरिकों के रूप में हमारे पास प्रबुद्ध वर्ग की संख्या अधिक होगी, जिन्होंने स्वच्छता को न सिर्फ़ स्वीकार किया है, बल्कि इसे अंगीभूत भी किया है।

विद्यालय में स्वच्छता एक प्रयोग है, जिसे हर अध्यापक अपने स्तर पर बालकों के साथ जुड़कर कर सकता है। चाहे विद्यालय के परिसर को स्वच्छ एवं आकर्षक बनाने का सुझाव हो अथवा उसकी पूरी रूपरेखा गढ़नी हो। बालकों को उसका हिस्सा बनाना चाहिए एवं प्रत्येक बालक-बालिकाओं को प्रेरित कर इसमें उनका योगदान सुनिश्चित करना चाहिए। बच्चे भी इस अभियान का हिस्सा होकर आनंद महसूस करेंगे, क्योंकि स्वच्छ एवं बढ़ता भारत हम सब के हित में है। कुछ अध्यापक बच्चों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी जागरूक बना सकते हैं। एन.सी.ई.आर.टी ने रीडिंग सैल के मथुरा प्रोजेक्ट में ग्रामीण बालकों एवं अभिभावकों में पठन के प्रति जागरूकता फ़ैलाने के लिए स्थानीय

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 101 5/26/2017 9:27:09 AM

बोलचाल की भाषा में ही कुछ गीत रचे एवं बालकों के साथ नुक्कड़ नाटकों का मंचन किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि निश्चित दिन बाल पुस्तक मेले में हज़ारों की संख्या में अभिभावक अपने बच्चों के साथ आए। कहने का आशय है कि ग्रामीण जनता तक अपने अभियान की पैठ बनाने के लिए हमें इन्हीं नन्हें कलाकारों, बालकों पर आश्रित रहना पड़ेगा। ये बालक हमारे ब्राँड अंबेसडर हैं, स्वच्छ भारत का अभियान इन्हीं के द्वारा जन-जन तक जाएगा। सरकारों को भी इसे एक मुहिम की तर्ज़ पर अपनाना होगा। तभी हम स्वच्छ भारत की परिकल्पना साकार कर पाएँगे।

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 102 5/26/2017 9:27:10 AM

15

संवाद से खुली शिक्षा की राह

*प्रमोद दीक्षित 'मलय'**

यही कोई दो-ढाई वर्ष पहले की बात है। वे जाड़े के दिन थे। उस दिन आसमान में सूरज का कहीं अता-पता न था, बादल हवा के साथ तैर रहे थे। नरैनी ब्लॉक संसाधन केंद्र में मेरी नियुक्ति के ये शुरुआती दिन थे। मेरे साथ ही चार अन्य सहयोगी भी थे। मैं ठंड दूर करने के लिए हथेलियों को आपस में रगड़ रहा था। लेकिन ठंड तन-मन में हावी थी। कुछ लकड़ियाँ जुटाकर हम सबने बाहर खुले में आग तापने का निश्चय किया। हालाँकि, लकड़ियाँ गीली थीं और धुआं उगल रही थीं जो आंख-नाक में घुस रहा था। लेकिन इन्हीं सीली लकड़ियों में आग भभकने की आशा में हम लोग चारों ओर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी मेरे मोबाइल की घंटी बजी। उधर से एक गाँव का नाम लेते हुए खंड शिक्षा अधिकारी का निर्देश मिला, ''इस गाँव में ग्रामीणों ने प्राथमिक विद्यालय में ताला डाल दिया है। आप वहाँ जाइए। कैसे भी बने, बात करके ताला खुलवाकर शाम तक रिपोर्ट दीजिए।'' इसके पहले कि मैं कुछ और पूछ पाता फ़ोन कट गया। मैंने उस गाँव के बारे में अपने सहयोगियों से कुछ ज़रूरी जानकारी जुटाई। कुछ अन्य स्रोतों से भी वस्तुस्थिति को समझने का प्रयास किया तो पता चला कि वह गाँव बागैं नदी के उस पार बीहड़ में स्थित है, लेकिन क्षेत्र में उस गाँव की पहचान एक पढ़े-लिखे समझदार गाँव के रूप में है। वहाँ के कुछ लोग नौकरियों में भी हैं। मालूम हुआ कि गाँव के लोग अध्यापकों के कार्य-व्यवहार से खासे नाराज़ हैं। यह भी ज्ञात हुआ कि एक स्वयं सेवी संस्था वहाँ पिछले तीन सालों से आजीविका और शिक्षा के मुद्दे पर काम कर रही है और विद्यालय में ताला डालने के लिए लोगों को उसने ही उकसाया है। जाने से पहले मैंने वहाँ कार्यरत शिक्षकों से बात कर प्रकरण को समझने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा था। मैंने साथ चलने के लिए संबंधित संकुल प्रभारी से संपर्क किया तो ज्ञात हुआ कि वह दो दिन से बुखार से पीड़ित हैं और कहीं आ-जा पाने की स्थिति में नहीं हैं। सहकर्मियों ने कुछ अत्यावश्यक कार्य पूरे करने का रोना रोया। आखिर ओखली में सिर कौन देना चाहेगा। खैर, मरता क्या न करता, मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और अकेले ही चल पड़ा।

वह विद्यालय मेरे कार्यालय से लगभग 25 कि.मी. दूर था। बाइक आगे बढ़ी जा रही थी और कस्बा पीछे छूट रहा था। मैं चिंतित था। मन में अनेक प्रश्न कौंध रहे थे। आखिर गाँव के लोगों ने विद्यालय में ताला क्यों डाला होगा? शिक्षकों ने क्या गड़बड़ कर दी होगी? संस्था के लोगों ने गाँव वालों को ऐसा

* ब्लॉक संसाधन केंद्र, नरैनी, बांदा में *सह-समन्वयक* (हिंदी) पद पर कार्यरत। 79/18, शास्त्री नगर, अतर्रा 210201, ज़िला-बांदा, उत्तर प्रदेश

करने के लिए क्यों उकसाया होगा? इसी उधेड़बुन और मन ही मन सवालों के उत्तर खोजता मुख्य मार्ग से अब मैं संपर्क मार्ग में आ चुका था। मार्ग के दोनों ओर दूर-दूर तक फ़ैले धान के खेत मन मोह रहे थे। पकते धान की महक अच्छी लग रही थी। मेंड़ों पर लगे बबूल के पेड़ों से रिसते गोंद को खाते पक्षियों के झुंड और उनका कलरव वातावरण में स्वर लहरी बिखेर रहा था। पल भर को मन उनमें रमता और दूसरे ही पल तमाम आशंकाओं से घिर जाता। एक अज्ञात भय मेरी पोर-पोर में समाया जा रहा था। अचानक एक बाज़ पक्षी बिलकुल मेरे सिर के ऊपर से किसी 'फ़ाइटरप्लेन' की तरह झपट्टा मारते हुए सामने के खेत से एक चूहे को पंजों में दबोच ले गया और एक सियार दाहिनी ओर के खेत से निकल सड़क पार कर जंगली झाड़ियों में घुस गया। विचारों का जाल एकदम से छिन्न-भिन्न हो गया और मैं कल्पना लोक से यथार्थ की खुरदरी पगडंडी पर हिचकोले खाते आगे बढ़ने लगा। अब खेतों की माटी का रंग और बनावट बदलने लगी थी। खेतों में अरहर और ज्वार-बाजरे की फ़सल अपने यौवन में हवा के साथ बलखाती नाच रही थी। मैं प्रकृति का यह हरापन आंखों में भर लेना चाहता था। मैंने बाइक बंद की और दोनों हाथों को फ़ैलाकर ताज़ी हवा को खींच कर फ़ेफ़ड़ों में भर लिया। ऊपर आसमान में बादलों के बीच से सुनहरी किरणें फूट रही थीं। उस समय मैं दुनिया का सबसे खुश आदमी था। लेकिन सामने नज़र जाते ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि नदी का बालूभरा पाट मेरी परीक्षा लेने को तैयार खड़ा था। नदी में पुल नहीं था। एक बारगी लगा कि कहीं रास्ता तो नहीं भटक गया। मैं नदी पार करने के बारे में सोच ही रहा था कि पीछे से किसी ने आवाज़ दी, ''बाबू जी, कैथा-महुआ के पेड़ के नीचे से ढलान मा बस नाक कै सीध चले जाव। कच्चा पुल से नदी पार करतै चढ़ाई मा गाँव मिल जाई।'' मैंने अपने पीछे खेत में काम कर रहे उस वृद्ध किसान से विद्यालय और वहाँ हुई घटना के बारे में जानकारी ली और धन्यवाद दे आगे बढ़ गया। गाँव नदी पार करते ही ऊपर टीले पर था। मैं गाँव में प्रवेश कर चुका था। अब वह विद्यालय और वहाँ की भीड़ दिखाई पड़ने लगी थी। मैं अपने आपको मन ही मन तैयार कर रहा था।

जब मैं विद्यालय के मुख्य द्वार पर पहुँचा तो लगभग आधा दिन बीत चुका था। बाहरी गेट खुला हुआ था। विद्यालय के चैनल और अन्य कक्षा-कक्षों पर दो-दो ताले पड़े हुए थे। कुछ बच्चे अपने बस्ते लिए इधर-उधर घूम रहे थे। कुछ बच्चे बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे थे। कुछ गिप्पी-गेंद और कुछ बच्चे एक लकड़ी के फ़ट्टे के बैट और कपड़े की गेंद से क्रिकेट खेल रहे थे। लड़कियों की संख्या काफ़ी कम थी और लगभग छोटी उम्र की थी। वे अपने एक बड़े समूह में खो-खो खेल रही थीं तो चार लड़कियों का एक छोटा समूह पूरी घटना से बेखबर 'गोट्टा' खेलने में व्यस्त और मस्त था। महिलाएँ भी थीं, लेकिन उनकी सक्रिय सहभागिता नहीं थी। वे केवल मूकदर्शक थीं। संभवत: विभाग पर दबाव बनाने के लिए उनको प्रयोग किया जा रहा था। वे लंबे-लंबे घूंघट में भीड़ के एक ओर खड़ी आपस में बातें कर रही थीं और घूंघट को केवल दो उंगलियों से अजीब प्रकार से मोड़कर उन उंगलियों के बीच में से पूरी भीड़ और घटनाक्रम पर नज़र रखे हुए थीं।

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 104 5/26/2017 9:27:10 AM

शायद, वहाँ उपस्थित शिक्षक ने मुझे देख लिया था और उत्साह से मेरी ओर लपकते हुए बोल पड़ा, ''साहब आ गये, साहब आ गये।'' लोगों के चेहरे मेरी ओर मुड़ गए। मैं उनके चेहरों पर आक्रोश और व्यवस्था के प्रति विद्रोह के भाव स्पष्ट पढ़ पा रहा था। मैं उनके और समीप पहुँच चुका था। ऐसी भीड़ से यह मेरा पहला सामना था और मैं अंदर से डर रहा था। हालाँकि, मैंने स्वयं को दृढ़ता और विश्वास से भरा बनाए रखने की पुरज़ोर कोशिश की हुई थी। लेकिन सच यही था कि मैं किसी अनहोनी और एक अनजाने भय से ग्रस्त था।

मुझे वहाँ कोई नहीं जानता था। उस शिक्षक ने गाँव वालों से मेरा परिचय कराया। मैंने गाँव वालों को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए समझाया, ''देखो, विद्यालय एक सरकारी सम्पत्ति है। बच्चों की पढ़ाई को जबरन रोकना, दरवाज़ों पर ताला डालना, भवन का दुरुपयोग करना, किसी भी प्रकार की तोड़-फोड़ करना और सरकारी काम में बाधा पहुँचाना अपराध है। आपसे अनुरोध है कि सभी ताले खोल दें ताकि पढ़ाई सुचारु रूप से चल सके। आपकी जो समस्याएँ या मांगें हैं वे सब मुझसे कहें। मैं आपकी बात सक्षम अधिकारियों तक पहुँचा कर समाधान निकालने का भरसक प्रयास करूँगा।''

मैंने देखा कि मेरी चेतावनी का उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। उनकी माँग थी कि बेसिक शिक्षा विभाग का कोई बड़ा अधिकारी आए, तभी ताला खुलेगा और बातचीत होगी। उन लोगों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया और मुझ पर एक साथ हज़ारों प्रश्नों की बौछार कर दी। संकट का अनुभव कर मैंने सोचा कि यदि मैंने वहाँ उपस्थित व्यक्तियों से अब गर्म तेवर में बात की तो मामला और उलझ सकता है। क्योंकि वहाँ मौजूद हर व्यक्ति उत्तेजित था और आक्रामक भी। जिसके मन में जो आ रहा था, वह बोल रहा था। कुछ किशोर-से लड़के बीच-बीच में चैनल में दो-चार लात भी मार दे रहे थे, शायद विकृत व्यवस्था के प्रति गुस्से के इज़हार का उनका अपना तरीका था। भीड़ का एक हिस्सा चारदीवारी को तोड़ रहा था। उन्हें लग रहा था कि हिंसक व्यवहार ही समाधान है। वहाँ ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ें आ रही थीं। कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं था। सब अपनी-अपनी हाँक रहे थे। वह भीड़ थी, वहाँ कोई नेता नहीं था या यह कहूँ कि वहाँ हर कोई अपने आप को दूसरे से ज़्यादा बड़ा नेता दिखाने की अघोषित होड़ में शामिल था। उसका कारण यह था कि निकट भविष्य में ग्राम पंचायत के चुनाव होने वाले थे।

मैंने भीड़ से कहा कि इस तरह हल्ला-गुल्ला करने से किसी समस्या का समाधान नहीं निकल सकता। संवाद से रास्ते खुलते हैं। आपका गुस्सा जायज़ हो सकता है। लेकिन याद रखिए, गुस्से में भटकाव की संभावना हुआ करती है। क्यों न हम सभी आराम से बैठकर बातचीत करें। विद्यालय और शिक्षकों को लेकर आपकी जो भी समस्याएँ हैं, प्रश्न हैं या अपेक्षाएँ हैं, बेझिझक कहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपको समाधान मिलेगा। मेरे इस प्रस्ताव पर बुज़ुर्ग सहमत होते दिखे, लेकिन उत्तेजित युवा वर्ग ने उन्हें मोड़ दिया। डोर मेरे हाथ में आते-आते रह गई।

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 105 5/26/2017 9:27:10 AM

एक बार फिर परिसर में नारेबाज़ी होने लगी। उनमें किसी उच्चाधिकारी से बात करने की ज़िद थी। मैं लगभग असहाय था, लेकिन हार मानने को तैयार न था। मैंने फिर कोशिश की।

अब मैंने उन बुज़ुर्ग लोगों को, जो अब तक मेरी बातें ध्यान से सुन रहे थे और कहीं न कहीं सहमत थे तथा संस्था के कार्यकर्ता से भी आग्रह किया कि ताला खुलवाएँ। लोकतांत्रिक तरीके से ही समाधान निकलेगा। बातचीत ही अंतिम रास्ता है। मैंने उन लोगों की अपने अधिकारी से भी बात करवाई। आखिर वे ताला खोलने और बैठने को तैयार हो गए।

उन लोगों ने अपने अन्य साथियों से बात कर सभी ताले खोल दिए और अध्यापक सभी विद्यार्थियों को कक्षाओं की ओर ले जाने लगे। मैंने संतुष्टि की एक गहरी सांस ली। गला सूख रहा था और उस ठंड में भी मैंने एक गिलास पानी गटक लिया।

मैं किसी कमरे में समुदाय के कुछ चयनित लोगों के साथ बैठना चाह रहा था ताकि शांत और बेहतर वातावरण में बातें हों और टकराव से बचा जा सके। लेकिन उन लोगों की इच्छा थी कि बाहर खुले में बैठा जाए ताकि सब लोग अपनी बात रख सकें और बातचीत की पारदर्शिता बनी रहे। विद्यालय से दरियाँ और प्लास्टिक की चटाइयाँ निकाल कर बरगद के नीचे चबूतरे पर बिछा दी गईं। लगभग शांति थी। हाँ, कभी-कभी बरगद पर बैठे किसी कौवे की कांव-कांव से नीरवता ज़रूर भंग होती, लेकिन थोड़ी देर में वह उड़ गया। आकाश में बादलों का छंटना शुरू हो गया था।

अब वहाँ पर अध्यापकों, अभिभावकों, विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों, पंचायत प्रतिनिधियों सहित गाँव के अन्य लोग भी उपस्थित थे। मैंने अनुरोध किया कि यह एक अच्छा अवसर है कि हम प्राथमिक शिक्षा की बेहतरी के लिए शिक्षकों को अभिभावकों से क्या अपेक्षाएँ तथा अभिभावकों को शिक्षकों से क्या अपेक्षाएँ हैं, पर बात कर सकते हैं। मैंने एक दांव और चला कि आप सब खुले मन से अपने विचार और सुझाव रखें कि इस विद्यालय को बेहतर कैसे बनाया जाए। बच्चों को एक रचनात्मक वातावरण मिले और बच्चों का बिना बाधा के सीखना संभव हो सके। यह दूसरों के दोष गिनाने का समय नहीं है। हम सबको मिलकर साथ-साथ कदम बढ़ाना होगा, तभी हम सही मायनों में शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकेंगे। मैं देख रहा था, वे शांत एवं स्थिर ज़रूर थे, लेकिन उनमें हर एक के अंदर एक ज्वालामुखी धधक रहा था और भभकता लावा बाहर निकलने को व्यग्र था।

चुप्पी तोड़ते हुए एक युवा अभिभावक ने कहा कि स्कूल कभी-भी समय से नहीं खुलता। बच्चे इधर-उधर खेलते-घूमते रहते हैं और अक्सर लड़ने-झगड़ने लगते हैं। किसी दिन कोई बच्चा चोटिल हो गया तो कौन ज़िम्मेदार होगा। दूसरे कोने से एक बुज़ुर्ग का आक्रोश फूटा, ''क्या कारण है कि कक्षा 3, 4 व 5 के बच्चे भी हिंदी की किताब नहीं पढ़ पाते और गणित के सामान्य सवाल हल करने में कठिनाई आती है? मेरे पास बैठे व्यक्ति, जो शायद कहीं नौकरी करते हैं और छुट्टी में घर आए थे, ने कहा कि यहीं विद्यालय के पास में

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 106 5/26/2017 9:27:10 AM

मेरा घर है और जब मैं यहाँ होता हूँ तो देखता हूँ कि शिक्षक बच्चों की छोटी-छोटी गलतियों पर पिटाई करते हैं। उन्हें मुर्गा बना देते हैं, गधा और बेवकूफ़ जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। साहब, क्या ऐसे शब्दों का प्रयोग उचित है?'' तभी उस बात में जोड़ते हुए एक नवयुवक जो शायद कस्बे के किसी निजी स्कूल में शिक्षक है, ने अपनी बात कही कि यहाँ के अध्यापक कहते हैं कि बच्चे कुछ सीखते नहीं हैं। मैं एक बात जानना चाहूँगा कि उन्होंने सीखने के कैसे और कितने अवसर बच्चों को उपलब्ध कराए हैं? वे बच्चों को कितना समझते हैं? क्या पाठ रट लेना ही सीखना है? तभी पीछे खड़ा एक युवक तीखे स्वर में बोला कि यहाँ के अध्यापक कक्षा में ही गुटका-तम्बाकू चबाते रहते हैं और बच्चों से ही दुकान से गुटका मंगवाते हैं। क्या यह ठीक आचरण है।

मैं देख रहा था कि अध्यापकों के सिर झुके हुए थे। इन बातों को सुनकर वहाँ उपस्थित शिक्षकों के चेहरों में तमाम भाव आ-जा रहे थे। उनमें से एक ने कहा कि विद्यालय में हम दो शिक्षक हैं। एक शिक्षामित्र और मैं सहायक अध्यापक। विद्यालय का चार्ज भी मेरे पास है। मुझे विभागीय कार्यों, जैसे— एमडीएम का खाद्यान उठाने, छात्रवृत्ति हेतु बैंक में बच्चों के खाते खुलवाने, बन रहे एकल कक्ष की सामग्री खरीदने एवं अचानक आ गए अन्य कार्यों को करने हेतु न चाहते हुए भी स्कूल से बाहर जाना पड़ता है। बैठकों में संकुल एवं बी.आर.सी जाना होता है। वहीं शिक्षामित्र का दूरस्थ बीटीसी का प्रशिक्षण बी.आर.सी में चल रहा है। उसकी ड्यूटी मतदाता सूची संशोधन कार्य में भी बीएलओ के रूप में पिछले छ: महीनों से लगी है और तहसील की भागदौड़ बनी रहती है। इसके अलावा वह पल्स पोलियो अभियान में भी अपनी सेवाएँ दे रहा है। हममें कमियाँ हो सकती हैं, इसके बावजूद हमारी कोशिश रहती है कि विद्यालय समय से और नियमित खुले। बच्चों को बेहतर शैक्षिक माहौल दे पाएँ। हमें आपसे सहयोग भी नहीं मिलता। कोई भी बच्चा नियमित नहीं आता है, जो बच्चे एक दिन आते हैं वो दूसरे दिन नहीं आते और दूसरे दिन आने वाले बच्चे अगले दिन नहीं आ पाते। इस कारण हम विषय को आगे नहीं पढ़ा पाते और वहीं उलझे रहते हैं। जबकि हम देखते हैं कि अभिभावक बच्चों को विद्यालय न भेजकर अपने साथ खेतों पर काम करने ले जाते हैं।

इतना सुनते ही एक प्रौढ़ व्यक्ति, जो शायद खेत से सीधे चला आया था और पास ही घास का गट्ठर रखे बैठा था, लगभग चिल्लाते हुए बोला, ''देखा साहब, जब लड़कन-बिटियन का इस्कूल मा कुछ सीखैं का ना मिली तो हम उन्हें काहे का इस्कूल भेज कै टाइम बरबाद करी। तौ अपने साथ लेवा जाइत हैं कि खेती-किसानी का काम सीख लैंय अउर हमार बोझा हल्काय।'' अन्य गाँव वासियों ने भी सहमति प्रकट की और कहा कि यह बात सोलह आने सच है।

मैंने विद्यालय में लड़कियों की कम संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आप लोगों को चाहिए कि लड़कियों को विद्यालय भेजें। लड़कियों के शिक्षित हुए बिना विकास की बात बेईमानी है। फिर उन्हें दूसरे घर जाना है। उनका समर्थ और सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। मेरी इस बात पर महिलाओं की ओर से

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 107 5/26/2017 9:27:10 AM

किसी ने कुछ कहा जो मैं दूर होने के कारण सुन न पाया। तब कॉलेज जाने वाले एक छात्र ने उस महिला की बात को साझा करते हुए कहा कि विद्यालय में कोई शौचालय न होने के कारण वे अपनी सयानी लड़कियों को नहीं भेजते। उसने एक बात अपनी ओर से जोड़ी कि यहाँ लड़कियों का नाम देर से लिखाते हैं। इस कारण कक्षा 5 तक आते-आते वे 14-15 साल की हो जाती हैं। नम वातावरण में हमारा संवाद गति पकड़ रहा था और हम सही दिशा में जा रहे थे। लोग बेझिझक अपनी बात कर रहे थे। विद्यालय के प्रति उनकी सकारात्मक सोच को मैं समझ रहा था। तभी किसी के घर से एक लड़का चाय लाया और गिलासों में आठ-दस लोगों को चाय दी। चाय अच्छी थी, चीनी के साथ बहुत हल्का-सा नमक भी डाला गया था। थोड़ी गरमाहट का अनुभव हुआ। बातों का क्रम फिर चल पड़ा। लेकिन अब गुस्सा नहीं एक दूसरे को समझने और सहयोग देते हुए विद्यालय को बेहतर बनाने का दोस्ताना भाव था। संवाद से शिक्षा की राह खुल रही थी।

मेरे ठीक बगल में बैठे गाँव के तीस वर्ष तक प्रधान रहे एक वृद्ध ने कहा कि आज जो कुछ भी यहाँ हुआ, उसका खेद है। लेकिन यह लाभ भी हुआ कि वास्तविकता को समझ पाए हैं। मन को पढ़ पाए हैं। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आज विद्यालय की दूरी बढ़ी है। विद्यालय के विकास में उनकी कोई भागीदारी नहीं है। जबकि सरकार विद्यालय के विकास में समाज की भूमिका को महत्व दे रही है। लेकिन शिक्षक कभी भी गाँव से सलाह-मशविरा नहीं करते। कभी किसी प्रकार का संपर्क नहीं करते। वे मोटर साइकिल से आते हैं और चले जाते हैं। आज शिक्षक एक सरकारी कर्मचारी बन कर रह गया है। जिनमें बच्चों और इस विद्यालय के प्रति अपनेपन का भाव नहीं है। समाज से भी कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि यह विद्यालय बहुत पुराना है। अब नया और पक्का भवन ज़रूर बन गया है लेकिन इसमें प्राण नहीं हैं। वे अपने विद्यार्थी जीवन की यादें साझा करते हुए बोले कि तब यह भवन कच्चा था और खपरैल थी। इसकी देखरेख अभिभावक और गाँव के अन्य लोग मिलकर करते थे। शिक्षक भी बच्चों से अपने बच्चों जैसा व्यवहार करते थे और कोई भेदभाव नहीं था। शिक्षकों का गाँव के प्रत्येक घर में आना-जाना था और सबके सुख-दुख में सहभागी थे। हम सब ने अपनी शुरुआती पढ़ाई इसी विद्यालय से पूरी की और कई उपलब्धियाँ हासिल की थीं।

तभी एक बुज़ुर्ग ने कहा कि क्या ज्ञान किताबों में ही मिलता है? गाँव में तमाम कामों में कुशल और कलाओं में दक्ष लोग हैं। जिन्हें स्कूल में बुलवाकर बच्चों को सिखाया जाए तो बच्चे हुनर में भी प्रवीण हो जाएँगे। मुझे उनकी बात में बड़ा दम नज़र आया। मैंने अनुरोध किया कि अपनी बात को खुल कर बताएँ। उन्होंने कहा कि हमारे गाँव में मिट्टी के बर्तन बनाने, बांस से पंखा-डलिया बनाने, जूट से चटाई-पाखरी बनाने के पुश्तैनी काम होते हैं। आज के बच्चे ये काम सीखने में शर्माते हैं। ये कला नष्ट होने की कगार पर है। मेरा सुझाव है कि यदि इन्हें स्कूल से जोड़ दिया जाए तो वे इसके महत्व को समझेंगे और यह कला बची रहेगी।

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 108 5/26/2017 9:27:11 AM

शाम घिर आई थी। समस्या का समाधान भी लगभग हो चुका था। अब चलने की बेला थी। मैंने सबके सहयोग के लिए आभार ज्ञापित करते हुए अनुरोध किया कि "इस विद्यालय में आपने शिक्षा प्राप्त की और अब आपके बच्चे भी इसी विद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यह विद्यालय आपका है। यह इस गाँव की संपत्ति है, सांझी विरासत है। इसकी रक्षा करना आपका नैतिक और सामाजिक दायित्व है।" सबके चेहरे खिले हुए थे। रोम-रोम से उत्साह छलक रहा था। वे मुझे छोड़ने गाँव के छोर तक आए।

उस विद्यालय से बराबर संबंध बना रहा। बाद में उस पूरी ग्राम पंचायत के शिक्षकों के साथ खंड शिक्षा अधिकारी ने बैठककर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। वे शिक्षक अब वहाँ नहीं हैं और नयी भर्ती में तीन नए शिक्षकों की नियुक्ति हो गई है और हाँ, एक प्रधान अध्यापक भी पहुँच गए हैं। स्थितियाँ पहले से अच्छी हैं, लेकिन कोई उल्लेखनीय बहुत बड़ा बदलाव हम नहीं कर पाए हैं। हम सबकी सीमाएँ हैं। लेकिन गाँव संतुष्ट है और मैं ...? शायद नहीं, क्योंकि अभी बहुत कुछ करना शेष है।

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 109 5/26/2017 9:27:11 AM

16

मंचन 'छह पूँछ का चूहा' कहानी का

*धर्मप्रकाश**

अभी कुछ समय पहले, कक्षा एक व दो के गणित विषय के शिक्षकों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए एक वर्कशॉप करने की योजना बनाई जा रही थी। एक साथी ने सुझाव दिया कि क्यों न एक सत्र ऐसा भी रखा जाए, जिसमें गणित से संबंधित कहानियाँ, पात्र अभिनय या कविताओं को सुर में गाकर उसके भाव प्रस्तुत करना इत्यादि पर अपने अनुभव एक-दूसरे के साथ बाँटे। विचार अच्छा था। सभी ने हाँ कह दी।

वर्कशॉप के आयोजन में अभी विचारों की दौड़ जारी थी। प्रश्न चिन्हों के साथ क्या इस कहानी का मंचन करें? अध्यापकों को मज़ा आएगा? मंचन कक्षा में हो पाएगा? इस सोच-विचार के बीच में अचानक एक कक्षा का व उसमें अध्यापिका द्वारा की गई प्रस्तुति का स्मरण हुआ। कक्षा में हुआ अनुभव मानों विचारों में फिर से सजीव हो गया।

कुछ महीने पहले बहुत सारे प्राइमरी स्कूलों की कक्षाओं में जाने का व अध्यापकों की शिक्षण विधि इत्यादि को देखने का अवसर मिला। अध्यापकों की अपनी सुविधानुसार कोई भी विषय चुनने व शिक्षण के किसी भी तरीके (जिनको वे प्रभावी समझते थे) द्वारा कक्षा में कार्य करने की आज़ादी थी। यह सब इसलिए कि आप सबको 'मेरी स्कूल' जाने की वस्तुस्थिति समझ आ जाए। स्कूल ढूँढ़ना व स्कूल तक पहुँचना काफ़ी मेहनत वाला काम था। क्योंकि यह छोटा-सा स्कूल एक घनी आबादी वाली बस्ती में था। कक्षा में पहुँचने के बाद अध्यापिका ने कहा कि आज मैं छह पूँछ वाले चूहे की कहानी इन बच्चों को सुनाऊँगी। मैंने धीमें से पूछा— ''यह कहानी आपने कहाँ पढ़ी है?'' अध्यापिका ने बताया कि एकलव्य द्वारा प्रकाशित पुस्तक है, उसमें पढ़ी थी। उसमें तो सात पूँछ का चूहा था, पर मेरी कक्षा में चूहे की छह पूँछे हैं। आज इसी कहानी का मंचन करूँगी। अध्यापिका ने बच्चों को प्रोत्साहित करना शुरू किया ''क्या तुमने चूहा देखा है?'' कक्षा एक के बहुत सारे बच्चों ने चूहे से ही जुड़े हुए अपने अनुभवों को बताया। ''चूहा काला होता है'', ''नहीं ग्रे होता है''। उसके बाद अध्यापिका ने फिर पूछा ''चूहे की पूँछ कितनी होती है?'' ''जो चूहा तुमने देखा था उसकी पूँछ कितनी थी?'' कुछ बच्चे विश्वास के साथ कह पाए ''एक''। इन सब के बाद अध्यापिका ने कहा कि वह सब बच्चों को छह पूँछ के चूहे से मिलवाने वाली हैं। फिर एक सूत की मोटी सुतली में अखबार की छह एक जैसी लंबी कतरनों को कमर में बांधकर वह एक चूहे का अभिनय करने लगीं।

मन में प्रश्न उठा ''पूँछों के लिए अखबार की कतरन ही क्यों? कक्षा में एक तरफ़ से दूसरी तरफ़

**प्रोफ़ेसर* (सेवानिवृत्त), एन. सी. ई. आर. टी. नयी दिल्ली 110016

''मैं छह पूँछ का चूहा।'' हाँ जी! छह पूँछ का चूहा'' कहते हुए अध्यापिका कक्षा में घूम रही थीं, बच्चों का आनंद देखते ही बनता था। हर बच्चा चूहे को (अध्यापिका) छूने का प्रयास कर रहा था और फिर शुरू हुआ सिलसिला चूहे की पूँछ कम करने का। इसी दौरान समझ में आया कि अखबार की कतरनों से पूँछ बनाने से इस सबमें क्या आसानी हुई। बस एक पूँछ कम करने के लिए एक कतरन को फाड़कर अलग कर देना था। बच्चों से इस पर आपस में चर्चा जारी थी कि एक पूँछ कम होने पर कितनी पूँछ बची रही गई हैं। इस बात का हर बार बच्चे अपने पूर्वज्ञान से अनुमान लगाते और एक बच्चा बची हुई पूँछों को गिनकर उसकी सत्यता का पता लगाता। कक्षा में हर बच्चा किसी न किसी रूप में कहानी से जुड़ा हुआ था। मैं भी बच्चों के साथ मज़े व आनंद से मुग्ध-सा हो गया था। पूरी कहानी का मंचन चलता रहा, जब तक कि चूहे की केवल एक पूँछ बची व अध्यापिका ने एक साधारण एक पूँछ के चूहे की तरह आखिरी बार दौड़ लगाई। बच्चों ने बड़े आनंद के साथ तालियाँ बजाईं। उस अध्यापिका ने चलते समय बताया कि अक्सर वह ऐसा कुछ प्रयत्न कक्षा में करती रहती हैं। ऐसा करने में आनंदित-सा महसूस करती हैं।

जब यह सब एक फ़्लैशबैक में याद आया तो लगा कि क्यों न इसी कहानी से वर्कशॉप के उस सत्र की शुरुआत करें। अपने साथियों से इस विषय में चर्चा की। सहमति के बाद तैयारी शुरू की। अखबार की एक-सी लंबाई की कतरने काटी। एक किनारे कतरनों का लूप बनाया व उसे स्टेपल कर दिया। एक मोटे सूत के धागे को उस लूप में डाल दिया और लो कहानी के मंचन की तैयारी पूरी। अगले दिन, एक साथ अध्यापिका ने छह पूँछ का चूहा बनने के लिए वॉलंटियर बनना स्वीकार किया और हम सब ने इस कहानी को सबसे पहले अध्यापकों के समक्ष प्रस्तुत करने का फ़ैसला किया। सभी अध्यापकों ने भी इसमें भाग लिया और बहुत सारे डायलॉग ऐसे हुए जो स्वाभाविक व मज़ेदार थे। जैसे ''मैं तो चूहे की पूँछ नहीं काटूँगा, चूहा मेरा दोस्त है।'' वॉलंटियर अध्यापिका, जो चूहे का अभिनय कर रही थीं, कम होने या घटाने की अवधारणा के साथ ही साथ शून्य की अवधारणा से बच्चों को परिचित कराने का प्रयास यह कहकर कर रहीं थीं कि ''मैं तो बिना पूँछ का चूहा।'' इन सभी मुद्दों पर चर्चा भी हुई कि कैसे पात्र अभिनय का उपयोग कक्षा एक और दो में बहुत प्रभावी ढंग से किया जा सकता है।

मुझे दोनों अनुभवों को जोड़ते हुए यह भी लगा कि यदि एक विचार जो एक अध्यापक से शुरू हुआ, इतने सारे लोगों को प्रभावित कर सकता है, उनके सोचने और पढ़ाने के तरीके को बदल सकता है, तो यदि यह विचार प्रत्येक विद्यालय, प्रत्येक शिक्षक तक पहुँचा दिया जाए, तो कितना अच्छा हो! बच्चों को सीखने के नए तरीके प्राप्त होंगे और शिक्षा पद्धति में अभूतपूर्व परिवर्तन हो सकेगा। इन नवीन प्रयोगों के माध्यम से ही विद्यार्थी व शिक्षक का संबंध भी गहरा होगा। बच्चों का विद्यालय जाना बोझ के स्थान पर मौजमस्ती और खेल-कूद का अड्डा हो जाएगा, जहाँ वे खेल-खेल में शिक्षा ग्रहण कर पाएँगे। बेहतर शिक्षक बनने तथा शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने हेतु हमें शिक्षा पद्धति व विद्यालायों में इस प्रकार के प्रयोग करने होंगे!

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 111 5/26/2017 9:27:11 AM

17

मेरे सपनों का विद्यालय

हर्षीता सिदार

Date...../...../.....
Page.....

मेरे सपनों का विद्यालय

मैं यह चाहती हूँ कि हमारे स्कूल में जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं उन्हें सुधारने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। मैं चाहती हूँ कि हमारे स्कूल की हर कक्षा में ए.सी (A.C) और स्मार्ट बोर्ड लगे हों। हमारे स्कूल में एक कैंटीन भी होनी चाहिए जिससे कि अगर कोई बच्चा खाना नहीं ला पाये या उसके घर में किसी वजह से खाना नहीं बन पाये तो उसके पास पैसे हों तो वह कैंटीन से कुछ खा सके। हमारे स्कूल में बच्चों को शुरु से ही खेल के प्रति जागरुक बनाया जाए। बच्चों को तीसरी-चौथी कक्षा से ही अलग-अलग खेलों की ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो आगे जाकर किसी खेल में अपना नाम कमा सकें।

- हर्षीता सिदार
पाँचवी 'ई'

कविता

18

‘माँ जब मैं बड़ी हो जाऊँगी’

*जितेन्द्र कुमार पाटीदार**

माँ जब मैं बड़ी हो जाऊँगी
टीचर बन कर सबको पढ़ाऊँगी
सब बच्चों को स्कूल बुलाऊँगी
स्कूल में सबको बिठाऊँगी
सबको बैठाकर मिलवाऊँगी
उनके बीच भेद-भाव मिटाऊँगी
माँ जब मैं बड़ी हो जाऊँगी
टीचर बन कर सबको पढ़ाऊँगी
सब बच्चों को मदद करना सिखाऊँगी
एक-दूसरे की संस्कृति भी समझाऊँगी
उनमें एकता की भावना लाऊँगी
ऐसे ही समूह में काम करना सिखाऊँगी
माँ जब मैं बड़ी हो जाऊँगी
टीचर बन कर सबको पढ़ाऊँगी
कक्षा में पाठ मैं पढ़ाऊँगी
सब बच्चों की सहभागिता बढ़ाऊँगी
सिखाने के नए-नए तरीके अपनाऊँगी
सबकी सीखने में रुचि बढ़ाऊँगी
माँ जब मैं बड़ी हो जाऊँगी
टीचर बन कर सबको पढ़ाऊँगी
मैं बच्चों की दोस्त बनूँगी
उनमें टीचर का भय दूर करूँगी
सभी विषयों में रुचि बढ़ाऊँगी
आर्ट-क्राफ़्ट व खेल-कूद करना ज़रूर सिखाऊँगी
माँ जब मैं बड़ी हो जाऊँगी
टीचर बन कर सबको पढ़ाऊँगी
पढ़ाते समय निरंतर आकलन करूँगी
कमज़ोर बच्चों की समस्याओं का हल भी बताऊँगी
प्रतिभाशाली बच्चों को आगे बढ़ाऊँगी
सब बच्चों का ध्यान रखूँगी
माँ जब मैं बड़ी हो जाऊँगी
टीचर बन कर सबको पढ़ाऊँगी
बच्चों को पुस्तकालय ले जाऊँगी
पुस्तकों से परिचित कराऊँगी
पुस्तकें ज्ञान का भंडार हैं, यह समझाऊँगी
पुस्तकालय का उपयोग करना सिखाऊँगी

* *सहायक प्रोफ़ेसर*, अध्यापक शिक्षा विभाग, एन. सी. ई. आर. टी., नयी दिल्ली 110016

माँ जब मैं बड़ी हो जाऊँगी
टीचर बन कर सबको पढ़ाऊँगी
सबको कंप्यूटर लैब ले जाऊँगी
पर तार न छूना बताऊँगी
कंप्यूटर का प्रयोग करना सिखाऊँगी
इसी तरह आई सी टी समझाऊँगी
माँ जब मैं बड़ी हो जाऊँगी
टीचर बन कर सबको पढ़ाऊँगी
माँ मैं अपना आकलन करूँगी
अपना पेशागत ज्ञान बढ़ाऊँगी
सब साथियों के साथ काम करूँगी
अपने स्कूल का नाम रोशन करूँगी
माँ जब मैं बड़ी हो जाऊँगी
टीचर बन कर सबको पढ़ाऊँगी
स्कूल में नयी-नयी गतिविधियाँ कराऊँगी
उनमें बच्चों के माता-पिता को बुलाऊँगी
उन्हें बच्चों की गतिविधियों से अवगत कराऊँगी
ऐसे ही स्कूल-समुदाय को साथ लाऊँगी
माँ जब मैं बड़ी हो जाऊँगी
टीचर बन कर सबको पढ़ाऊँगी
ज्ञान का दीप जलाऊँगी
देश को सबसे आगे ले जाऊँगी
विश्व में देश की पहचान कराऊँगी
सबको यह बात मैं समझाऊँगी
माँ जब मैं बड़ी हो जाऊँगी
टीचर बन कर सबको पढ़ाऊँगी।।

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 114 5/26/2017 9:27:13 AM

19

बच्चे और स्कूल

*सुनील कुमार गौड़**

बच्चे स्कूल जाते हैं-
नन्हें बच्चे प्यारे बच्चे,
कुछ उदास, गुमसुम से बच्चे,
कुछ गुस्से में, कुछ रोते बच्चे,
कुछ भाव लिए चेहरे पर...
क्यों?

क्या कुछ ऐसा हो सकता है!
बच्चे स्कूल जाएँ, खुश होकर, ऐसे...
स्कूल में, छुट्टी की घंटी बजने पर जैसे,
खुश होकर, घर आते बच्चे।

क्या ऐसा भी हो सकता है!
स्कूल बन जाएँ 'आनन्दालय'
और शिक्षक बन जाएँ बच्चों के माली,
कैसे माली?

ऐसे माली,
जो फुलवारी सींच सकें,
'सृजन' के खाद और पानी से,
और बच्चे स्कूल जाएँ, ऐसे,
जैसे, खुश होते मुस्काते बच्चे,
छुट्टी की घंटी बजने पर,
खुश होकर, घर आते बच्चे।

* *शिक्षक-प्रशिक्षक,* पाठ्यचर्या विभाग, एस.सी.ई.आर.टी., उत्तराखंड

कुछ अन्य एन.सी.ई.आर.टी. प्रकाशन

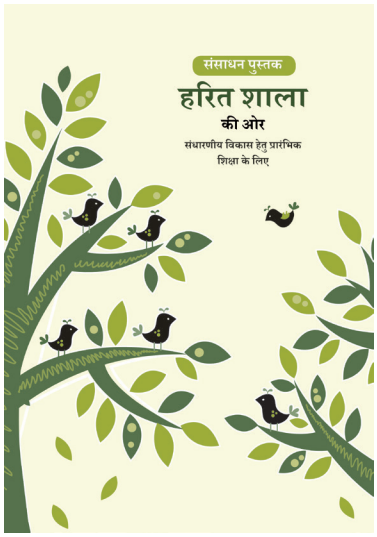

₹ 115.00 / pp 166

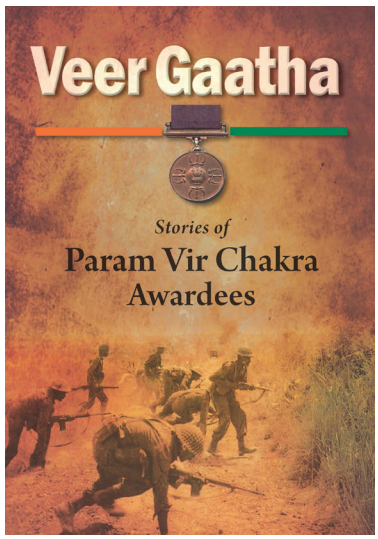

₹ 100.00 / pp 128

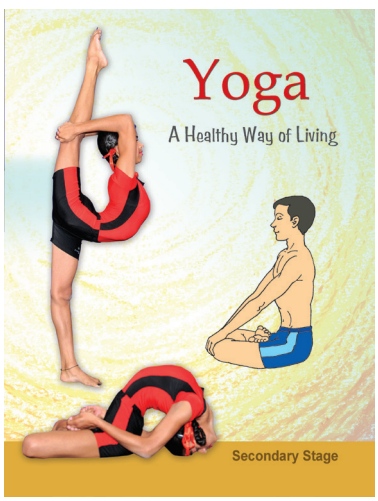

₹ 50.00 / pp 80

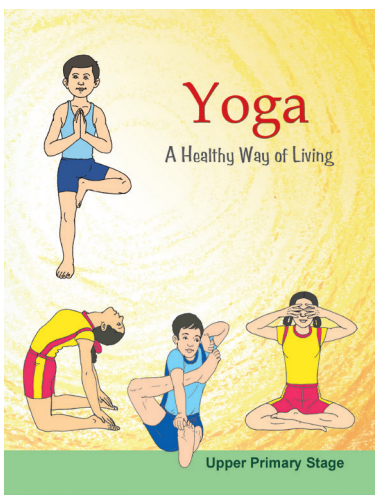

₹ 50.00 / pp 100

अधिक जानकारी के लिए कृपया www.ncert.nic.in देखिए अथवा कॉपीराइट पृष्ठ पर दिए गए पतों पर व्यापार प्रबंधक से संपर्क करें।

बित्तो

*नीलिमा**

कचरा बीनते-बीनते बिन जाते हैं कुछ सपने भी
छोटे-छोटे मासूम, रूई के फ़ायों से सपने
मंडराने लगते हैं बित्तो के चारों ओर
पर मुट्ठी में रेत की तरह सरक जाते हैं
छोटे नाज़ुक हाथों से सर-सर करते हुए
फिर धंस जाते है धरती में कहीं गहरे

और मन नहीं उड़ पाता बादलों के पार
मन जो उड़ना चाहता है
मन जो नटखट बन जीना चाहता है
सिर पर एक स्नेह भरा हाथ चाहता है

एक प्यारा-सा बस्ता लिए
और पानी की बोतल थामे
मन जो उड़ जाता है स्कूल की ओर

पर रीते रह जाते हैं उसके हाथ
नहीं आती नन्हें हाथों में कोई किताब
सुनती है तो बस झिड़कियाँ
आहत हो पोंछ लेती है खुद अपने आंसू
और नन्हीं मासूम झच्छाएँ
बह जाती हैं आँखों से
काँपते होठों से बाहर आती हैं
बस सुबकियाँ

क्यूँ-क्यूँ, ऐसा क्यूँ
उसकी नज़रें करती हैं जब सवाल
तो नज़र नीची हो जाती है
मेरी आपकी हम सबकी
आखिर बित्तो भी तो है
मेरी तुम्हारी अपनी नन्हीं परी जैसी।

* *वैयक्तिक सहायक,* लेखा अनुभाग (मुख्य लेखा अधिकारी कार्यालय), एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली 110016

Cover 2&3.indd 3 5/12/2017 2:51:34 PM

रजि. नं. 32427/76

विद्यया ऽमृतमश्नुते
एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING